खण्ड–492, अंक–10
गुरुवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1936
(12 मार्च, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 492 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
कानून के रक्षक द्वारा वकील की गोलीमार कर हत्या किये जाने का प्रकरण उठाने का प्रयास	7–12
प्रश्नोत्तर	12–43
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	43–44
प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	44
पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार को सी0बी0आई0 द्वारा सम्मन जारी किये जाने विषयक प्रकरण उठाने का प्रयास	45–46
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	46
जनपद आगरा की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर के अन्तर्गत मुस्लिम बाहुल्य आबादी जमाईपुरा तथा झारखण्डी में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	46
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर अन्तर्गत जर्जर जंघई सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	46–47
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नगर के नालों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	47
जनपद आगरा के कतिपय क्षेत्रों की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	47
वाराणसी महानगर में जाम की समस्या के निराकरण हेतु रिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	47–48
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद गोरखपुर के ब्लाक गोला के अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	49

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद मीरजापुर के विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत वन्यजीव क्षेत्र में 07 कि0मी0 सड़क एवं 200 मी0 नहर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	49
जनपद बस्ती के जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	49–50
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के ग्रामों को जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	50–51
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद आगरा स्थित ग्राम नगला कारे में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	51–52
जनपद महोबा में राज्यांश के अन्तर्गत नवीन सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	52
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट की कतिपय नदियों के पुलों पर एप्रोच रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	52
श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा अपनी सूचना लिये जाने हेतु श्री अध्यक्ष से अनुरोध ...	53
अतारांकित प्रश्न संख्या–9 का त्रुटिपूर्ण उत्तर आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	53
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	53
विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने की व्यवस्था बनारस के स्थान पर बलिया जनपद में ही कराये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न... ...	53–55
आगरा में टोरंटो पावर द्वारा उत्पीड़न का प्रकरण	55
केन्द्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल सम्बन्धी प्रकरण को उठाने का प्रयास	56
जनपद हाथरस के विकास खण्ड हाथरस के अन्तर्गत पुरा रेलवे स्टेशन से ग्राम पुराखुर्द तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राम गोपाल आदि	56

निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ... ...

जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत ग्राम गूजरपुर से नगला नरी मार्ग तक क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री हरिश्चन्द्र बघेल आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 56

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद हाथरस के विकास खण्ड हाथरस के अन्तर्गत ग्राम ऐहन से विधिपुर होते हुए ग्राम शेरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री दिनेश कुर्मी आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	57
जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत ग्राम बाड़ी से रतिभानपुर–भैकुरी मार्ग तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राम कुमार शर्मा आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	57
जनपद हाथरस के विकास खण्ड हाथरस के अन्तर्गत ग्राम मिर्जापुर से नहरई चौराहे होते हुए ग्राम विधिपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अर्जुन सिंह आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	57
विकलांग जन कल्याण मंत्री पर आरोप लगाये जाने का विरोध ...	57–58
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	58–78
वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा	78–103
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	103–106
मथुरा शहर के जनरलगंज स्थित वृन्दावन प्रकाशवती की राजकीय इण्टर कालेज भूमि को अवैध रूप से बेचे जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	106–107
जनपद देवरिया सहित प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों को मानक के अनुरूप बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	108
जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र पंचायत को पुनर्गठित करते हुए भवानीगंज को क्षेत्र पंचायत समिति (ब्लाक) सृजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री कमाल यूसुफ मलिक द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य (स्थगित) ...	108
कानपुर महानगर स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज में एम्स	108–109

के स्तर की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सलिल विश्नोई द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
झांसी महानगर में राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा निर्मित ओवरब्रिजों के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	109–110
जनपद कासगंज के विकास खण्ड सहावर में ग्राम तारापुर से ग्राम सियारपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क हेतु धन अवमुक्त कराकर मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	110–111

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 2015 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–312

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री बरेली
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
14. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
15. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
20. अमित गौरव यादव, श्री एटा
21. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
22. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
23. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती प्रतापगढ़
24. अरूण कुमार, डा0 बरेली
25. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
26. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
27. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
28. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
29. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
30. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
32. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
33. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
34. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
35. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
36. आलमबदी, श्री आजमगढ़
37. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
38. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
39. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
40. आशीष यादव, श्री बदायूं
41. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
42. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
43. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
44. इकबाल, श्री बिजनौर
45. इकबाल महमूद, श्री संभल
46. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
47. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
48. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
49. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
50. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
51. उदयराज, श्री उन्नाव
52. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
53. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
54. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन

55. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
56. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
57. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
58. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
59. कमाल युसुफ मलिक, श्रीसिद्धार्थनगर
60. काली चरन सुमन, श्री आगरा
61. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
62. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
63. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
64. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
65. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
66. कैलाश, श्री गाजीपुर
67. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
68. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
69. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
70. गजराज सिंह, श्री हापुड़
71. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
72. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
73. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
74. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
75. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
76. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
77. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
78. गोमती यादव, श्री लखनऊ
79. गोरख पासवान, श्री बलिया
80. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
81. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
82. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
83. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
84. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
85. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
86. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
87. जगपाल, श्री सहारनपुर
88. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
89. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
90. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
91. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
92. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
93. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
94. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
95. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
96. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
97. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
98. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
99. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
100. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
101. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
102. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
103. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
104. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
105. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
106. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
107. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
108. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
109. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
110. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
111. धर्मराज, श्री बाराबंकी
112. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
113. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
114. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
115. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
116. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
117. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
118. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
119. नारद राय, श्री बलिया

120. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
121. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
122. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
123. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
124. पीतमराम, श्री पीलीभीत
125. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
126. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
127. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
128. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
129. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
130. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
131. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
132. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
133. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
134. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
135. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
136. फेरन लाल, श्री ललितपुर
137. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
138. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
139. बदलू खां, श्री उन्नाव
140. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
141. बाबूलाल, श्री गोण्डा
142. बावन सिंह, श्री गोण्डा
143. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
144. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
145. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
146. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
147. बैजनाथ, श्री मऊ
148. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
149. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
150. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
151. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
152. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
153. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
154. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
155. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
156. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
157. मनबोध, श्री देवरिया
158. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
159. मनीष रावत, श्री सीतापुर
160. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
161. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
162. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
163. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
164. महबूब अली, श्री अमरोहा
165. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
166. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
167. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
168. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
169. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
170. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
171. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
172. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
173. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
174. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
175. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
176. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
177. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
178. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
179. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
180. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
181. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
182. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
183. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
184. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
185. यासर शाह, श्री बहराइच

186. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
187. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
188. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
189. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
190. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
191. रणजीत सुमन, श्री एटा
192. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
193. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
194. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
195. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
196. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
197. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
198. रवि शर्मा, श्री झांसी
199. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
200. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
201. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
202. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
203. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
204. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
205. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
206. राजिव, श्री सहारनपुर
207. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
208. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
209. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
210. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
211. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
212. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
213. राधे श्याम, श्री अमेठी
214. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
215. राम करन आर्य, श्री बस्ती
216. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
217. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
218. राम गोविन्द, श्री बलिया
219. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
220. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
221. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
222. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
223. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
224. राम मगन, श्री बाराबंकी
225. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
226. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
227. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
228. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
229. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
230. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
231. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
232. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
233. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
234. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
235. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
236. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
237. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
238. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
239. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
240. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
241. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
242. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
243. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
244. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
245. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
246. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
247. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
248. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
249. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
250. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
251. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर

252. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
253. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
254. विजय सिंह, श्री रामपुर
255. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
256. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
257. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
258. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
259. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
260. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
261. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
262. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
263. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
264. शाकिर अली, श्री देवरिया
265. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
266. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
267. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
268. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
269. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
270. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
271. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
272. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
273. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
274. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
275. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
276. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
277. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
278. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
279. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
280. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
281. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्ध नगर
282. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
283. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
284. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
285. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
286. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
287. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
288. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
289. सियाराम सागर, डा0 बरेली
290. सीमा, श्रीमती जौनपुर
291. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
292. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
293. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
294. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
295. सुधाकर, श्री मऊ
296. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
297. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
298. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
299. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
300. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
301. सुरेश राणा, श्री शामली
302. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
303. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
304. सुल्तान बेग, श्री बरेली
305. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
306. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
307. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
308. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
309. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
310. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
311. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
312. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :– मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन),

कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00, कानून के रक्षक द्वारा वकील की गोलीमार कर हत्या किये जाने का प्रकरण उठाने का प्रयास

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर शोर)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से कानून के रखवालों ने..

(बहुजन समाज पार्टी, कॉग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये)

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के वेल से बोलने पर शोर)

मान्यवर, कानून की रक्षा करने वालों ने, कानून के रखवालों ने न्याय दिलाने वाले की गोली मारकर हत्या कर दी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, पहले बसपा आई, दूसरे नम्बर पर कांग्रेस और तीसरे नम्बर पर भाजपा रही। आज वेल में पहला नम्बर बहुजन समाज पार्टी का, दूसरा नम्बर कांग्रेस का, भाजपा तीसरे नम्बर पर रही। अखबार में भी ऐसे ही छपना चाहिए तब तो फायदा है, वरना जनता का इतना अहित कर रहे हैं, जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और रोज कहते हैं कि सदन नहीं चलाया जाता। मान्यवर, सिर्फ अखबारों में ख़बर छपवाने के लिये, सिर्फ मीडिया में आने के लिये, कोई बात कहे बगैर, एक शब्द भी कहे बगैर वेल में आ जाना कहां का लोकतंत्र है ? अब नेता प्रतिपक्ष इतने गैर जिम्मेदार होंगे कि एक शब्द कहे बगैर वेल के अन्दर आ जायेंगे, कैसे सदन चलेगा ? कैसे लोकतंत्र चलेगा ? एक शब्द भी नहीं कहा। बहुजन समाज पार्टी वेल के अन्दर नम्बर एक, कांग्रेस नम्बर दो पर और भारतीय जनता पार्टी नम्बर तीन पर। अगर ऐसे शोहरत लेंगे मान्यवर, ऐसे अखबारों की सुर्खियां चलायेंगे क्या जनता में सन्देश जायेगा राजनीति करने वालों का।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सम्भल नहीं रहा है। सरकार को तुरन्त इस्तीफा देना चाहिए।

(सदस्यों द्वारा सदन के वेल में खड़े होकर नारे लगाये गये)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सदन की कार्यवाही चलायें।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में कानून–व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा आग्रह है सदन की कार्यवाही चलायें आप। क्योंकि यह तरीका बिल्कुल गलत है कि नेता प्रतिपक्ष ने एक शब्द भी नहीं कहा और पार्टी पूरी वेल के अन्दर आ गई।

(शोर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में आज अराजकता का माहौल है। पुलिस प्रशासन का ख्ग ग ग, हो रहा है जिसका उदाहरण यह घटना है।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, सदन के अन्दर अराजकता फैलाने का माहौल बनाया जा रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में अराजकता है। अपनी असफलता को दूसरों पर थोप रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल आपने नियम–56 में सूचना दी है तो जब नियम–56 आयेगा आपको पूरा अवसर मिलेगा उस पर अपनी बात रखने का। माननीय नेता कांग्रेस, आपने दिया है तो जब नियम–56 का समय आयेगा उस पर आप अपनी पूरी बात कहियेगा। यही बात खन्ना जी, आपने भी दी है जब नियम–56 आयेगा तो उस समय अपनी बात कहियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरा प्रदेश जल रहा है। यह सरकार अपनी असफलता को छिपाना चाहती है मान्यवर। अपनी असफलता को हम सबके ऊपर थोपना चाहती है मान्यवर।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पुलिसिया ख्ग ग ग ग , के सहारे जिस तरीके से सरकार अपनी जवाबदेही से बचने का सस्ता रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण अपने अपने स्थान पर चले गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हम सरकार से उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहते हैं। जिस तरीके से कचहरी में गोली मार करके पुलिस के द्वारा हत्या हुई है। मान्यवर, आज इस पर सरकार का सही उत्तर आना चाहिए। निश्चित ही पुलिस के इस नंगे राज पर अंकुश लगे। हमारी मंशा सदन को बाधित करने की नहीं है, हमारी मंशा सदन के माध्यम से इस पुलिसिया नंगा नाच को संज्ञान में लाने की है। इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि नियम–56 के अन्तर्गत इस पर पूरी की पूरी बात आ जाये।

श्री अध्यक्ष–

जब नियम–56 आयेगा तो आपको पूरा मौका मिलेगा। डाक्टर साहब आप भी आ जाते हो। चलिये। जब आपने दिया है और उस पर चर्चा सुनने के लिये, करने के लिये मैं तैयार हूं तब फिर आप लोग क्यों इधर बैठे हो ? प्रश्न हो जाने दो।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(सदस्यों के सदन के वेल से बोलने पर शोर)

श्री मोहम्मद आज़म खां–

माननीय अध्यक्ष जी, बात इतनी आसान नहीं है, गंभीर है। नियम–56 का नोटिस है। नियम–56 के लिये एक समय निर्धारित है उसके लिये प्रश्न काल को बाधित करना और नेता प्रतिपक्ष का इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया होना कि पूरी पार्टी को प्रश्न काल शुरू होने से पहले, 11 बजकर एक मिनट पर पूरी पार्टी को वेल के अंदर उतार देना, मान्यवर, यह कहां का लोकतंत्र है और कहां की प्रक्रिया है।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल तो वापस चले गये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इतनी बड़ी घटना को यह सरकार जिस तरीके से हल्का ले रही है। वकील नबी अहमद की हत्या हुई है। इस सरकार के ख ग ग ग , के विरोध में बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिष्कार करती है।

(नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का बर्हिगमन किया गया)

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष, नबी अहमद का नाम ले रहे हैं और अपने पूरे भाषण में किसी ने नबी अहमद का नाम नहीं लिया। दो घंटे के भाषण में नबी अहमद याद नहीं थे। आज नवी अहमद याद आए हैं। दो घंटे के भाषण में अगर किसी नवी अहमद का जिक्र किया होता, किसी ने नवी अहमद का जिक्र नहीं किया।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इसे नियम–311 में दिया था। आपकी सूचना मुझे मिल गई है। मा0 मौर्या जी ने नियम 56 में दिया। नियम–311 को मैंने नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है। जब नियम–56 का एजेन्डा आएगा तो आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा, तब अपनी बात कहिएगा। आप अपनी सीटों पर जाएं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल (सदन के फ्लोर से)–

सारी चीजें साफ हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए। पुलिस निरंकुश हो गई है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

सारे नियमों को मान्यवर, निलम्बित करके यह सूचना पहले ली जानी चाहिए। मान्यवर, यह प्रदेश की ऐसी घटना है जिसको मान्यवर, द्वितीय प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। सारे सदन की कार्यवाही निलम्बित करके इस सूचना पर चर्चा होनी चाहिए। मान्यवर, सरकार अपनी असफलता छिपाने का काम कर रही है। नियम–311 की नोटिस

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

है सारी कार्यवाही को निलम्बित करके इस पर चर्चा कराई जाए। (कई सदस्य सदन के फ्लोर से एक साथ बोल रहे थे।)

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 का मतलब है कि नियमों को शिथिल करके प्राथमिकता पर पहले सूचना को लिया जाए। लेकिन प्रश्न प्रहर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न प्रहर को बाधित नहीं करना चाहिए। प्रश्न प्रहर निकल जाता तो बोलते और फिर यह मेरे विवेक पर था। मैंने नियम–311 को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है। जब यह नियम–56 में आएगा तो पूरी बात कहिएगा। प्रश्न प्रहर हो जाने दीजिए। आपको पूरा मौका मिलेगा कहने के लिए। सरकार भी अपना जवाब देगी इसलिए इसको आप चलने दीजिए बहुत महत्ववपूर्ण सवाल लगे हैं। बड़ी मुश्किल से सवाल किया जाता है। सरकार उसका जबाव ढूंढ कर लाती है। तो आप लोग अपने सीटो पर जाकर बैठें। आपने अपनी बात कह ली। आपने अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया तो अब आप चलने दीजिए जब नियम–56 आएगा तो आप कहिएगा।

श्री प्रदीप माथुर–

हमने मान्यवर, यह नियम–311 में उठाया है इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर सरकार गम्भीर नहीं है। पूरे प्रदेश में अराजकता बढ़ रही है पुलिस निरंकुश हो गई है। (विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर से बोल रहे थे।)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इस पर सरकार गम्भीर नहीं है, पुलिस की ज्यादती बढ़ रही है पूरे प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था ठप्प हो गई है। चारों तरफ हिंसा हो रही है जो न्याय के मूल के लोग हैं वह सड़कों पर हैं। पुलिस की ज्यादती लगातार बढ़ती जा रही है चारो तरफ हिंसा हो रही है। इसमें निवेदन है कि नियम–311 में ही इसको आप ले लें और इस पर चर्चा करा दें। पूरी न्यायिक व्यवस्था ठप है। न्याय में विश्वास करने वाले लोग असंतोष से घिरे हुए हैं आन्दोलन कर रहे हैं यह देश और प्रदेश के लिए बहुत ही खराब स्थिति है। एक दरोगा द्वारा वकील को मार डालना रक्षक का भक्षक बन जाना है।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर–

पूरे प्रदेश में आक्रोश व्याप्त है। हम लोगों का आज रेल रोको आन्दोलन है।

श्री अध्यक्ष–

तो जाइए ना, आपका रेल रोको आन्दोलन है तो, इसमें क्यों आन्दोलन कर रहे हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

बहुत ही अराजकता की स्थिति है और नियम–311 में माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात कहने की सहमति न मिले, इसमें तो आपको हमें संरक्षण देना चाहिए इतने महत्वपूर्ण

विषय पर अगर संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो इसका मतलब यह होगा कि आप हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अपने स्थान पर जाएं। मेरा अनुरोध है। बाजपेयी जी ऐसा कभी नहीं हुआ 311 को नियम–56 में परिवर्तित नहीं किया गया है और नियम–311 का मतलब है कि सारे नियमों को शिथिल करके चर्चा कराना।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अगर नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो आप प्रस्ताव करिए कि नियमावली से नियम–311 को निकाला जाएगा। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

चलिये, आप लोग अपने–अपने स्थानों पर वापस चलिये। बाजपेयी जी, यह हमेशा ही हुआ है कि नियम–311 कभी स्वीकार नहीं हुआ है। नियम–311, नियम–56 में परिवर्तित हो जाता है और नियम–311 का मतलब है सारे नियम शिथिल करना। यह अध्यक्ष के विवेक पर है कि शिथिल करे न करे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या इससे भी खराब स्थिति आयेगी ? सारे प्रदेश के वकील हड़ताल पर हैं। क्या इससे भी बुरी स्थिति आयेगी ? यदि नियम–311 में स्वीकार ही नहीं करना है तो आज प्रस्ताव करिये कि नियमावली से नियम–311 को निकाला जायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल ने नियम–56 में नोटिस दिया, उनको नियम–56 में सुन लीजिये, लेकिन अभी आप इसको नियम–311 में सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग वापस अपने स्थान पर चलें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, क्या यह पूरा सदन इस घटना पर चर्चा करके किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा ? उस निष्कर्ष के माध्यम से प्रदेश के वकीलों और पुलिस को भी संदेश जायेगा। हम किसी एक के पक्ष में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, जब आप चर्चा करेंगे तो आप अपने तथ्य रखेंगे और सरकार अपना तथ्य रखेगी। पूरी जानकारी सबको हो जायेगी, लेकिन वह समय तो आने दीजिये। हम जानते हैं हमनें पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है उस नियम को। वह नियम कभी बाध्य नहीं करता है कि नियम को शिथिल कर दिया जाये, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आज प्रदेश की ऐसी स्थिति है। पूरे प्रदेश के वकील हड़ताल पर हैं। बार काउंसिल ने हड़ताल की अपील की है। पूरा न्यायिक कार्य ठप्प है। वह कौन सी परिस्थिति आयेगी जब नियमों को निलम्बित किया जायेगा ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, जिन भी लोगों ने नियम–311 में नोटिस दिया है उनको आप नियम–311 में सुन लें। जब नियम–311 में चर्चा हो जायेगी तो आगे की कार्यवाही शुरू हो सकेगी, लेकिन आप इन सब से पहले जो इलाहाबाद में वकीलों का दमन हुआ है उन पर गोली चलाई गई है। एक वकील मो0 नबी अहमद दरोगा द्वारा शहीद हो गए हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल से नारे लगा रहे थे)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को पन्द्रह मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 13 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी

11 बजकर 28 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया है।)

(11 बजकर 38 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर–शराबा उत्पन्न हो गया)

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी वकीलों पर लाठीचार्ज कराया जा रहा है, दरोगा वकील को गोली मार रहा है। हमने नियम–311 में सूचना दी है। आपसे अनुरोध है कि इसको स्वीकार करते हुए इस पर बहस कराइये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर–शराबा उत्पन्न हो गया, शोर–शराबे के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

देखिए हमने सारी सूचनाएं नियम–56 में ले ली हैं जब नियम–56 आएगा तब आप कहिएगा। आपने भी 311 में दिया था भारतीय जनता पार्टी ने भी 311 में दिया था मा0 मौर्य जी ने नियमों के अंतर्गत इसे नियम–56 में दिया था। सबको मैंने स्वीकार किया है जब नियम–56 आए तब आप अपनी बात कहेंगे। अब बैठिए।

(इस बीच श्री प्रदीप माथुर अपने स्थान से उक्त सूचना पर चर्चा कराने की मांग करते हुए अपनी बात कहते रहे जिस पर श्री अध्यक्ष ने नियम–56 में चर्चा कराये जाने की सहमति व्यक्त की, परिणामस्वरूप श्री प्रदीप माथुर ने विरोध व्यक्त किया जिसके कारण उनका भाषण नहीं सुना जा सका।)

श्री प्रदीप माथुर–

हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री प्रदीप माथुर अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री अध्यक्ष–

जाओ।

ख11.40, प्रश्नोत्तर

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश के सभी जिलों में खाद की कमी होने से किसानों की मांग के अनुसार खाद को उपलब्ध कराये जाने की योजना

'01–डा0 धर्मपाल सिंह तथा श्री धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके संज्ञान में है कि प्रदेश के सभी जिलों में रबी की फसल की बुवाई के लिये खाद की भारी कमी चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को समय से उनकी मांग के अनुसार खाद उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि अनुसंधान व धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री (श्री राजीव कुमार सिंह)–

प्रदेश शासन समस्त जनपदों के कृषकों को आवश्यकतानुसार उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। रबी फसलों की बुवाई का कार्य समाप्त हो चुका है तथा बुवाई हेतु आवश्यक फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों की कोई विशेष मांग नहीं है। प्रदेश में रबी 2014–15 में दिनांक 7 फरवरी, 2015 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न उर्वरकों की उपलब्धता इस प्रकार है :–

(मात्र लाख मी0 टन में)

क्र0सं0	उर्वरक का नाम	दिनांक 7 फरवरी, 2015 तक उर्वरक उपलब्धता की स्थिति			
		लक्ष्य	उपलब्धता	वितरण	अवशेष
1	यूरिया	27.92	25.67	24.16	1.51
2	डी0ए0पी0	11.16	12.15	10.15	2.00
3	एन0पी0के0	4.58	5.00	3.33	1.67
4	एम0ओ0पी0	0.83	1.17	0.85	0.32

रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन पूरी तरह भारत सरकार पर आश्रित है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह उर्वरक आपूर्ति प्लान उपलब्ध कराया जाता है जिसके आधार पर जनपदवार प्लान तैयार करके जनपदों एवं आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश शासन द्वारा निरन्तर भारत सरकार के सम्पर्क में रह कर एवं पत्रों तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से अनुश्रवण करते हुए यथासम्भव रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। प्रदेश के समस्त जनपदों में

उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण की स्थिति की समीक्षा भी प्रतिदिन शासन में उच्च स्तर पर की जा रही है तथा आवश्यकतानुसार जनपदों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

पढ़ा हुआ मान लें आप पूछेंगे। अब इसमें रबी बुवाई का सवाल सब खत्म हो गया दूसरा सवाल ले लें। आप पूछेंगे।

डा0 धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी जो सरकार का जवाब आया है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर रबी की फसल के लिए खाद नहीं मिल रही। मैंने प्रश्न भी उसी समय लगाया था। मा0 अध्यक्ष जी हमारे यहां आगरा में अधिकारियों ने जो सहकारी क्षेत्र की खाद थी उसे सीधे व्यापारियों को बेच दिया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है प्रदेश की खाद की जितनी मांग है क्या प्रदेश को भारत सरकार उतनी खाद नहीं उपलब्ध कराती है ? प्रदेश बहुत बड़ा है और खाद की बहुत आवश्यकता भी होती है जब तक हम खाद का पूर्ण भण्डारण नहीं करेंगे तब तक प्रदेश के किसानों को खाद नहीं मिल सकती। मैं आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न यह जानना चाहता हूं कि क्या आने वाले समय में सरकार रबी और खरीफ की फसल के लिए 50 प्रतिशत जो मांग है प्रदेश की उसके 50 प्रतिशत का पूर्ण भण्डारण करेगी।

श्री राजीव कुमार सिंह–

मान्यवर मात्रा लाख मी0 टन में उर्वरक की मांग है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी सवाल यह नहीं है, सवाल है जो आपकी जरूरत है क्या भारत सरकार उतना आपको उपलब्ध करा पाती है या नहीं ?

श्री राजीव कुमार सिंह–

मान्यवर इस पर मा0 मंत्री जी ने जो पत्र भेजे हैं उसमें कहा गया है कि उर्वरकों की समय से आवश्यकता की पूर्ति की जाए। यह पत्र 20–12–2014 को भेजा गया था। इससे पूर्व में 27–10–2014 को भेजा गया था। मैं इस पत्र को पढ़ देता हूँ इससे स्पष्ट हो जायेगा। रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन पूरी तरह भारत सरकार पर आश्रित है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह उर्वरक आपूर्ति प्लान उपलब्ध कराया जाता है जिसके आधार पर जनपदवार प्लान तैयार करके जनपदों एवं

आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश शासन द्वारा निरन्तर भारत सरकार के सम्पर्क में रह कर एवं पत्रों तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से अनुश्रवण करते हुए यथासम्भव रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। प्रदेश के समस्त जनपदों में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण की स्थिति की समीक्षा भी प्रतिदिन शासन में उच्च स्तर पर की जा रही है तथा आवश्यकतानुसार जनपदों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं है। बैठिए।

डा0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर क्या सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों की उर्वरकों की मांग के अनुसार भारत सरकार उपलब्ध कराती है या नहीं दूसरा मैंने यह किया था कि प्रदेश सरकार आने वाले रबी और खरीफ की फसल के लिए जितनी मांग है प्रदेश के किसानों की उसकी 50 प्रतिशत खाद का भण्डारण करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 डा0 साहब जो आपको उत्तर मिला है उसमें चार्ट है उसमें लिखा है यूरिया का लक्ष्य था 27.92 लाख मी0 टन और उपलब्ध कराया गया 25.67 और वितरण हुआ। इसका मतलब है कि लक्ष्य के अनुरूप नहीं मिला है।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी इसे मैंने पढ़ लिया है। हमारा प्रश्न है क्या सरकार पूर्ण भण्डारण करेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, यह तो है अब जो अगली बार आयेगा उसमें आपकी 50 प्रतिशत के भण्डारण की कोई योजना है ?

(सत्तापक्ष एवं विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

श्री राजीव कुमार सिंह–

उर्वरक की जो व्यवस्था है यह भारत सरकार द्वारा होती है और हर माह में किस कम्पनी से कितना आवंटन होता है उसको भारत सरकार सुनिश्चित करती है। प्रदेश सरकार उसके लिए व्यक्तिगत पत्राचार और बात करके उसे सुनिश्चित कराती है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि बुआई के समय किसानों को समुचित रूप से खाद और उर्वरक उनको मिल सके इसीलिए राज्य सरकार प्री–पोजिशनिंग की भण्डारण की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करती है। क्योंकि खाद भारत सरकार से आती है। समय पर खाद न आने की बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व भण्डारण की व्यवस्था है। पूर्व भण्डारण सरकार करा रही है कि नहीं करा रही है इसका उत्तर सरकार दे नहीं पा रही है। माननीय डा0 साहब ने प्रश्न पूछा कि जो आपने खाद उपलब्ध करायी इसकी बड़े पैमाने

पर कालाबाजारी हुयी। तमाम सहकारी समितियों से सीधे खाद बेच दिया गया, किसानों को जो आवंटन होना चाहिए वह नहीं मिल पाया। सरकार इसका किसी का भी उत्तर नहीं दे पायी। इससे सरकार की संवेदनहीनता सीधे–सीधे परिलक्षित होती है। मान्यवर, केवल एक उत्तर हम चाहते हैं कि आपने पूर्व भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित करायी या नहीं ?

(इस बीच सत्तापक्ष के कई मा0 सदस्य बोलने का प्रयास करते रहे लेकिन उनका माईक आफ था।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने बड़ी हिम्मत की ब्लैक मार्केटिंग का जिक्र किया। बड़ी हिम्मत की। यह अच्छा हुआ कि यह नहीं कहा कि नेपाल बेचा गया। क्योंकि अगर नेपाल का जिक्र आता तो उन्हें अपनी सरकार का यह कुकर्म भी पता चलता कि कितना खाद यहां से बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बेचा गया। यह इल्जाम हम पर नहीं लगाया इसके लिए धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी सरकार अपनी कोशिश में कहीं कोई कमी नहीं रखेगी और भारत सरकार से भी जितनी खाद लेने के लिए जितनी कोशिश की जा सकती है वह की जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि कृषि प्रधान देश है इसलिए खाद की कमी केन्द्र से भी न हो ऐसी हम आशा करते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर है, यूरिया का लक्ष्य रखा 27.92, और इन्होंने उपलब्ध कराया 25.67 यानी लक्ष्य के मुताबिक उपलब्ध ही नहीं कराया और आवंटन हुआ 24.16। मान्यवर, मा0 मंत्री जी का जो उत्तर है वह इस बात की स्वाकारोक्ति है कि जो इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया उसके अनुरूप यह खाद नहीं उपलब्ध करा सके और जो इन्होंने मंगाई भी उसका समय से वितरण नहीं करा सके और जो आया भी उसको इन्होंने कालाबाजारी के माध्यम से लोगों के हवाले कर दिया और हमारी सरकार की जहां तक बात करते हैं। पूर्व बसपा की सरकार में जो खादों की बिक्री होती थी उसको हमने रोका और मान्यवर, रोका ही नहीं बल्कि उसको हमने समय पर किसानों को उपलब्ध भी कराया। यह सरकार जवाब से बचना चाहती है। उत्तर देने से भागना चाहती है। किसानों के साथ मजाक कर रही है। इसलिए किसान विरोधी सरकार के इस रवैये के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, एक काम जरूर किया पिछली सरकार ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कि नेपाल से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए इनकी सरकार ने खूब खाद बेचा और उनकी फसलें अच्छी करायी तो यह श्रेय तो इन्हें जाता है। मान्यवर, किसी

प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। यह बिल्कुल गलत बात है और भविष्य में भी नहीं रहेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं क्या मंत्री जी अवगत करायेंगे कि इन बहुजन समाज पार्टी की सरकार के उस समय जिम्मेदार मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार ने की है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आज करने का इरादा था मगर चले गये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय धर्मपाल सिंह जी पूछ लीजिये। बहुत सवाल लगे हैं, 2–4 सवाल और पूछ लीजिये।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी बहुत महत्वपूर्ण विषय है किसान से जुड़ा हुआ है। आपने उत्तर देने का प्रयास भी किया। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सबको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में किसानों को बुआई के समय न यूरिया मिला न डी0ए0पी0 मिला, लाठियां चलीं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से प्रश्न करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने उर्वरक कारखाने हैं और उन उर्वरक कारखानों को प्रदेश सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष–

यह इस प्रश्न का विषय नहीं है।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं कि प्रदेश सरकार के नियंत्रण में उर्वरक कारखाने हैं और प्रदेश सरकार द्वारा इन उर्वरक कारखानों को अनुदान भी दिया जाता है तो मान्यवर, सरकार केन्द्र सरकार पत्रों के लिए पत्राचार की भी बात कहती है कि पत्राचार किया गया तो मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जो पत्र लिखे गये क्या सरकार हमको उनकी छायाप्रति उपलब्ध करायेगी और नम्बर–2 जिन कारखाने वालों ने अनुदान लेकर, यूरिया, डी0ए0पी0 इत्यादि का उत्पादन नहीं किया, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह कोई सवाल नहीं बनता। कारखानों पर हम नहीं कुछ कर सकते। कारखाने हमारे कन्ट्रोल में नहीं है। वह जितना भेजेंगे उतना अनुदान जायेगा।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, केवल एक प्रश्न इन्होनें पूछा है कि कया केन्द्र सरकार से इस सम्बन्ध में हुए पत्राचार की एक प्रति इनको प्राप्त होगी। हम इन्हें एक प्रति भिजवा देंगे और बाकी तो इससे सम्बन्धित है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप दूसरा प्रश्न लेने दीजिये। अब बुआई खत्म हो गयी खाद्य की लड़ाई क्या कर रहे हैं।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, इसकी आगे भी आवश्यकता पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष–

अब दूसरा प्रश्न लेते हैं।

श्री दलवीर सिंह–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब डी0ए0पी0 खाद्य की जरूरत थी तब सरकार यूरिया उपलब्ध करा रही थी।

श्री अध्यक्ष–

यह कौन सा सवाल है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, और जब यूरिया की जरूरत थी तो सरकार ने डी0ए0पी0 भेजी। क्या सरकार आने वाली फसलों में आवश्यकता के अनुसार इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी।

श्री अध्यक्ष–

यही तो धर्मपाल जी ने पूछा था। आप फिर उसी को पूछ रहे हैं। अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं।

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में व्यापारियों की समस्या एवं गिरते औद्योगिक विकास के दृष्टिगत प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु लीज होल्ड भू–खण्डों को फ्री–होल्ड किये जाने का विचार

'01–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्यापारियों को औद्योगिक क्षेत्रों में लीज होल्ड पर जो औद्योगिक भू–खण्ड दिये जाते हैं, की अनुमन्य शर्तों, उत्पाद परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, स्वामित्व परिवर्तन, विभाजन व उप–विभाजन, पारिवारिक सदस्यों के आलावा अन्य सगे–सम्बन्धियों को सम्मिलित करना, बीमार इकाई की पुनर्स्थापना आदि आवश्यक एवं अनिवार्य कार्यों के लिए जटिल एवं दीर्घ प्रक्रिया से बार–बार गुजरने से औद्योगिक गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो, क्या सरकार व्यापारियों की समस्या एवं गिरते औद्योगिक विकास के दृष्टिगत प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु लीज होल्ड भू–खण्डों को फ्री–होल्ड किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राधिकरणों/निगम द्वारा भू–खण्डों का आवंटन लीज पर किया जाता है। इसके सापेक्ष उनको लीज रेन्ट की आय वार्षिक रूप में होती है। भू–खण्ड का आवंटन लीज

पर होने पर आवंटी द्वारा लीज की शर्तों के विपरीत कार्य नहीं किया जाता है और लेसर द्वारा उस पर प्रभावी नियंत्रण किया जाता है। भू–खण्ड का हस्तान्तरण भी लेसर की स्वीकृति से किया जाता है जिससे क्रेता को लेसर से सभी नियमों एवं शर्तों की सम्यक् जानकारी हो जाती है। अतएव वर्तमान समय में भू–खण्डों का आवंटन लीज पर करने की व्यवस्था है।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा भू–खण्ड उद्यमियों को दिये जाते हैं और 99 साल की लीज पर दिये जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी 99 साल में जो परिस्थितियां होती हैं, कई व्यापारियों का परिवार बढ़ जाता है, कई व्यापारियों की डेथ हो जाती है, उसके बच्चे के नाम फैक्ट्री आती है, कभी माननीय अध्यक्ष जी उत्पाद होते हैं, वह उत्पादन इतने अप्रचलित हो जाते हैं कि उन्हें नए उत्पाद बदलने पड़ते हैं, इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि पूरे प्रदेश के जो भी व्यापारी बाहर मांग कर रहे हैं कि उन्हें लीज होल्ड से फ्री–होल्ड किया जाय सरकार द्वारा। मा0 अध्यक्ष, सरकार चाहे और कोई भी जमीन हो, चाहे वह निगम की हो, चाहे प्राइवेट की यह सब लीज पर दे रही है, यह सरकार की नीति है, केवल औद्योगिक भू–खण्डों को लीज पर नहीं दिया जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी देश के अन्य राज्यों में चाहे वह दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, सब जगह लीज होल्ड से फ्री–होल्ड कर दिया गया है। मा0 मंत्री जी का जो जवाब आया है वह कारण अपर्याप्त हैं। लीज होल्ड से फ्री–होल्ड करने में मा0 अध्यक्ष जी जो लैण्ड यूजर्स हैं वह चेन्ज नहीं होंगे और आज प्रदेश में औद्योगीकरण की बात करती है सरकार और व्यापारियों की जो समस्या है पहले से जो उन्होंने उद्योग लगाये हैं, अगर उन्हें न्याय नहीं मिलेगा मा0 अध्यक्ष जी, तो आगे कैसे औद्योगिकीकरण होगा प्रदेश का। मा0 अध्यक्ष जी, हालांकि यहां अखबार का संज्ञान नहीं लिया जाता, 14 जुलाई, 2014 के इकोनॉमिक्स टाइम में जो छपा है सरकार की तरफ से कि सरकार 30 साल तक के भू–खण्डों को लीज होल्ड से फ्री–होल्ड करने पर विचार कर रही है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश के व्यापारियों के हित में सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी, लीजहोल्ड से फ्री–होल्ड करने पर।

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

मा0 अध्यक्ष जी, इस समय वर्तमान में जो व्यवस्था है, उसके अनुसार हम लोग पूरे प्रदेश में उद्योगपतियों को या जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उसमें जो आवश्यक सुविधायें हैं उनको हम लोग प्रदान कर रहे हैं और मा0 मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीति 2012 में तमाम सहूलियतों का प्राविधान किया है, इसलिए सरकार के समक्ष मा0 सदस्य द्वारा जो कहा गया है, उस पर कोई विचार प्रस्तावित नहीं है।

डा0 धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, जब लीजहोल्ड पर भू–खण्ड दिया जाता है, तो उस समय वर्तमान में जो भी कास्ट होती है वह सरकार ले लेती है, उसके बाद मा0 अध्यक्ष जी

जैसे कोई व्यापारी का नाम बदला, तो आज की डेट में जो अधिकारी होते हैं, जो सरकार के आदेश जाते हैं, मा0 अध्यक्ष जी उनकी परिभाषा वह अपनी तरह से करते हैं। आगरा में मा0 अध्यक्ष जी क्या हो रहा है जो भू–खण्ड आवंटित हुए यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा उस समय चार रुपये वर्गमीटर के हिसाब उन्हें दिया गया, आज की डेट में अगर वह अपना नाम परिवर्तन करते हैं या उत्पाद का परिवर्तन करते हैं तो आज का जो सर्किल रेट है, उससे उनसे स्टाम्प शुल्क वसूला जाता है, जो मा0 अध्यक्ष जी उस समय की जो कास्ट थी, उससे कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो यह व्यापारियों की बहुत व्यवहारिक समस्या है पूरे प्रदेश में और सरकार व्यापारियों के हित में भी इसमें निर्णय नहीं कर रही है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं मा0 मंत्री जी से कि बहुत जटिल समस्या है और बहुत जटिल प्रक्रिया से उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को गुजरना पड़ता है। इस पर जरूर विचार करें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी ने पूर्व में ही कह दिया कि इस पर कोई विचार प्रस्तावित नहीं है।

प्रदेश में विकलांग पेंशन की पात्रता रखने वाले को पेंशन दिये जाने की सरकार की योजना

'02–श्री मनीष असीजा–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में विकलांग पेंशन की पात्रता रखने वाले सभी विकलांगजनों को विकलांग पेंशन देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

वित्तीय वर्ष 2014–15 में विकलांग पेंशन की पात्रता रखने वाले 3704 नवीन विकलांग जन को पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

श्री मनीष असीजा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपना प्रश्न रखना चाहता हूं, इसमें मेरा जो सबसे पहला कहना है वह यह है कि जो उत्तर मिला है मुझे वह मेरे प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है, मेरी इसमें यह भावना है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे अभी भी निशक्तजन भाई, बहन हैं, जो पेन्शन से वंचित हैं और ये हमारे समाज का वह हिस्सा हैं जो बिना किसी कारण के दैवीय प्रकोप समझ लीजिए किसी के यहां भी हो सकता है, उस कारण से जीवन भर के लिए अपनी इस परेशानी को ढोते हैं या इसको लेकर अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। इन परिस्थितियों में जब पूरे प्रदेश में 2011 के सेन्सस के अनुसार लगभग 41.50 लाख लोग हमारे प्रदेश में विकलांग हैं और मेरी जानकारी है कि हम लगभग पौने नौ लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। मा0 मंत्री जी, इतने बड़े गैप के लोगों के लिये, जो सरकार की विभिन्न कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनायें हैं वे अपनी अलग हैं, इन निःशक्त जनों के लिये अगर हम चिन्ता

नहीं कर पा रहे हैं तो यह हमारे लिये, सबके लिये बहुत सोचने की बात है। मैं एक प्रश्न तो सीधा आपसे यह करना चाहता हूं कि क्या आप सभी पात्रता रखने वाले निःशक्त जनों को पेंशन देने पर विचार करेंगे ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी निःशक्त भाई–बहन है तो वह अपना प्रमाण–पत्र बनवाने के लिये बहुत दूर मुख्यालय पर एक कैम्प लगता है, दिन मंगलवार का या हर जिले का अलग होता है वह वहां जाता है। हमारे पास के ही प्रदेश मध्य प्रदेश में डोर–टू–डोर सर्वे होकर वहीं पर उनका फोटो खींचकर जैसे आधार कार्ड बन रहा है, वहां पर उसी प्रकार से विकलांग प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं। क्या सरकार प्रदेश के सम्पूर्ण निःशक्त जनों को उनके क्षेत्र में जाकर डोर–टू–डोर सर्वे कराकर, चिन्हित कराकर वहीं पर विकलांग प्रमाण–पत्र जारी करने का कार्य करेगी ? इन दो प्रश्नों का मैं उत्तर चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, असीजा जी ने जो प्रश्न अपने अनुपूरक के माध्यम से पूछा है, वह सचमुच में अत्यन्त गम्भीर है और सरकार भी इस समस्या का हल करने के लिये, इस दिशा में कार्यवाही करने के लिये उतनी ही गम्भीर है। यह ऐसे लोगों का मामला है जिनके प्रति सिर्फ सहानुभूति से काम नहीं चलेगा, उनके लिये ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है कि अगर प्राकृतिक तौर पर उनके साथ कुदरत ने कोई कमी कर भी दी है तो हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते और उनको समान अवसर या कम से कम सम्मानजनक स्थिति उनकी हो, हर समय उन पर तरस खाने की स्थिति नहीं हो, ऐसा करने की जरूरत है। हम आपकी इस भावना की कद्र करते हैं और इसी भावना के अनुरूप इस पर कार्यवाही करना चाहते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आपने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न यह था कि जितने पात्र लोग हैं उन पात्र लोगों को क्या सरकार पेंशन देने पर विचार करेगी तो मेरा सीधा उत्तर है कि हॉ, अवश्य करेगी और अतिरिक्त रूप से बात करना चाहता हूं कि जितने भी एप्लीकेशन्स पात्र लोगों के पूरे प्रदेश में अभी तक पेण्डिंग हैं, जितने भी एप्लीकेशन्स पेण्डिंग हैं हम इस वक्त किसी भी हालत में उनको पेंशन से आच्छादित कर देंगे, हम यह आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि उनको सर्टिफिकेट बनवाने में दिक्कत होती है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सचमुच में कठिनाई यह होती थी किसी भी प्रकार की विकलांगता का प्रमाण–पत्र दिये जाने के लिये मा0 अध्यक्ष जी। व्यवस्था यह थी कि उसको मेडिकल बोर्ड के सामने जाना होता था। मेडिकल बोर्ड आमतौर पर एक जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता था कहीं पर भी। वहां तीन डॉक्टर्स की टीम होती थी मेडिकल बोर्ड में और वह तीन लोगों की टीम जब बैठती थी तो उनका परीक्षण होता था। हमने इसमें परिवर्तन करके यह कर दिया है कि जो विजिबिल डिस्एबिलिटी है, माने जो आंख से दिखाई दे सकती है हाथ की, पैर की या इस प्रकार की जो विजिबिल डिस्एबिलिटी है उसके लिये हमने मेडिकल ऑफिसर को, प्रत्येक मेडिकल ऑफिसर को अधिकृत कर दिया है, वह अपने स्तर से सर्टिफिकेट दे देगा। अब उसे मेडिकल बोर्ड के सामने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मान्यवर, दूसरी एक कठिनाई है श्रवण जनित की, जैसे कोई

कह दे कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है तो वह जांच बिना यंत्र के नहीं हो सकती या मल्टीपिल डिस्एबिलिटी है या ऑटिज़्म हैं या इस तरीके की मानसिक मन्दिता है। इसके बारे में देखकर के कई लोगों को, जैसे वे बड़े अच्छे–भले नजर आते हैं लेकिन आचरण मानसिक मन्दित की तरह करते हैं तो उसकी जांच के लिये विशेषज्ञ की आवश्यकता है उसके बिना यह बात नहीं चल सकती इसलिये श्रीमन्, उनको छोड़ करके बाकी सभी लोगों को जो विजिबिल डिस्एबिलिटी है उसमें हमने मेडिकल ऑफिसर को अधिकृत कर दिया है और इसके और भी सरलीकरण के लिये, जैसा आप चाहते हैं हम उसको क्रमशः अगर इसके आगे और भी सरल किया जा सकेगा तो हम विचार करेंगे आपके सुझाव पर, आपने अच्छे सुझाव दिये हैं।

श्री मनीष असीजा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने संवेदनशीलता से इस पूरे विषय को समझा है। मैं एक सुझाव देता हूं और एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि मानसिक मन्दिता वाली विकलांग श्रेणी के जो भाई–बहन हैं, इन पर वास्तव में एक तो तरस खाने की बात नहीं है इनके जज़्बे को सलाम करते हुये हम कहते हैं। एक तो कठिनाई यह है कि हर जिले में ये मानसिक रूग्णता वाला चेकअप करने के लिए डॉक्टर नहीं होता है। जैसे हमारे यहां फिरोजाबाद में आगरा जाना पड़ता है, आगरा में मैन्टल हास्पिटल है। एक सुझाव मेरा यह है कि जहां–जहां पर इन मानसिक रोगियों के लिए या मानसिक रूग्णता के परीक्षण के लिए डॉक्टर नहीं है, वहां पर हर जिले में महीने में एक बार कैम्प करें, इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि इस प्रकार के रोगी को दूर ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात जो मैं आप से कहना चाहता हूं, जो प्रश्न अनुत्तरित रह गया कि क्या आप डोर–टू–डोर सर्वे कराएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे निःशक्त भाई–बहन हैं, जो अभी हमारी सरकार के रडार में ही नहीं आए हैं। हमारे अभिलेखों में ही नहीं आ पाये हैं कि वह डिसऐबल हैं या वह निःशक्त हैं, तो क्या डोर–टू–डोर सर्वे कराने का काम करेंगे यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया उन्होंने बता दिया कि डॉक्टर करते हैं, यह कोई सवाल नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, जितने लोग एप्लीकेन्ट्स हैं, उनके बारे में मैंने आपको आश्वस्त कर दिया कि हम शत–प्रतिशत लोगों को दे देंगे। हमारे पास 23 हजार पेण्डेन्सी हैं, सबको दे देंगे और आगे जो विचार करने की बात कही है, उसको देखेंगे। जहां तक डोर–टू–डोर सर्वे कराने का सवाल है इससे पात्रता तय नहीं हो सकती है, जो एप्लीकेन्ट होगा उसी की एप्लीकेशन का परीक्षण करेंगे कि इनकी एप्लीकेशन पर इनको पेंशन दिया जाना है, पात्रता में आते हैं कि नहीं आते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते है।

(श्री उपेन्द्र तिवारी, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी तथा कुछ अन्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने के प्रयास पर)

अब उनका प्रश्न था, उन्होंने पूछ लिया। अपना प्रश्न तो लगाते नहीं आप लोग।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मान्यवर, मैंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है और अपने निष्कर्षों को सरकार में और भारत सरकार में भेजा भी है। इसलिए मुझे पूरी जानकारी है, आप मुझे सवाल पूछने दें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं, मैंने दूसरा सवाल ले लिया है।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम कासिमपुर में स्थापित अल्ट्राटेक सीमेन्ट फैक्ट्री व हरदुआगंज रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले क्लिंकर व सीमेन्ट के कारण आस–पास स्थित खेतों पर पड़ रहे प्रभाव से खेती प्रभावित हो रही है को दूर करने के उपायों की जानकारी

'03–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–अलीगढ़ के ग्राम कासिमपुर में स्थापित अल्ट्राटेक सीमेन्ट फैक्ट्री व हरदुआगंज रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले क्लिंकर से इनके आस पास की फसलों व कृषि भूमि पर उसकी (क्लिंकर व सीमेन्ट) परत जमा हो जाने के कारण कृषि उत्पादन व कृषि भूमि प्रदूषित होकर प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त समस्या के समाधान हेतु अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन्तु उद्यान मंत्री (डा0 शिव प्रताप यादव)–

जी नहीं।

जिला कृषि अधिकारी, अलीगढ़ से प्राप्त सूचना दिनांक 09–02–2015 के अनुसार दिनांक 07–02–2015 को अल्ट्राटेक सीमेन्ट फैक्ट्री व हरदुआगंज रेलवे स्टेशन के आस–पास स्थित खेतों में मृदा पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जांच की गयी। जांच में वर्तमान रबी में गेहूं एवं सरसों की फसल पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

(पर्यावरण मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने के मध्य)

(सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात रखने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष–

बैठिए, बैठिए। अब उस प्रश्न का सारा उत्तर आ गया। जब यह आप का सवाल ही नहीं है तो आप क्यों लड़ रहे हैं। आप बैठ जाएं।

(सदस्य द्वारा अपनी बात रखे जाने और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्न का उत्तर एक साथ पढ़े जाने के कारण व्यवधान की स्थिति।)

(व्यवधान के मध्य)

अब आप बैठिए, बैठिए। अब आप बाधा मत पैदा करिए, सवाल का जवाब आ रहा है। आप क्यों पूछ रहे हैं जब उसमें आप का सवाल ही नहीं है। बैठ जाइये, आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा, बेकार बात करते हैं।

(सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी के अपने स्थान पर खड़े रहने की स्थिति में।)

आप बैठ जाइये, आपका न ही लिखा जायेगा और न कुछ होगा। आप ऐसा काम न करिए कि हम कार्यवाही करें। जब सवाल बढ़ गया है और आपका सवाल भी नहीं है, तो बैठ जाइये।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन को व्यवस्थित करा लें, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

आप पूछिए।

तब फिर अब कार्यवाही आगे बढ़ जायेगी, बता रहा हूं, बैठिए, बैठिए, बेकार की बात करते हैं। तमाशा करते हैं।

श्री दलवीर सिंह–

मेरा सवाल था माननीय अध्यक्ष जी.... सदन को व्यवस्थित करा लें कृपया।

श्री अध्यक्ष–

अब वह व्यवस्थित नहीं हो रहा है, तो आप पूछिये। उनके लिए हमें दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा।

(सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी के अपनी सीट पर लगातार खड़े रहने की स्थिति में)

आप का यह सवाल नहीं था और न ही इससे कोई मतलब है। अब आप बैठिए।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन हरदुआगंज पर.....

(सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी के अपनी सीट में लगातार खड़े रहने की स्थिति में)

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की भी जांच की जरूरत है। (सदन में हंसी) अच्छा अब माननीय सदस्य बैठ जाएं। जब माननीय अध्यक्ष, बार–बार कहें तो उनकी मान लें, बहुत खड़े रहने से फिर इरीटेशन होता है। माननीय अध्यक्ष जी से मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि वह माननीय सदस्य की बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है कि अब आगे बढ़ गए हैं, अब सदस्य का सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दलवीर सिंह जी, अपना प्रश्न पूछिये। अब तिवारी जी का नहीं सुना जायेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं बंद कर दूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसी पर यह अपना अगला प्रश्न लगा दें।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने के लिए खड़ा कर दिया है, मेरा सवाल यह था।...

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यगण के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण जब यह सवाल श्री मनीष असीजा जी का था और दो–चार प्रश्न और आ जाएंगे बहुत सी जानकारी सवालों के माध्यम से सदन को हो जायेगी, तो वह कर लेने दीजिए। इसमें कोई बड़ा सवाल नहीं था, सवाल कर लिया कि क्या सर्वे डोर–टू–डोर कराएंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया, इन्होंने बताया कि 41 लाख हैं। उन्होंने कहा कि जितने मेरे पास एप्लीकेशन आए हैं मैं उनकी हर हालत में जांच कराकर पेंशन दूंगा। इस सवाल में बचा क्या ? इसमें क्या बच गया।

(सदस्य, श्री धर्म पाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप मंत्री रहे हैं, आप नहीं चलने देना चाहते क्या ?

श्री धर्मपाल सिंह–

कृपा करके आप से एक व्यवस्था चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न खत्म हो जाने दीजिए। प्रश्न का उत्तर पढ़ दिया गया है, यह खत्म हो जाए, तब व्यवस्था उठाइये।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि जनपद अलीगढ़ के ग्राम कासिमपुर में स्थापित अल्ट्राटेक सीमेन्ट फैक्ट्री व हरदुआगंज रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले क्लिंटर से इनके आस पास की फसलों व कृषि भूमि पर उसकी (क्लिंटर व सीमेण्ट) परत जमा हो जाने के कारण कृषि उत्पादन व कृषि भूमि प्रदूषित होकर प्रभावित हो रही है। मान्यवर, वह क्लिंटर नामक विषैला पदार्थ वहां पर उतरता है उससे और सीमेंट फैक्ट्री से पूरे फसलों और उसके पत्तों पर लेयर जम जाती है जिसकी वजह से समूची फसल नष्ट हो जाती है। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि यह पर्यावरण विभाग से संबंधित है और जांच करा रहे हैं कृषि अधिकारी से। मैं मांग कर रहा हूं फसलों पर होने वाले प्रभाव की उसकी रिपोर्ट देने की मांग कर रहा हूं रिपोर्ट दे रहा है कृषि अधिकारी कि मैंने वहां की भूमि का परीक्षण करा लिया है सेम्पुल का जमीन सही है। पूछ रहा हूं मैं पत्तों पर जमती है जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं भूमि का टेस्ट। आपका पर्यावरण विभाग का कोई अधिकारी तो वहां गया नहीं। आपने चेक करा दी है मिट्टी मैं कह रहा हूं कि लेयर जमी रही है पत्तों पर और फसलें नष्ट हो रही हैं किलंटर एक विषैला पदार्थ है। अलीगढ़ से लेकर सहारनपुर तक पूरी सप्लाई क्लिंटर की हरदुआगंज रेलवे स्टेशन तक हो रही है। बार–बार मैंने विधान सभा में सवाल रखा है। आपका एक भी प्रदूषण का अधिकारी वहां मौके पर नहीं जाता है और झूठी रिपोर्ट दे देता है कि इससे पर्यावरण

प्रभावित नहीं हो रहा है। मैं मा0 मंत्री जी से चाहता हूं कि एक प्रदेश स्तर की विशेष टीम गठित करके पूरे प्रकरण की जांच करायी जाय इससे पूरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ रहा है। मान्यवर, मेरे यहां पूरे पांच किलोमीटर क्षेत्र में पूरी तरह से फसलें बरबाद हो रही हैं, जनजीवन प्रभावित है लोग कैंसर सांस और दुनिया भर की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। आप इसकी महत्ता समझे इससे मेरे पूरे क्षेत्र में प्रभाव पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य का सुझाव है कि इसमें समिति गठित करके जांच करायेंगे और कुछ कार्यवाही करेंगे।

डा0 शिव प्रताप यादव–

माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि क्लिंटर जो है यह जो अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है वहां नहीं बनता है यह कोई विषैली गैस नहीं है यह एक सालिड पार्टिकल है। यह आदित्य सीमेंट, चितौढ़गढ़, राजस्थान, नीमच सीमेंट, नीमच, मध्य प्रदेश में रेल द्वारा मंगाया जाता है। मेरी पूरी बात आप सुन लें। यह हरदुआगंज रेलवे स्टेशन पर उतरता है। क्लिंटर एक हार्ड मैटेरियल है, जो लाइम स्टोन, क्ले, बॉक्साइट, आयरन आदि अयस्क आदि को फर्नेश में उच्च ताप पर पकाकर बनाया जाता है। यह कोई अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में नहीं बनता है यह बनता है राजस्थान में मध्य प्रदेश में बनता है जहां पर यह सफेद पत्थर स्टोन के बनते हैं वहां पर बनता है। जैसे मिर्जापुर हुआ नीमच हुआ वहां से मंगाया जाता है। यह सामान्यतया एक मिमी से लेकर 40 मिमी साईज के दोनों के रूप में होता है। इसको रेलवे स्टेशन से लेकर फैक्ट्री ले जाते हैं फैक्ट्री तीन चार किमी दूर है। और वहां पर फिर इस क्लिंटर को मिक्सिंग किया जाता है पिसा जाता है ग्राइंडिग किया जाता है तो इससे वहां सीमेंट बनता है। इसलिए इससे कोई विषैले गैसे होने का सवाल ही नहीं उठता है। यह बनता है मध्य प्रदेश में राजस्थान में वहां से मंगाया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो फसल की बात कही है यह माननीय अध्यक्ष जी फसल को नुकसान की बात कही गयी है फसल का नुकसान कृषि विभाग से मंगायी गयी जांच करायी गयी उन्होंने केवल मृदा परीक्षण नहीं किया बल्कि जो फसल है उसकी भी जांच करायी गयी और जो रिपोर्ट आई है कृषि विभाग की कि क्लिन्टर के द्वारा कोई भी नुकसान फसल को नहीं हुआ है और न जमीन को हुआ है और यह साइन्टिफिक भी है और हो भी नहीं सकता है कि कोई सालिड चीज मंगाया जाय दूसरे मध्य प्रदेश से राजस्थान से ट्रेन से उससे बनता है यहां पर तो वहां उसका नुकसान का असर यहां पर कैसे पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कोई भी सवाल ही नही होता। कृषि विभाग से जांच करायी गयी है यह पूरा जांच रिपोर्ट है कृषि विभाग से जॉच कराई गयी है फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्लिन्टर हरदुआगंज रेलवे स्टेशन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सीमेन्ट की, सबके लिए उतरता है। नियम यह है कि क्लिन्टर कवर होकर, ढककर वहां से आये और

फौव्वारे चलाकर स्टेशन पर उसे अनलोड किया जाय। यह पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है पूरा क्लिन्टर के फगवे में पर्त जम रही है सीमेन्ट की फैक्ट्री के उससे पर्त जम रही है आप रिपोर्ट मंगवा रहे हैं कृषि अधिकारी से वह भूमि का परीक्षण करके दे दे रहा है मैं पूछ रहा हूं क्या और रिपोर्ट आ रही है क्या। मेरा सवाल है कि आप इसमें इस प्रश्न पर दुबारा से विचार करें और इसमें पर्यावरण को सम्मिलित करते हुए समिति गठित कराकर पुनः इसकी जांच करायेंगे यह मैं जानना चाहता हूं।

डा0 शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, आप जो कह रहे हैं यह जो क्लिन्टर होता है यह सालिड होता है अब आप सुनिये और यह जो पावर प्लांट है (शोर) मैं आपको पहले बता दूं, पहले जानिये क्या है मैटर यह शोर मचाने से नहीं होता है, ज्ञान है ही नहीं, यह जो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इसमें जो सीमेन्ट बनाया जाता है, मान्यवर, ज्ञान है ही नहीं शोर मचाने से क्या होता है। यह साइंस का मैटर है (घोर व्यवधान) यह साइंस, विज्ञान का मैटर है पहले सुनिये कि कैसे सीमेन्ट बनता है आपके शोर मचाने से नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, जो यह सीमेन्ट बनता है यह क्लिन्टर और पावर प्लांट हरदुआगंज में है ।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मैं इस उत्तर के विरोध में अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री दलवीर सिंह लोक दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में पालीथीन की पन्नियों एवं लिफाफों के उपयोग से हो रहे पर्यावरण के नुकसान को रोकने का सरकार का उपाय

'04–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पालीथीन की पन्नियों एवं लिफाफों के उपयोग से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या इन पन्नियों एवं लिफाफों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

40 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पालीथीन की पन्नियों एवं लिफाफों के प्रयोग से पर्यावरण को सम्भावित नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध और प्रहस्तन) नियम, 2011 प्रख्यापित है जो कि प्रदेश में लागू है एवं जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति किसी अप्रयोज्य या पुनः

चक्रित या कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने किसी कैरी बैग का जो मोटाई में 40 माइक्रान्स से कम है, विनिर्माण, भण्डारण वितरण या विक्रय नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी प्लास्टिक के उपयोग व निस्तारण हेतु उ0 प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2000 प्रख्यापित किया गया है।

प्रदेश में प्रतिभा पलायन को रोकने एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने हेतु खेल नीति की जानकारी

'05—श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतिभा पलायन को रोकने एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कोई खेल नीति बनी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेल प्रोत्साहन हेतु विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, विशेष प्रतिभाओं को चिन्हित कर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने हेतु छात्रावास योजना, स्पोर्ट्स कालेज, विभिन्न स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार तथा खेल संघों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की नीति है।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या—3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश प्रतिभा पलायन की प्रकृति पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में एवं पुलिस विभाग में समूह 'ग' एवं 'घ' पर नियुक्त किये जाने हेतु 02 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है।

उक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु एकल एवं टीम गेम्स में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले (उ0 प्र0 के मूल निवासी) खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था है।

पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार एवं महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किये जाने की व्यवस्था की गई है तथा इनके किसी भी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद के आयोजन में वह निःशुल्क प्रवेश का अधिकारी होगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

'06—श्री सुरेश राणा—

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में उत्पादित हो रहे विभिन्न कृषि जिन्सों में खतरनाक रासायनिक तत्वों के पाये जाने की जांच कराकर इसे नियन्त्रित किये जाने की नीति का निर्धारण करना

'07—डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश में उत्पादित हो रहे विभिन्न कृषि जिन्सों में खतरनाक रासायनिक तत्वों की उपस्थिति के संदर्भ में कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो रासायनिक पदार्थों की कितनी मात्रा पाई गयी ? क्या सरकार ने इस पर नियंत्रण हेतु कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा नीति निर्धारित की गई है।

केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड (सी0आई0बी0) फरीदाबाद में स्थापित है, जिसमें फसलों में कीटनाशी रसायनों के प्रयोग से मानव एवं जानवरों में दुष्परिणाम को रोकने के लिये निर्माता इकाइयों द्वारा प्रस्तुत नवविकसित कीटनाशी रसायनों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के उपरान्त ही मानव एवं जानवरों की सुरक्षा के दृष्टिगत फसलों में उसकी मात्रा को निर्धारित करते हुए सी0आई0बी0 की पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण पत्र में यह इंगित होता है कि अमुक फसल के लिये कितनी मात्रा में कीटनाशी रसायनों का प्रयोग किया जायेगा अर्थात् लीथल डोज का निर्धारण होता है कि इससे अधिक मात्रा में कीटनाशी रसायनों का प्रयोग किया जाना फसलों, मानव स्वास्थ्य एवं जानवरों के लिये हानिकारक होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृषि वैज्ञानिकों को पुरस्कार देने की नीति की जानकारी

'08—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि वैज्ञानिकों को पुरस्कार देने की क्या नीति है ? क्या सरकार बतायेगी कि जिन वैज्ञानिकों ने कृषि, गन्ना तथा खेती से संबंधित पैदावार बढ़ाने के लिए कोई विशेष खोजों को अंजाम दिया हो, को सरकार किस तरह से पुरस्कृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

प्रदेश में कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित विषयों पर वैज्ञानिकों को उनके विशिष्ट कार्य हेतु सम्मानित करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना वर्ष 2001—02 में प्रारम्भ की गई थी, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2001—02 में 07 वैज्ञानिकों, वर्ष 2002—03 में 05 वैज्ञानिकों तथा वर्ष 2003—04 में 07 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया

गया। तत्पश्चात् धनराशि की व्यवस्था न हो पाने के कारण व्यवधान आ गया। उक्त योजना को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना के अन्तर्गत कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित किये जाने का प्रावधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा निःशक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता हेतु निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम करने सम्बन्धी जानकारी

'09—डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा निःशक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता हेतु निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995/1996 का आधिनियम संख्यांक—1) 1 जनवरी, 1996 से लागू हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश में यह पूर्णतया प्रभावी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी—

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत शूगर मिल एवं मोदी स्टील मिल द्वारा गन्दे व बदबूदार प्रदूषित पानी को रोकथाम की मांग

01—श्री सुदेश शर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र—मोदीनगर, जनपद—गाजियाबाद के अन्तर्गत मोदी शुगर मिल एवं मोदी स्टील मिल द्वारा गन्दे व बदबूदार पानी को नाले में डाला जाता है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त बदबूदार पानी से ग्राम शीकरी, जागीपुर, भोजपुर आदि गांव के निवासी गंभीर संक्रामक रोग कैंसर, डेंगू, मलेरिया आदि से पीड़ित हैं तथा पशुओं के पीने का पानी व चारे का संकट हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गन्दे पानी की रोकथाम के लिए उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

मे0 मोदी शुगर मिल (शुगर इकाई) मोदी नगर गाजियाबाद में प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है। दिनांक 06—01—2015

को अन्तिम निस्तारण बिन्दु से एकत्रित उत्प्रवाह का नमूना बोर्ड मानक के अनुरूप पाया गया है। शुद्धीकृत उत्प्रवाह को परिसर में राख को ठण्डा करने व कूलिंग टावर में रिसर्कुलेट किया जाता है तथा शेष उत्प्रवाह को कादराबाद ड्रेन के माध्यम से काली नदी में निस्तारित किया जाता है। वायु प्रदूषण स्रोत 35 टन/घंटा के तीन व 25 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता के बायलर में वायु प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्र स्थापित है।

मे0 मोदी स्टील मिल काफी समय पूर्व डिस्मैन्टल हो चुकी है। अतः इस इकाई से कोई उत्प्रवाह निस्तारित नहीं होता है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 10–03–2015 के अनुसार ग्राम सीकरी, जागीरपुर, भोजपुर आदि गांव के निवासी के संक्रामक रोग कैंसर, डेंगू, मलेरिया आदि से पीड़ित होने की सूचना किसी भी माध्यम से उपलब्ध नहीं है एवं उक्त रोगों की पुष्टि भी नहीं है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 10–03–2015 के अनुसार वर्तमान में उपरोक्त गांवों में पीने का पानी व चारे की कोई कमी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर तथा देवरिया के सीमा पर स्थित मझने नाले में ढाढा शुगर फैक्ट्री के दूषित पानी के कारण मर रही मछलियों को बचाने हेतु गन्दे पानी का रोका जाना

02–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गोरखपुर तथा देवरिया के सीमा पर स्थित मझने नाले में ढाढा शुगर फैक्ट्री का गंदा पानी छोड़े जाने से पानी दूषित होने के कारण मछलियां मर रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फैक्ट्री के गन्दे पानी के बहाव पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स न्यू इण्डिया शुगर मिल्स, ढाढा बुजुर्ग जनपद कुशीनगर के हाटा तहसील में स्थापित है। उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 13–01–15 व 12–02–15 को किया गया। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में गन्ने की पेराई कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की क्षमता 7000 टन/दिन क्रेन क्रशिंग की है। उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की गयी है। निरीक्षण दिनांक 13–1–15 को शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषित कराया गया जिसमें बीओडी की मात्रा 28

मिग्रा/ली0, सी0ओ0डी0 136 मिग्रा/ली0 तथा सस्पेन्डेड सालिड 26 मिग्रा/ली0 पायी गयी जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा मझने नाले में मिलने से पूर्व व पश्चात् का नमूना लिया गया जिसमें घुलित आक्सीजन की मात्रा (डी0ओ0) क्रमशः 7.5 मिग्रा/ली0 व 6.4 मिग्रा/ली0 पायी गयी जो केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रयोजन हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार मत्स्य पालन के योग्य पाया गया।

राजकीय कालोनी बादशाह नगर लखनऊ में पानी की टंकी के पास स्थित निष्प्रयोज्य घोषित एम्स से पानी की सप्लाई हो रही है, असुरक्षित एम्स को तोड़े जाने विषयक

03—श्री बंशी सिंह पहाड़िया—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कालोनी बादशाहनगर, लखनऊ में पानी की टंकी के पास स्थित निष्प्रयोज्य घोषित एम्स से पानी की सप्लाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या असुरक्षित एम्स को तोड़ा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां। राजकीय कालोनी बादशाहनगर, लखनऊ में पानी की टंकी के पास स्थित जिस एम्स (सम्प) से पानी की सम्लाई का कार्य किया जाता है, वह निष्प्रोज्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में व्याप्त अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

04—श्री दलवीर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में व्याप्त अनियमितताओं की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक पी0जी0—10550239/सीएम/वि0को0/एम—2014, दिनांक 27—11—2014 द्वारा कार्यवाही के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा—8 के अन्तर्गत ''फैक्ट फाइंडिंग इन्क्वारी'' कराये जाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार शासन के पत्र दिनांक 22—1—2015 द्वारा आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को जांच आख्या प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया है।

आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की आख्या प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के होनहार राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करने विषयक

05—श्री रविन्द्र भडाना—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद—मेरठ के होनहार राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (सब—जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग) में पदक अर्जित करने के फलस्वरूप वर्ष 2014—2015 में प्रोत्साहन स्परूप पुरस्कृत प्रदेशीय खिलाड़ियों में मेरठ जनपद के 32 खिलाड़ी सम्मिलित हैं।

कामनवेल्थ गेम्स—2014 हेतु पुरस्कृत खिलाड़ियों में मेरठ जनपद 02 तथ एशियन गेम्स—2014 हेतु पुरस्कृत खिलाड़ियों में 05 खिलाड़ी सम्मिलित हैं।

कामनवेल्थ गेम्स—2014 में प्रतिभाग हेतु प्रोत्साहन राशि पाने वालों में मेरठ जनपद के 03 एवं एशियन गेम्स—2014 में प्रतिभाग हेतु प्रोत्साहन राशि पाने वालों में मेरठ जनपद के 02 खिलाड़ी सम्तिलित हैं।

उक्त सभी खिलाड़ियों को दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जा चुका हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय मुख्य भवन, बापू भवन, एनेक्सी भवन तथा दारुलशफा परिसर को भूमिगत रास्तों से जोड़े जाने की सरकार की योजना

06—श्री बंशी सिंह पहाड़िया—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के सचिवालय मुख्य भवन से बापू भवन, एनेक्सी, दारुलशफा जाने हेतु सुरक्षा एवं सुरक्षित आवागमन के दृष्टिगत सचिवालय से भूमिगत रास्तों द्वारा इर्द—गिर्द की बिल्डिगों को जोड़ने की योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

सचिवालय मुख्य भवन को बापू भवन से उपरिगामी सेतु द्वारा जोड़ा जा चुका है। एनेक्सी भवन तथा दारुलशफा परिसर को भूमिगत रास्तों द्वारा जोड़ने की सम्प्रति योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

आगरा में रोशन सिंह मेमोरियल कालेज आफ एजूकेशन ग्राम—बांगुरी, पोस्ट—दिगनेर आगरा के छात्रों की सत्र 2010—11 की फीस की प्रतिपूर्ति कराये जाने की मांग

07—श्री जगन प्रसाद गर्ग—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में रोशन सिंह मेमोरियल कालेज ऑफ एजूकेशन, ग्राम—बांगुरी, पोस्ट—दिगनेर आगरा के छात्रों की सत्र 2010—11 की फीस की प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एवं प्रतिपूर्ति कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

जी हां।

शासनादेश संख्या—1668/26—3—2010/दिनांक 29—04—2010 में यह व्यवस्था थी कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं का नाम मास्टर डाटा में दिनांक 15—07—2010 तक जोड़ लिया जाय। जिसके क्रम में जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या—942—46 दिनांक 15—06—2010 द्वारा जनपद के क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (बालक/बालिका), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षाधिकारी नगर निगम को उक्त निर्देशों का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया था। क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी, आगरा के पत्रांक—4943 दिनांक 13—02—2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि रोशन सिंह मेमोरियल कालेज आफ एजूकेशन ग्राम—बांगुरी, पो0—दिगनेर, जनपद—आगरा द्वारा डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से पाठ्यक्रम संचालित किये जाने सम्बन्धी सम्बद्धता/मान्यता का पत्र उक्त निर्धारित समयावधि में उपलब्ध न कराये जाने के कारण छात्रवृत्ति मास्टर डाटा में उक्त शिक्षण संस्था का नाम सम्मिलित न होने के फलस्वरूप विद्यालय में अध्ययनरत दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति नियमानुसार वितरित नहीं हो सकी।

अतः शिक्षण संस्था का नाम वित्तीय वर्ष 2010—11 में मास्टर डाटा में सम्मिलित न होने के कारण नियमानुसार छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम मंझरिया से समय स्थान भीटी तक की सड़क के क्षतिग्रस्त होने से पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

08—श्री राजेश त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम मंझरिया से समय स्थान भीटी तक की सड़क जो मण्डी समिति द्वारा बनायी गयी थी, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां। अधिक आवागमन एवं समयान्तराल के कारण प्रश्नगत मार्ग क्षतिग्रस्त है।

मण्डी समिति गोरखपुर की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण उक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा विकास प्राधिकरण में हाल ही में हुए घोटाले में संलिप्त कर्मचारियों की जांच कराकर नोएडा अथॉरिटी को भ्रष्टाचार मुक्त कराने सम्बन्धी प्रकरण

09—श्री सुरेश राणा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा विकास प्राधिकरण में हाल ही में हुए भारी घोटाले में किन—किन कर्मचारियों की संलिप्तता पायी गयी है ? क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच कराकर नोएडा अथॉरिटी को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस—वे प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्यरत रहे श्री यादव सिंह सम्प्रति निलम्बित द्वारा अपनी पदावधि के दौरान निर्माण कार्यों का ठेका व्यक्तियों/संस्थाओं आदि को देने में की गयी अभिकथित अनियमिततायें, पदीय स्थिति का दुरुपयोग और भ्रष्ट आचरण के गम्भीर आरोप संज्ञान में आये हैं।

इस प्रकरण की जांच हेतु अधिसूचना संख्या—रिट 145/77—4—15—100एन/14, दिनांक 10—02—2015 के द्वारा सेवानिवृत्त मा0 न्यायमूर्ति श्री अमरनाथ वर्मा को एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है।

मा0 आयोग की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के पेठा निर्माण कुटीर उद्योग को सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, आंवला का मुरब्बा आदि को वैट मुक्त करने की सरकार की योजना की जानकारी

10—श्री योगेन्द्र उपाध्याय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के पेठा निर्माण कुटीर उद्योग को सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, आंवला का मुरब्बा आदि के वैट मुक्त व्यापार की भांति वैट कर से मुक्त रखने की सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

पेठा, मिठाई की श्रेणी में आता है। किसी एक मिठाई को कर मुक्त करने तथा अन्य मिठाइयों पर कर देयता अवधारित रखने से करापवंचन को बढ़ावा मिलेगा।

बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये औद्योगिक प्राधिकरण घोषित करने की सरकार की योजना की जानकारी

11—श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये क्या सरकार उस क्षेत्र को सुपर नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण घोषित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गीडा, सीडा, लीडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण पूर्व से स्थापित है। नोएडा में 29 औद्योगिक भू–खण्ड, ग्रेटर नोएडा में 255 भू–खण्ड, गीडा में 26 भू–खण्ड, सीडा में 33 भू–खण्ड आवंटन हेतु अवशेष हैं। उक्त के दृष्टिगत सम्प्रति किसी नये औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का औचित्य नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में स्थित अनुसूचित जाति राजकीय छात्रावास भवन के पास खाली पड़ी भूमि पर चहारदिवारी बनाकर खेलकूद की व्यवस्था करने सम्बन्धी

12–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में स्थित अनुसूचित जाति राजकीय छात्रावास भवन के पास छात्रावास की भूमि खाली पड़ी है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सरकारी जमीन पर छात्रों के खेलकूद आदि की व्यवस्था करते हुए चाहारदिवारी बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां।

बाउन्ड्रीवाल के निर्माण का प्रस्ताव जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के पत्र दिनांक 21–1–2015 द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका कार्यदायी संस्था से परीक्षण कराकर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद की कृषि मण्डी के पूर्वी द्वार की अत्यन्त खराब गड्ढेयुक्त सड़क के निर्माण का प्रकरण

13–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद की कृषि मण्डी की वित्तीय स्थिति अच्छी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जलालाबाद कृषि मण्डी के पूर्वी द्वार की सड़क जो अत्यन्त खराब व गड्ढ़े युक्त है, की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद की अल्लागंज नगर पंचायत में प्रस्तावित उप कृषि मण्डी के निर्माण कराने विषयक

14—श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद की अल्लागंज नगर पंचायत में उप कृषि मण्डी परिषद् का निर्माण होना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कराया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उप कृषि मण्डी हेतु उपयुक्त एवं निर्विवादित भूमि प्राप्त होने में आ रही अत्यन्त कठिनाइयों को देखते हुए उप कृषि मण्डी के स्थान पर अन्य विभाग की भूमि पर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब (ए0एम0एच0) का निर्माण माह नवम्बर, 2014 में पूर्ण करा दिया गया है।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों के आमेलन के संदर्भ में नीति निर्धारण की मांग

15—श्री अजय कुमार 'लल्लू'—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों के आमेलन के संदर्भ में कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शासनादेश दिनांक 07—04—1998 में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त मानदेय शिक्षकों के आमेलन हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 यथासंशोधित, 2006 की धारा—31ई में प्राविधान किया गया है। शिक्षकों के आमेलन हेतु पदों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014 प्रख्यापित किया गया है। उपरोक्त प्राविधानों के अधीन मानदेय शिक्षकों के आमेलन हेतु शासनादेश दिनांक 06 जून, 2014 द्वारा सम्यक् दिशा—निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में 1989 में स्थापित सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में 80 फैक्ट्रियां बन्द होने से पुनः चालू कराने की मांग

16–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में 1989 में स्थापित सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में 80 फैक्ट्रियां बन्द पड़ी हैं ? यदि हां, तो इन्हें चालू कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

अभिलेखों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया में 38 इकाइयां वर्तमान में बन्द हैं।

प्राधिकरण द्वारा बन्द इकाइयों के उद्यमियों से वार्ता कर उन्हें इकाइयों को पुनः चलाये जाने हेतु प्रेरित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में समाजवादी पेंशन के पात्र स्वीकृत फार्मों के सापेक्ष पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को धनराशि का आवंटन किया जाना

17–श्री मनीष असीजा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में समाजवादी पेंशन के पात्र स्वीकृत फार्मों की कुल संख्या 52886 के सापेक्ष 37580 का लक्ष्य स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो क्या शेष स्वीकृत पात्रता रखने वाले 15306 आवेदकों हेतु लक्ष्य बढ़ाकर पेंशन धनराशि आवंटित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद का भौतिक लक्ष्य 37580 निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 52886 आवेदक पात्र पाये गये हैं।

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में शासनादेश संख्या–1098/26–2–2014–100(1)/2013, दिनांक 23–05–2014 द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों हेतु 40 लाख परिवारों के लिये जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में जनपद फिरोजाबाद का लक्ष्य बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में मछली की मांग के अनुसार उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रभावी कदम उठाने की सरकार की योजना

18–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मछली की मांग के अनुसार उत्पादन बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक और कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री इकबाल महमूद)–

जी हां।

जी हां।

प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिये उ0 प्र0 फिशरीज विजन एण्ड पर्सस्पेक्टिव प्लान फार डेवलपमेंट आफ फिशरीज सेक्टर (2013 से 2023) अवधारित किया गया है। मत्स्य पालन का कृषि का दर्जा प्रदान किया जा चुका है एवं मत्स्य पालन हेतु समान पट्टा नीति प्रस्तावित है। उपलब्ध जल क्षेत्रों का मत्स्य पालन हेतु आच्छादन, सघन मत्स्य पालन के प्रोत्साहन में एरेशन सिस्टम, बड़े आकार के उन्नतशील मत्स्य बीज का उत्पादन, मिनी हैचरियों की स्थापना, पूरक आहार के लिये फिश फीड मिल की स्थापना एवं जलाशयों में केज कल्चर को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्नतशील मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तरीय फिश ब्रूड बैंक की स्थापना की जा रही है जिसके लिये निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मीनाशयों, जलाशयों, बन्धों की व्यवस्था एकल विन्डो सिस्टम के माध्यम से करके मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था लागू करने विषयक

19—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मीनाशयों, जलाशयों, बन्धों की व्यवस्था एकल विन्डो सिस्टम के माध्यम से करके मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था सरकार लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इकबाल महमूद—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के पूर्वी उ0 प्र0 में मत्स्य पालकों के मत्स्य पालन हेतु ऋण संबंधी समस्या का निराकरण करने हेतु प्रभावी कदम उठाने की मांग

20—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वी उ0प्र0 में मत्स्य पालकों के मत्स्य पालन हेतु ऋण संबंधी फाइल जिला मत्स्य विकास अभिकरण द्वारा बैंकों में भेजने पर उसका निस्तारण समय से नहीं हो पाता है जिससे मत्स्य पालक को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऋण संबंधी समस्या के त्वरित निस्तारण हेतु कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इकबाल महमूद—

ऋण वितरण समस्या का निराकरण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (डी0एल0 आर0सी0) पूर्व से गठित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्त समिति के माध्यम से ऋण वितरण सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण किये जाने की व्यवस्था है।

जनपद मथुरा में नवनिर्मित हवाई अड्डे को मथुरा में बनाये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

21—श्री पूरन प्रकाश—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में नवनिर्मित हवाई अड्डे को मथुरा में बनाये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्रांक सी0 एम0/वि0 को0/एम0 पी0 जी0 10547861/2014, दिनांक 24—11—2014 प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग को आवश्यक कार्यवाही के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

देश—विदेश के पर्यटकों की सुविधा की दृष्टि से आगरा—मथुरा क्षेत्र में हवाई अड्डा निर्माण के अनुरोध विषयक मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 18—11—2014 के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद मथुरा—आगरा के निकट स्थित बलदेव—बरौली नामक स्थल मथुरा स्थित इण्डियन आयल कारपोरेशन की रिफाइनरी के नो—फ्लाइंग जोन तथा खेरिया एयरपोर्ट की फनेल—कान्फिलक्ट में स्थित है। अतः यहां पर हवाई अड्डा स्थापित किया जाना फिजिबुल नहीं पाया गया है। भारत सरकार द्वारा जी0एम0आर0 कम्पनी से किये गये अनुबन्ध में ''फर्स्ट राइट टू रिफ्यूजल'' के कारण इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली से 150 कि0मी0 की परिधि में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना पर प्रतिबन्ध है।

उक्त तकनीकी कारणों के दृष्टिगत आगरा—मथुरा क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से सम्बन्धित परियोजना के लिये नामित परामर्शदात्री संस्था मे0 राइट्स लिमिटेड द्वारा व्यापक सर्वे और अध्ययन के उपरान्त टूण्डला के निकट जनपद फिरोजाबाद स्थित हिरन गांव नामक स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना/निर्माण प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के किसानों को रबी की फसलों के लिए यूरिया रासायनिक खाद की समस्या से निजात के लिये ठोस उपाय बनाये जाने की मांग

22—श्री नदीम जावेद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के किसानों को रबी की फसलों के लिए यूरिया रासायनिक खाद नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निजात के लिए कोई ठोस प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

प्रदेश शासन कृषकों को आवश्यकतानुसार उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। जनपद जौनपुर में विगत रबी 2013–14 में दिनांक 14 फरवरी, 2014 तक 40454 मी0 टन यूरिया उर्वरक का वितरण हुआ था, जबकि इस वर्ष रबी 2014–15 में दिनांक 14 फरवरी, 2015 तक निर्धारित लक्ष्य 40273 मी0 टन के सापेक्ष 49337 मी0 टन यूरिया उर्वरक की उपलब्धता जनपद में सुनिश्चित की गयी है, जिसमें से 45689 मी0 टन मात्रा का वितरण कृषकों को कराया जा चुका है तथा 3648 मी0 टन यूरिया उर्वरक कृषकों के वितरण हेतु जनपद में अवशेष है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की ग्राम सभाओं के तालाबों में जहर छोड़ देने से मछलियों के मरने से हुई हानि को देखते हुए मत्स्य पालन में बीमा की योजना लागू करने की मांग

23–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत ग्राम सभाओं के तालाबों में रंजिश वश कुछ लोगों द्वारा तालाबों में जहर छोड़ दिया जाता है जिससे मत्स्य पालकों को अत्यधिक क्षति होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके हितों को देखते हुए कृषि फसलों की भांति मत्स्य पालन का भी बीमा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इकबाल महमूद–

प्रदेश के मत्स्य पालकों के तालाबों/पोखरों में पाली जाने वाली मछलियों की बीमा योजना नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड तथा ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड आदि द्वारा पूर्व से संचालित की जा रही है। जिसमें मत्स्य पालकों के ऐच्छिक आधार पर मत्स्य उत्पादों का बीमा किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त कृषि फसलों हेतु राष्ट्रीय फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित है, जिसमें स्थानिक आपदा से फसलों की हुयी हानि की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

पिछले पांच वर्षों में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उद्योगों हेतु आवंटित भूमि पर स्थापना के बन्द होने के कारण पुनः चालू कराया जाना

24–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किन–किन उद्योगों की आवंटित भूमि पर स्थापना की गई है एवं कितने बंद हो गये हैं ? क्या सरकार बंद उद्योगों को पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना हेतु पिछले पांच वर्षों में प्रदेश में कुल आवंटित भू–खण्डों में से 1340 भू–खण्डों पर इकाई उत्पादनरत् है तथा 500 भू–खण्डों पर इकाइयां बन्द हैं।

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा वर्तमान में आवंटन तिथि से इकाई स्थापना हेतु 03 वर्ष का समय अनुमन्य किया जाता है। कई इकाइयों का आवंटन तिथि से तीन वर्ष का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। निगम द्वारा उन भू–खण्डों पर जहां इकाइयां चलकर बन्द हो गयी हैं, उनको पुनः स्थापित करने हेतु सबलेटिंग के साथ ही निगम के प्रचलित नियमानुसार भू–खण्ड हस्तान्तरण की सुविधा अनुमन्य की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती मंहगाई को देखते हुए वृद्धावस्था पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी करने की मांग

25–श्री नदीम जावेद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती मंहगाई को देखते हुए वृद्धावस्था पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं।

उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु नीति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर का ध्वनि प्रदूषण को रोकने की कार्यवाही करने सम्बन्धी प्रकरण

26–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए वर्तमान सरकार ने क्या नीति बनायी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश थे कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग वर्जित है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन आदेशों के बाद भी प्रदेश में रात्रि में लाउड स्पीकर बड़े पैमाने पर प्रयोग होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम–2000 प्रख्यापित किये गये हैं जो दिनांक 14–02–2000 से प्रभावी हैं एवं 2010 में संशोधित किये गये हैं। जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त अथवा अन्य अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक स्तर से कम का न हो सम्मिलित है।

उक्त ध्वनि प्रदूषण नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिये ध्वनि मानकों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय तथा शान्त क्षेत्रों/परिक्षेत्रों में वर्गीकृत कराया गया है जिसके अन्तर्गत सभी अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं एवं न्यायालयों के आस–पास कम से कम 100 मीटर की परिधि के क्षेत्र को शान्त जोन/क्षेत्र घोषित किया गया है। मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्र सं0–2705/53–पर्या–2001–291 रिट/2000, दिनांक 24–07–2001 के अनुक्रम में प्रदेश में उड़न दस्ते का गठन किया गया है। जिसके अन्तर्गत नगर मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट (अध्यक्ष), सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी सदस्य हैं।

जी हां।

जी नहीं।

ध्वनि प्रदूषण की शिकायत/सूचना प्राप्त होने पर दोषी व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

सिक्खों में कम्बोज जाति को पिछड़ी जाति होने का प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु शासनादेश

27–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिक्खों में कम्बोज जाति ओ0बी0सी0 के अन्तर्गत आती है ? यदि हां, तो प्रदेश में इस जाति के लोगों को प्रमाण–पत्र जारी करने की नीति क्या है ? क्या सरकार सिक्खों के जो बच्चे यू0पी0 में पैदा हुये हैं, को कम्बोज जाति का प्रमाण–पत्र जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जिनके पास पहले से कम्बोज जाति का प्रमाण–पत्र है, उनका नवीनीकरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

जी हां।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1994 की धारा–9 में यह प्राविधानित है कि इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजन के लिए जाति प्रमाण–पत्र, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा तथा ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रारूप में जारी किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करें। उक्त धारा–9 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके कार्मिक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–484/का–1/94–1/1/1994 दिनांक 29–3–1994 के माध्यम से जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के दिशा–निर्देश निर्गत किये गये।

कम्बोज जाति को पिछड़ी जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1 द्वारा शासनादेश संख्या–1943/64–1–2013–7/2013 दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 निर्गत किया गया।

उपरोक्त शासनादेशों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

जनपद लखीमपुर खीरी में चीनी मिल का धुआं हवा में छोड़ने के लिये लगाई गई चिमनी मानक के अनुरूप न होने से जांच कराकर कार्यवाही करने सम्बन्धी

28–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्पनी चीनी मिल जनपद लखीमपुर खीरी के द्वारा धुएं को हवा में छोड़ने के लिये लगायी गयी चिमनी अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल द्वारा फैलाये जा रहे वायु प्रदूषण की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

कम्पनी चीनी मिल जनपद–लखीमपुर खीरी नामक कोई उद्योग अभिलेखानुसार जनपद–लखीमपुर में कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम रसधान से देवपुर तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

29–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम रसधान से देवपुर तक बनी सड़क गड्ढा युक्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

ग्राम रसधान से देवपुर तक नहीं, बल्कि मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 2008 में एन0एच0–2 से ग्राम रसधान में केशवदेव मन्दिर तक 1.45 कि0मी0 मार्ग का निर्माण कराया गया है जो समयान्तराल एवं अत्यधिक आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है।

मण्डी समिति औरैया की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में तिलहर विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकृत/मरम्मत कराया जाना

30–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में तिलहर 133, विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर में नेशनल हाई–वे पर दीनदयाल उपाध्याय डिग्री कालेज के पास ग्राम बिलहरा तक पक्के क्षतिग्रस्त मार्ग पर जल भराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां, प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग के 250 मी0 भाग पिछले वर्षो में आयी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य विकास कार्यो की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत सम्पर्क मार्ग के उक्त भाग के मरम्मत पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

ख12.21, प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, हम आपके आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य आपका सम्मान करते हैं और आपके निर्देशों का पालन सभी सदस्य करते हैं और आप माननीय मंत्रीगण को उत्तर में काफी मदद कर देते हैं यह ठीक है।

श्री अध्यक्ष–

आपको भी करते हैं।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन हम सदस्यगणों के लिए यह परम्परा है कि कोई सदस्य किसी में प्रश्न पूछ सकते हैं तो हमें आपका संरक्षण चाहिए कि यदि कोई सदस्य प्रश्न पूछता है तो कृपापूर्वक आपका संरक्षण चाहिए और उसको अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आपके सुझाव को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं लेकिन प्रश्न यह भी है कि जब प्रश्न का उत्तर पूरा आ जाता है सप्लीमेन्टरी के माध्यम से तो उसके पूछने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। छोटा सा प्रश्न था और उसमें सारे उत्तर आ गये थे हमें अधिक से अधिक प्रश्न लेना चाहिए। अधिक से अधिक प्रश्न लेने से सदन को बहुत सी जानकारी हो जाती है ।

ख12.23, प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

पहले नियम 301 ले लें।

(श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री बंशी सिंह पहाड़िया सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक सदस्यों द्वारा अपने–अपने आसन पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर शोर)

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कृपया मुझे अपनी बात कहने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये खड़े हैं, पहले इनको बोल लेने दीजिये, उसके बाद आप अपनी बात कहियेगा, आपकी बात भी सुन ली जायेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान आज की कार्यसूची में अतारांकित प्रश्न संख्या–27 की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। सरकार द्वारा इसके उत्तर में कहा गया है कि शासनादेश के तहत इसमें व्यवस्था कर दी गई है। अब हम नाली का पानी देखकर हिमाचल पर्वत पर पहुंच जाये तो क्या तब शासनादेश मिलेगा ? माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि प्रश्नों का सुसंगत उत्तर मिलना हमारा अधिकार है और आप भी इससे सहमत होंगे। आप जब इस तरफ बैठते थे तो आप भी इस बात को कहते थे। इसमें जिस शासनादेश का जिक्र किया गया है उस शासनादेश को इस प्रश्न का संलग्नक नहीं बनाया गया है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह परम्परा चली आ रही है कि आधा उत्तर दे दें तो भी ठीक है और चाहे जितना दे दें वह भी ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि उत्तर में शासनादेश को संलग्न करने की व्यवस्था होनी चाहिये। जिस शासनादेश का जिक्र किया है, अब हम उस शासनादेश को ढूंढने कहां जायें ? एक तो प्रश्न का उत्तर एक दिन पहले हमको मिलना चाहिये, लेकिन वह नहीं मिलता है। आज सुबह ही इसका उत्तर हमें दिया गया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी पीठ से इस बात के निर्देश हैं। मैं कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आप अतारांकित प्रश्न संख्या–26 को देख लें, यह नीतिगत प्रश्न है। एक दिन में अगर हम पांच प्रश्न लगाते हैं तो उसमें से एक तारांकित हो जाता है और शेष प्रश्न अतारांकित हो जाते हैं। यह नीतिगत प्रश्न है और पूरे प्रदेश से संबंधित है, जो किसी की भूल से या किसी की त्रुटि से रह गया है। प्रश्न संख्या–26 ऐसी समस्या से संबंधित है जिससे पूरा प्रदेश पीड़ित है, तो माननीय अध्यक्ष जी मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर किसी रूप में यह परिवर्तित हो सके तो आप कर दीजिये, वरना इसे हम दोबारा लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय खन्ना जी, आपने इस प्रकरण पर ध्यान आकर्षित किया है, हम इसको दिखवा लेंगे।

ख12.24, पूर्व प्रधान मंत्री भारत सरकार को सी0बी0आई0 द्वारा सम्मन जारी किये जाने विषयक प्रकरण उठाने का प्रयास

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, डा0 मनमोहन सिंह पूर्व प्रधान मंत्री जी के ऊपर मोदी की सरकार के इशारे पर सी.बी.आई. द्वारा सम्मन जारी किया है जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में रोष व्याप्त है। हम इसका विरोध करते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अपनी–अपनी सीटों से खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

बिना नोटिस के आप क्यों बोल रहे हैं ? पहले आप किसी विषय पर कोई नोटिस देते, फिर उसके बाद बोलते। जो भी मन में आयेगा, क्या उसे बोलने लगेंगे। यह गलत बात है। यह यहां लिखा नहीं जायेगा। यह यहां क्यों उठा रहे हैं, जाकर दिल्ली में उठाईये जहां आपकी पार्टी है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी अपनी–अपनी सीटों पर खड़े होकर जोर–जोर से बोलने लगे जिससे सदन में शोर उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

यहां यह बात उठाने का क्या मतलब है ? आप कोई नोटिस देते या किसी नियम में उठाते। पहाड़िया जी, आप नियम जानते तो हो नहीं केवल हल्ला करना जानते हो। आप लोग अपने–अपने स्थान पर बैठिये।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री वंशीसिंह पहाड़िया, श्री दिलनवाज खान सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्य वेल में आ गये और केन्द्र सरकार के विरोध में भूमि अधिग्रहण बिल वापस लो के लिखे बैनर दिखाने लगे व नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

यह यहां नहीं दिखाईये, यह प्रदर्शन का स्थल नहीं है। आप लोग, अपनी–अपनी सीटों पर जाईये, यह अच्छी बात नहीं है। यह यहां का मामला नहीं है, जहां आपको लड़ना है, वहां आपकी ताकत है नहीं, तो क्या यहीं लड़ लेंगे। जाईये अपनी सीटों पर जाईये।

(घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वेल में मौजूद सदस्यों द्वारा अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने पर–घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

ख12.25, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12–03–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 16 सूचनायें स्वीकार की गईं। पहली सूचना श्री योगेन्द्र उपाध्याय की जनपद आगरा की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर के अन्तर्गत मुस्लिम बाहुल्य आबादी जमाईपुरा तथा झारखण्डी में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ कराये जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना श्रीमती सीमा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर अन्तर्गत जर्जर जंघई सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। चौथी सूचना डा0 अरुण कुमार की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नगर के नालों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पांचवी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा के कतिपय क्षेत्रों की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है।

(इसी मध्य भारतीय राष्ट्रीय काग्रेंस के श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल के सदस्यों सहित नारेबाजी करते हुये सदन से बहिर्गमन कर गये)

छठी सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की वाराणसी महानगर में जाम की समस्या के निराकरण हेतु रिंग रोड का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री सुशील सिंह की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद गोरखपुर के ब्लाक गोला अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। नवीं सूचना श्री मनीष रावत की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में ट्रामा सेंटर की स्थापना कराये जाने के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री भाई लाल कोल की जनपद मीरजापुर के विकास खंड हलिया अन्तर्गत वन्यजीव क्षेत्र में 07 किमी0 सड़क एवं 200 मी0 नहर का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री संजय प्रताप जयसवाल की जनपद बस्ती के जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में है। बारहवीं सूचना चौ0 गजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के ग्रामों को जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में सम्मिलित किये जाने के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय जर्जर मार्गो की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। चौदहवीं सूचना श्री काली चरण सुमन की जनपद आगरा स्थित ग्राम नगला कारे में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की जनपद महोबा में राज्यांश के अन्तर्गत नवीन सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। सोलहवीं सूचना श्री महावीर सिंह राणा की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट की कतिपय नदियों के पुलों पर एप्रोच रोड बनाये जाने के संबंध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं। श्री राजीव गुम्बर, डा0 अजय कुमार, श्री दलवीर सिंह, श्री सुदेश शर्मा, श्री पूरन प्रकाश, श्री पूर्णमासी देहाती, श्री जियाउद्दीन रिजवी/श्री जय प्रकाश अंचल, श्री मोहम्मद इरफान, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री प्रदीप माथुर, श्रीमती आराधना मिश्र 'मोना', श्री रविन्द्र

कुमार मोल्हू, श्री अनीसुर्रहमान, श्री उदयराज, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री उमेश पाण्डेय, श्री सुरेश बंसल, श्री विजय कुमार दुबे तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद आगरा की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विश्व विख्यात पर्यटन नगरी आगरा की उप जर्जर सड़कों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिनसे आगरा शहर प्रदेश एवं सम्पूर्ण देश की छवि देशी–विदेशी पर्यटकों में न सिर्फ धूमिल हो रही है बल्कि शर्मसार भी कर रही है।

आगरा में अलबलिया क्षेत्र में स्थित विजय विहार, अवधपुरी फेस–ण ण मारुति स्टेट, मारुति एन्क्लेव शाहगंज क्षेत्र स्थित इन्द्रा कालोनी, अशोक बिहार, केदारनगर की सड़कें ऐसी हो गई हैं जो कि किसी शहर की सड़कों का आभास कराना तो दूर गांव के कच्चे दगड़ों से भी बदतर हो गई हैं। इनमें वाहन से चलना मुश्किल हो चुका है साथ ही पैदल चलना दूभर हो गया है। इस कारण आगरा की जनता में भी भारी रोष है। जनहित में इन सड़कों का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का उपरोक्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों की दुर्दशायुक्त सड़कों के निर्माण की मांग करता हूं।,

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर के अन्तर्गत मुस्लिम बाहुल्य आबादी जमाईपुरा तथा झारखण्डी में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

ख्महोदय,

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर में जमाईपुरा तथा झारखंडी (नई आबादी) अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले मोहल्ले हैं जिनकी आबादी लगभग 10,000 है लेकिन वहां के घरों में उचित रूप से विद्युत आपूर्ति तथा कनेक्शन देने हेतु खम्भों तथा तारों की व्यवस्था नहीं है और ना ही विद्युत ट्रान्सफार्मर लगाये गये हैं। वहां के लोग दूर–दूर से केवल डालकर अपने घरों में विद्युत आपूर्ति कराते हैं जिसके कारण वहां अक्सर विद्युत फाल्ट होते रहते हैं तथा विद्युत दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। जनहित में सिकन्द्राबाद नगर के उक्त दोनों मोहल्लों में तार खम्भे तथा विद्युत ट्रान्सफार्मरों का लगना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।,

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर अन्तर्गत जर्जर जंघई सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा–

ख्महोदय,

विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर के अन्तर्गत बादशाहपुर से निभापुर होते हुए जंघई सम्पर्क मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत तीन वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था परन्तु निर्धारित 05 वर्ष की समयसीमा से पूर्व ही उक्त मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में होने की वजह से दो मौतें भी हो चुकी हैं। कई लोग दुर्घटना के कारण जख्मी भी हो चुके हैं। बार–बार सम्बन्धित विभाग (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) को लिखने के बाद भी अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। क्षेत्रीय जनता मार्ग निर्माण की मांग को लेकर धरने पर बैठी रही। सम्बन्धित अधिकारियों के लिखित आश्वासन के उपरान्त भी अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। जनमानस में घोर आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बादशाहपुर से निभापुर होते हुए जंघई सम्पर्क मार्ग का तत्काल निर्माण कराये जाने की मांग करती हूं।,

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नगर के नालों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार–

ख्बरेली नगर विधान सभा क्षेत्र में नालों की स्थिति बहुत ही गम्भीर है। अधिकतर नाले कूड़ा एवं पालीथीन से पटे पड़े हैं उनकी दिवारें कच्ची एवं टूटी पड़ी हैं। बरसात का मौसम आने वाला है बन्द पड़े नाले नीचले स्तर के मोहल्लों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देते हैं जिससे गन्दे नालों का पानी घरों एवं सड़कों में प्रवेश कर जाता है जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा के कतिपय क्षेत्रों की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा के कालिन्दी पुरम्, मऊ की बड़े पार्क के चारों ओर की जर्जर सड़कों से उत्पन्न स्थिति को आकृष्ट कराना चाहता हूं।

कालिन्दीपुरम्, मऊ, आगरा की बड़े पार्क की चारों ओर की सड़कों का निर्माण विगत 05 वर्षों से नहीं हुआ है जिसके कारण मार्ग जीर्णशीर्ण हालत में हो गये

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं। कालोनी वासियों का यहां के पार्क में घूमने जाने हेतु निकलना मुश्किल हो गया है। इस कारण क्षेत्र की जनता में भारी रोष है। जनहित में इन सड़कों का निर्माण कराने की अति आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस बड़े पार्क के चारों ओर की सड़कों के निर्माण कराने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

वाराणसी महानगर में जाम की समस्या के निराकरण हेतु रिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

ख्महोदय,

वाराणसी महानगर विश्व की प्राचीनतम् सांस्कृतिक शहर है जहां देश–विदेश से हजारों पर्यटक रोजाना वाराणसी आते हैं। अत्यन्त प्राचीन शहर होने के कारण संकरी गलियां और मार्ग हैं जिस कारण प्रायः जाम की समस्या बनी रहती है। आबादी में वृद्धि होने तथा उस अनुपात में मार्गों का चौड़ीकरण न होने से यह समस्या और भी विकट हो गई है। इस समस्या के समाधान हेतु वाराणसी महानगर के बाहरी क्षेत्र में 56 किमी0 लम्बे रिंग रोड का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये भारत सरकार से निधि अवमुक्त हो चुकी है। मात्र 35 किमी0 की सड़क निर्माण की भूमि प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराई गई है 21 किमी0 की भूमि प्रदेश सरकार को उपलब्ध करानी है जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है जिस कारण रिंग रोड निर्माण का कार्य बाधित है। कई बार शासन प्रशासन से अनुरोध करने के उपरान्त अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे नागरिकों को अत्यन्त असुविधा हो रही है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए रिंग रोड निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुशील सिंह–

ख्महोदय,

मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा, चन्दौली अन्तर्गत विकास खण्ड चहनियां में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु बिल्डिंग का निर्माण सन् 2010 में प्रारम्भ हुआ जिसको सन् 2012 तक पूर्ण हो जाना था लेकिन आज तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

अतः मा0 अध्यक्ष जी आप से सादर अनुरोध है कि किस कारणों से आज तक बिल्डिंग निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग करता हूं।,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक गोला के अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

ख्महोदय,

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत ब्लाक गोला में ग्राम मदरिया तप्पप बरहज, परगना धुरियापार, तहसील गोला के आराजी नं0–428 जो कि ग्राम समाज की भूमि है पर पुलिस की मिलीभगत से अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। इस क्षेत्र के निवासियों द्वारा जिलाधिकारी से शिकायत की गई जिस पर जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा एवं अन्य न्यायालयों के आदेश के बावजूद भी अवैध रूप से कब्जे किये जा रहे हैं। जनहित में ग्राम समाज की भूमि पर किये जा रहे कब्जे पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने एवं अवैध कब्जा को तत्काल हटाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष रावत–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सिधौली जनपद सीतापुर अन्तर्गत सिधौली में हाइवे व ट्रामा सेन्टर न होने के कारण अटरिया कस्बे के अन्तर्गत अधिकांश दुर्घटनायें एवं मृत्यु होती रहती हैं। यहां से सीतापुर की दूरी 35 किमी0 लखनऊ की दूरी 55 किमी0, नैमिषधाम की दूरी 40 किमी0, बिसवां की दूरी 30 किमी0 व महमूदाबाद की दूरी 30 किमी0 होने के कारण लोगों का इलाज आदि की सुविधा न मिलने के कारण मृत्यु होती रहती है। जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र सिधौली अन्तर्गत अटरिया कस्बे में हाइवे व ट्रामा सेन्टर खोला जाना अति आवश्यक है। उक्त सुविधाओं के लिये क्षेत्रीय जनता द्वारा ट्रामा सेन्टर खोले जाने एवं हाइवे बनाये जाने की बराबर मांग की जाती रही है। परन्तु इसके बावजूद भी उक्त सुविधायें लोगों को नहीं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल सिधौली में हाइवे बनाये जाने एवं ट्रामा सेन्टर खोले जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मीरजापुर के विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत वन्यजीव क्षेत्र में 07 कि0मी0 सड़क एवं 200 मी0 नहर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भाई लाल कोल–

ख्महोदय,

अवगत कराना है कि जनपद मीरजापुर के विकास खण्ड–हलिया अन्तर्गत हलिया सम्पर्क मार्ग से भटवारी होते हुए कुशियरा जाने हेतु दो न्याय पंचायतें पड़ती हैं। आज तक वहां पर जाने हेतु कोई अन्य मार्ग नहीं है जो मार्ग गया हुआ है उसमें 07 किमी0 परिक्षेत्र वन्य जीव/वन विभाग का पड़ता है एवं 200 मीटर नहर का परिक्षेत्र भी पड़ता है जिसे वन विभाग द्वारा रोक दिया गया है। करोड़ों की नहर परियोजना वन विभाग के कारण मूर्त रूप नहीं ले पाई और न ही वन विभाग द्वारा 07 किमी0 सड़क बनाने दिया गया। जिससे दो न्याय पंचायत के लोगों को आने–जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यह जनहित से जुड़ा अति महत्वपूर्ण विषय है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद बस्ती के जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल–

जनपद बस्ती में जिलापूर्ति अधिकारी के द्वारा वर्ष 2013 से आज तक मिट्टी के तेल, अन्त्योदय, ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 कार्डों के माध्यम से वसूली किया जा रहा है। जनपद बस्ती में मिट्टी के तेल का आवंटन 1620 कि0ली0 है। जिलापूर्ति अधिकारी, बस्ती द्वारा मिट्टी के तेल का थोक विक्रेताओं से रु0 250/– ड्रम प्रतिमाह तथा कोटेदारों से पूर्ति निरीक्षक एवं पूर्ति लिपिक द्वारा अन्त्योदय कार्डधारक से रु0 50/– बी0पी0एल0 कार्डधारक से रु0 30/–, ए0पी0एल0 से रु0 100/– प्रति कुन्तल व चीनी पर 50/– प्रति कुन्तल तथा मिट्टी के तेल पर रु0 50/– प्रति ड्रम के हिसाब से ग्रामीण अंचल के कोटेदारों से वसूल किया जाता है। जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा 30 सितम्बर, 2014 से 01 दिसम्बर, 2014 तक 03 बार रेट रिवाइज किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का आवंटन घटाकर कार्डों की संख्या के अनुरूप वितरण मानक 2.55 ली0 प्रति कार्ड तथा शहरी क्षेत्र में प्रति कार्ड 3 लीटर की दर से निर्धारित कर दिया। उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0 9891/एम0वी0/2012 बुधई बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य पारित आदेश दि0 29–11–2014 द्वारा आवंटन शासनादेश के अनुसार 2.62 लीटर प्रति कार्ड ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में जारी किया गया। न्यायालय के आदेश एवं शासनादेश के बावजूद शहरी क्षेत्रों का आवंटन पूर्ववत् रखा गया और ग्रामीण क्षेत्रों में मास्टर डाटा से अधिक संख्या वाले कार्डों को निरस्त कर दिया गया और नगरीय क्षेत्रों के कार्डों को यथावत् रखा गया। नगरीय क्षेत्र में पूर्ति निरीक्षक एवं पूर्ति लिपिक कई वर्षों से जनपद बस्ती में ही कार्यरत हैं जबकि अन्य तहसीलों में हर तीसरे माह कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाता रहता है। आबादी से अधिक बोगस कार्डों को आवंटित तेल

की कालाबाजारी कराकर धन उगाही कराने का फार्मूला अपनाया गया है। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान मेरे विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ग्रामीण कोटेदारों द्वारा बताया गया कि हम लोगों को खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल व चीनी सरकार द्वारा वितरण करने के लिये जो आवंटित होता है वह विभागीय भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। प्रकरण जनहित से जुड़ा लोकमहत्व का है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के ग्रामों को जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजेन्द्र सिंह–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत ब्लाक–अगौता, लखावटी, बुलन्दशहर, अनूपशहर, जहांगीराबाद के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के विकास कराये जाने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी को पत्र भेजकर विकास कराने का अनुरोध कि जिसके क्रम में मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से पत्र संख्या–961/80–1–2012–600(7) से कमालिनी श्रीवास्तव, उप सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास अनुभाग–4, संख्या–विधा0 58/38–4–12–38(विविध)/2012 लखनऊ दिनांक 21 जून, 2012 के अनुसार डा0 हरिश्चन्द्र विशेष कार्याधिकारी द्वारा पत्र कृषि विपणन को पत्रांक मु0अभि0 (जनेश्वर मिश्र ग्रा0यो0–3629)/2012–1464 दिनांक 06–08–2012 का आदेश दिया लेकिन अभी तक मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय द्वारा अनेकों बार आदेश होने के बाद भी अभी तक मेरी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में जनेश्वर मिश्र ग्रा0यो0 के अन्तर्गत कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में यथाशीघ्र जनेश्वर मिश्र ग्रा0यो0 के अन्तर्गत चिन्हित ग्रामों में धन आवंटित कर विकास कार्य करने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्महोदय,

अवगत कराना है कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड चन्दौली में बनौली चट्टी से शाहपुर होते हुए मिश्रीपुर नेशनल हाईवे तक सड़क एवं चन्दौली नहर से ग्राम सभा गोरारी तक मार्ग बहुत ही जर्जर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है सड़क के बहुत बड़े–बड़े गड्ढ़े हैं जिससे आवागमन पूर्णतया बाधित रहता

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। बरसात के समय सड़क में गड्ढ़ों में पानी भर जाता है आवागमन बाधित होता रहता है जिससे अनेकों दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिसके कारण से क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु एवं बरसात के समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में अनेकों बार विधान सभा सत्र में प्रश्न के माध्यम से एवं पत्राचार के माध्यम से एवं वार्तालाप से शासन को अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा स्थित ग्राम नगला कारे में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन सुमन–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नगला कारे मनकेड़ा वि0खं0 अकोला अति पिछड़ा गांव है। जो काफी समय से इस गांव के अन्तर्गत गांव की परिक्रमा मार्ग में जलभराव तथा मनकेड़ा नगला कारें सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त जलभराव गलियां कच्ची होने के कारण आदि होने के कारण क्षेत्रीय जनता आने–जाने एवं बच्चों को पढ़ने में आने–जाने में अति कठिनाइयों का काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तथा पेयजल की काफी समस्या है। टी0टी0 एस0पी0 की पानी की टंकियां बन्द पड़ी हैं तथा हैण्डपम्प रिबोर के लिये है इन आदि समस्याओं को लेकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। अपनी मांग को लेकर दि0 3/2/2015 को ग्रामीणों के साथ गांव की सावित्री नामक की महिला अपने गांव की समस्या को लेकर पुलिस आगरा पानी की टंकी पर चढ़ करके आत्महत्या करने के लिये उतारू हो गई जिसके फलस्वरूप जिला प्रशासन आगरा ने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के अन्दर नगला कारे मनकेड़ा मूलभूत समस्याओं का समाधान कर दिया जायेगा। परन्तु आज तक इस गांव की समस्या का निदान अभी तक नहीं हो पाने से एवं आगे गांव में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके जिससे क्षेत्रीय जनता सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्राम नगला कारे (मनकेड़ा) आगरा की मूलभूत गम्भीर समस्याओं के समाधान कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद महोबा में राज्यांश के अन्तर्गत नवीन सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज–

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय,

अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद महोबा में ग्राम लुहेडी बस स्टैण्ड से पठारी मार्ग, छानी रोड से कैमाहा होते हुए रिवई मार्ग, महोबा टेलीफोन एक्सचेंज (चन्द्रपुरा) से बनियातला मार्ग, मवई खुर्द से भैस्ता नहर पटरी मार्ग, बड़खेरा रजवाहा मार्ग का पुनर्निर्माण उरवारा से कैमाहा मार्ग, अतरार ग्राम से कछियनपुरवा, सुनैचा से न्यूरिया मार्ग, बीला दक्षिण सेमकरवई खोड़े तक, खन्ना ग्योडी से इलाही पुरवा सम्पर्क मार्ग, सिंघनपुर बघारी मार्ग से बारी मार्ग के निर्माण की क्षेत्रीय जनता लगातार जनसम्पर्क के दौरान मांग करती आ रही है। जनहित में उपरोक्त मार्गों के राज्यांश के अन्तर्गत निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः महोदय इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त मार्गों के निर्माण कार्य किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट की कतिपय नदियों के पुलों पर एप्रोच रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महावीर सिंह राणा–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बेहट जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत जनता रोड़ पर नागादेव नदी के पुल की अप्रोच्च रोड, एवं छुटमलपुर हलवाना मार्ग पर हिण्डन नदी के पुल के अप्रोच्च रोड 2013–14 में आई भयंकर बाढ़ आने के कारण बह गई थी। इन मार्गों से लगभग 60 गांवों के लोगों एवं छात्र छात्राओं का आना जाना रहता है। जो बाधित है। शेष मार्ग अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में बड़े–बड़े गड्ढ़े होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। जिससे क्षेत्रीय लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यथाशीघ्र उपरोक्त सड़क एवं पुलों के अप्रोच्च का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।,

ख12.26, श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा अपनी सूचना लिये जाने हेतु श्री अध्यक्ष से अनुरोध

श्री इन्द्रजीत सरोज–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चार दिन से लगातार अपनी सूचना लगा रहा हूं लेकिन आपकी कृपा नहीं हो पा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं लगातार आपकी सूचना पढ़ता हूं, कृपा हो जायेगी । हम सब सूचनायें पढ़ते हैं, थोड़ा उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आ जाता है तो उसको ले लेते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतारांकित प्रश्न संख्या–9 का त्रुटिपूर्ण उत्तर आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि आज मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या–9 लगा है, मैनें पूछा कुछ और था और जवाब कुछ और आ गया है। मैनें पूछा था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा विकास प्राधिकरण में हाल ही में हुये भारी घोटाले में किन–किन कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गयी है। .....

इसका उत्तर विषय से अलग है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसे आप दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष–

आप इसे लिख करके दे दीजिए हम इसे दिखवा लेंगे।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मान्यवर, हमें भी मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष–

हां, क्या है, बतायें। पहले हम पूरा कर दें तो उसके बाद सुनते हैं।

ख12.30, औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 01 सूचना प्राप्त हुई। यह सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद गोरखपुर के सहजनवां से जनपद बलरामपुर के उतरौला तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण तथा राज्यमार्ग घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। अब आप ही बताइये कि यह सूचना नियम–300 में कहां आती है। कहां हैं, क्या चले गये फिर से, यह कैसे आता है, आप नियम पढ़ लें, किताब पढ़ लें।

विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने की व्यवस्था बनारस के स्थान पर बलिया जनपद में ही कराये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

मा0 उपेन्द्र तिवारी जी, अब आप बतायें।

'श्री उपेन्द्र तिवारी–

मा0 अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं और आपका संरक्षण हम लोगों को चाहिए भी। जैसा कि अभी आपने कहा कि हम प्रश्नकर्ता नहीं थे लेकिन हम विधान सभा के सदस्य तो हैं मैं सवाल करना चाहता था इसलिए मैंने इस पर सवाल लगाया भी था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसे हमारे ऊपर प्रतिबन्ध लगाया गया, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, दूसरे मा0 मंत्री जी से प्रश्न हो रहा था और तमाम वरिष्ठ मंत्री जी सदन में बैठे रहते हैं लेकिन कोई नहीं बोलता है तो एक ही मंत्री जी क्यों बार–बार उठ करके जवाब देते हैं, उनके ऊपर भी तो कानून लागू होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

ज्वाइन्ट रिस्पॉसिबिलिटी होती है इसलिए जवाब दे देते हैं।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए, इसलिए मैं सवाल करना चाहता था कि अभी विकलांगों को सर्टिफिकेट बनाने के लिए जिला अस्पताल बलिया में मैंने कैम्प लगवाया हास्पिटल में और वहीं के मा0 विकलांग मंत्री जी रहने वाले हैं। आठ–आठ, नौ–नौ बजे रात तक कम से कम चार–चार सौ, पांच–पांच सौ विकलांगों का सर्टिफिकेट निर्गत कराया गया है क्योंकि नियम में है कि जब तक विकलांग के पास निःशक्त सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा उसे कोई सुविधा मुहैय्या नहीं होगी। अभी हमने कैम्प लगवाया था भारत सरकार द्वारा और साढ़े छः सौ ट्राई साइकिल, व्हील चेयर और तमाम बैसाखी वगैरह दिलवायीं।

श्री अध्यक्ष–

इसका प्रश्न से क्या मतलब है।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मान्यवर, मतलब यह है कि जब मनीष असीजा जी ने क्वैश्चन किया था और उसमें सरकार का उत्तर आया है कि 41 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में विकलांग हैं और 9 लाख लोगों को ही इसकी सुविधा मिल पाती है तो निश्चित रूप से जो बीच के लोग हैं उनके पास सर्टिफिकेट न होने की वजह से न तो उनको विकलांग पेंशन मिलता है न उनको प्रदेश या केन्द्र द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाएं ही मिल पाती हैं। इसलिए जब तक विकलांगों का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा और उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी तब तक उन्हें लाभ नहीं मिल सकेगा। उसमें भी बलिया जनपद से हम लोग आते हैं और बलिया जनपद उत्तर प्रदेश का वह जनपद है।

श्री अध्यक्ष–

आपने तो इतना बनवाया है इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मान्यवर, वहीं के विकलांग मंत्री जी हैं और वहां के विकलांगों को सर्टिफिकेट बनाने के लिए बनारस जाना पड़ता है क्या यह सुविधा बलिया में नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष–

आपने अभी कहा कि आपने कैम्प लगवा करके विकलांगों के सर्टिफिकेट बनवाये हैं। मा0 खन्ना जी, आप इन्हें समझाइये, अब आप बैठ जाइये और कोई प्रश्न नहीं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

(व्यवधान के मध्य)

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

ख12.32, आगरा में टोरेंटो पावर द्वारा उत्पीड़न का प्रकरण

श्री गुटियारी लाल दुवेश–

मा0 अध्यक्ष जी, आगरा शहर में टोरेन्टो पॉवर को लेकर।

श्री अध्यक्ष–

इस पर तो आप महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में बोल चुके हैं।

श्री गुटियारी लाल दुवेश–

मान्यवर, आगरा में असेसमेंट के नाम पर तबाही मचाई जा रही है। दो हफ्ते पहले एक व्यक्ति ने सड़क पर चिल्ला–चिल्ला कर कहा कि मेरा असेसमेंट खत्म कर दो मैं अपनी किडनी बेच रहा हूं। यह खबर चैनल के माध्यम से चली, मैं इस पर चर्चा चाहता हूं क्योंकि यह प्राइवेट गुण्डे हैं और ये लोग घरों में घुस कर।

श्री अध्यक्ष–

आप नियमों में ले आइये, तभी तो सुना जायेगा।

श्री गुटियारी लाल दुवेश–

मान्यवर, मैंने कई नियमों में लगाया है। मान्यवर, यह पेपर में छपा है, मा0 मुख्य मंत्री जी का बयान ऐसा हो गया कि टोरेन्टो पॉवर द्वारा कोई उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आपने तो इस पर भाषण भी दिया था।

श्री गुटियारी लाल दुवेश–

मान्यवर, मैं शहर से विधायक हूं और मैं सबसे ज्यादा इससे पीड़ित हूं।

श्री अध्यक्ष–

इस पर आप भाषण कर चुके हैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत चर्चा में। मैंने आपका पूरा भाषण सुना है और आपने टोरेन्टो को चोरेन्टो भी कहा था, हम

यहीं पर सुनते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सुनते नहीं हैं। आप बैठ जाइये, आपको जो कुछ भी देना है उसे आप नियमों में दीजिए।

केन्द्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल सम्बन्धी प्रकरण को उठाने का प्रयास

श्री सुदेश शर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी कृपा चाहता हूं। मैं एक मिनट का समय चाहता हूं, आप सदन को व्यवस्थित करा दें मैं मात्र एक मिनट का समय चाहता हूं। क्योंकि भूमि अधिग्रहण जो केन्द्र सरकार के द्वारा संशोधित किया गया।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कोई बात नहीं सुनी जायेगी, कल पूरा दिन इसी पर गया, आप बैठिये।

श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष–

शर्मा जी, बैठिये, इस पर बहस नहीं हो सकती। जीरो ऑवर में व्यवस्था हो, प्रश्नों से संबंधित हो, नियमों से सम्बन्धित हो तब तो आप उठाइये, भूमि अधिग्रहण का मामला यहां क्यों उठा रहे हैं ? आप बैठिये।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरी बात भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

रिज़वी साहब चिल्लाइये नहीं, अभी आप बैठिये। श्री रामवीर उपाध्याय जी आप अपनी याचिकायें रखिये।

ख12.35, जनपद हाथरस के विकास खण्ड हाथरस के अन्तर्गत पुरा रेलवे स्टेशन से ग्राम पुराखुर्द तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राम गोपाल आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रामवीर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से–

(1) जनपद हाथरस के विकास खण्ड हाथरस के अंतर्गत पुरा रेलवे स्टेशन से ग्राम पुराखुर्द तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राम गोपाल व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत ग्राम गूजरपुर से नगला नरी मार्ग तक क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री हरिश्चन्द्र बघेल आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

(2) जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अंतर्गत ग्राम गूजरपुर से नगला नरी मार्ग तक क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने

विषयक श्री हरिश्चन्द्र बघेल व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

जनपद हाथरस के विकास खण्ड हाथरस के अन्तर्गत ग्राम ऐहन से विधिपुर होते हुए ग्राम शेरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री दिनेश कुर्मी आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

(3) जनपद हाथरस के विकास खण्ड हाथरस के अंतर्गत ग्राम ऐहन से विधिपुर होते हुए ग्राम शेरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री दिनेश कुर्मी व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत ग्राम बाड़ी से रतिभानपुर–भैकुरी मार्ग तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राम कुमार शर्मा आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

(4) जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अंतर्गत ग्राम बाड़ी से रतिभानपुर–भैकुरी मार्ग तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राम कुमार शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

जनपद हाथरस के विकास खण्ड हाथरस के अन्तर्गत ग्राम मिर्जापुर से नहरई चौराहे होते हुए ग्राम विधिपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अर्जुन सिंह आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

(5) जनपद हाथरस के विकास खण्ड हाथरस के अंतर्गत ग्राम मिर्जापुर से नहरई चौराहे होते हुए ग्राम विधिपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/ मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अर्जुन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 4, 5 व 6 में कुछ नहीं है, अब मद संख्या–7 कार्य–स्थगन।

विकलांग जन कल्याण मंत्री पर आरोप लगाये जाने का विरोध

श्री जियाउद्दीन रिज़वी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। भा0ज0पा0 के एक मा0 सदस्य ने हमारे एक मंत्री पर आरोप लगाया है...

श्री अध्यक्ष–

कहां आरोप लगाया, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, उन्होंने यह आरोप लगाया कि बलिया जनपद में..

श्री अध्यक्ष–

कोई आरोप नहीं लगाया, आप बैठिये।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी–

मान्यवर, किसी पर अनावश्यक आरोप नहीं लगाया जा सकता। हमारे विकलांग कल्याण मंत्री जी ने पहली बार बलिया जनपद में हर विधान सभा के प्रत्येक ब्लाक में विकलांग शिविर लगाया और वहां पर यह व्यवस्था किया कि जो विकलांग वर्षों से पीड़ित थे, जिला मुख्यालय पर जाते थे वहां उनका सर्टिफिकेट बनता था, उनका ब्लाकों पर सर्टिफिकेट बन रहा था। पूरे जनपद में यह कार्यक्रम दो महीने तक लगातार चला है कहां भारत सरकार इसमें थी। भारत सरकार तो कोट टाई नीलाम करने में व्यस्त थी। गलत आरोप लगाया जा रहा है, यह बहुत गलत तरीका है।

(श्री उपेन्द्र तिवारी के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप भी बैठिये, आपकी बात आ गयी अब फिर आप वही बात दोहरायेंगे, बैठ जाइये।

ख12.40, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12–03–2015 को नियम–311 के अन्तर्गत प्राप्त 02 सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित करते हुए नियम–56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हमारी सूचना नियम–311 के अन्तर्गत है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें चाहे आप आगे बोलो या पीछे बात तो सब आ जायेगी। 311 की सूचनायें जब नियम–56 में परिवर्तित हुई तो पहला जो नियम–56 में था वह पहला हो गया। पहली सूचना में कई मा0 सदस्यों के नाम हैं, कहिये तो सबका नाम पढ़ दूं। ये नाम हैं–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, चौधरी गजेन्द्र सिंह, श्री कालीचरन सुमन, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री मो0 इकबाल, श्री युसूफ अली, श्री सन्त राम कुशवाहा, श्री वहाब चौधरी, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री सुनील कुमार सिंह यादव, श्री उदय लाल मौर्य, श्री वेदराम भाटी, श्री शाह आलम उर्फ

गुड्डू जमाली श्री राजबली जैसल, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, डा0 धर्म सिंह सैनी, श्री रामहेत भारती, श्री रवीन्द्र कुमार मोल्हू, श्री दीपक पटेल, श्री राधेलाल रावत ।

दूसरी सूचना है डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई की, तीसरी सूचना है श्री दलबीर सिंह और पूरन प्रकाश की यह तो था नियम 56 में नियम 311 की जो सूचनाएं परिवर्तित हुईं उसमें नम्बर एक पर है श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री धर्मपाल सिंह, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल। कांग्रेस की थी श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री बंशी सिंह पहाड़िया की।

दूसरा श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने एक अलग से सूचना दे रखी थी इसलिए उसका कोई औचित्य नहीं क्योंकि आपने इसमें दे दिया 311 में तो वही हो गया। श्री मौर्य जी आप अपनी बात जल्दी से खत्म करें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मेरी भी सूचना थी स्वाइन फ्लू के बारे में।

श्री अध्यक्ष–

यह दोनों सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, स्वाइन फ्लू महत्वपूर्ण नहीं है ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी स्वाइन फ्लू की भी सूचना दी गई है।

श्री अध्यक्ष–

जब स्वाइन फ्लू की सूचना इस सबके चलते स्वीकार नहीं हुई तो नाम क्या पढ़ें। जितने लोग हैं उन सबका पढ़ेंगे तो बड़ा समय लगेगा। स्वाइन फ्लू कल भी रहा है स्वाइन फ्लू का विषय हम लेना चाहते हैं लेकिन खन्ना साहब ने नियम–311 में सूचना दी थी जिसको नियम–56 में परिवर्तित किया गया।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप सूचना तो देते नहीं हैं दूसरे की नोटिस पर बोलने चले आते हैं। आपकी एक दूसरे विषय की सूचना है। पहले नेता प्रतिपक्ष को बोल लेने दें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आपका स्वाइन फ्लू की सूचना पर दूसरे नम्बर पर नाम है। अभी उसको लिया नहीं है उधर बढ़ेंगे तब इसे लेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी कल 11 मार्च को दिन में इलाहाबाद में जिस तरीके से कचहरी परिसर के अन्दर एक वकील की दिन दहाड़े हत्या एक कानून के रखवाले एक

दरोगा के द्वारा की गई है स्वाभाविक रूप से यह बहुत ही निन्दनीय है और साथ ही साथ न केवल वहां पर एक वकील नबी अहमद की गोली लगने से हत्या हुई बल्कि एक दूसरा वकील भी घायल हुआ जानकारी में यह भी आया है कि जिस तरीके से अंधाधुंध पुलिसकर्मियों ने गोलीबारी की उस गोली का शिकार एक पुलिसकर्मी भी हुआ है। सवाल केवल गोली बारी का नहीं है एक दरोगा उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है सारी जनता की जिससे अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश की इस पुलिस से हमें कानून मिलेगा हमारी रक्षा होगी हमारी सुरक्षा होगी लेकिन जिनके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई जिनसे कानून की रक्षा का भरोसा किया गया जिनसे हमें न्याय और सुरक्षा का विश्वास होता है उन्हीं कानून के रखवालों ने कानून को अपने हाथों में लेते हुए कानून की धज्जियां कानून के परिसर में ही, कचहरी और न्यायालय के परिसर में ही जिस तरीके से कानून दा यानि कानून की वकालत करने वाले वकील की हत्या करके, एक घिनौना चरित्र पुलिस ने पेश किया है उससे सारे पुलिस बल पर कहीं न कहीं उंगली उठाने का एक ऐसा मौका मिलता है जो आये दिन इस सदन में तमाम नियमों और सूचनाओं के माध्यम से चर्चा होती रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज यहीं पर अभी 3/4 दिन पहले चर्चा हुई थी कि पुलिसकर्मियों पर 622 हमले हुए। इसी अविश्वास के चलते जिस तरीक से लोगों का पुलिस बल पर से भरोसा उठता चला जा रहा है, विश्वास उठता जा रहा है लोगों की उम्मीदें टूटती जा रही हैं, उसी का प्रतिफल है कि इस प्रकार के हमले की कार्यवाहियां भी होती जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कानून के परिसर में सभी लोग वहां न्याय की उम्मीद करके जाते हैं। जब आज न्याय पालिका सुरक्षित नहीं है, कानून की वकालत करने वाले वकील सुरक्षित नहीं हैं और कानून की रक्षा की जिसे जिम्मेदारी मिली होती है जब वह ही खुद कानून का भक्षक बन जाता है तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं इस प्रदेश की जनता का इस पुलिस बल से लोगों का भरोसा उठता है। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश का वकील इस घटना के खिलाफ हड़ताल पर भी है। यही नहीं मान्यवर, इस हड़ताल से लाखों–लाख वादकारी आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दर–दर की ठोकरें खाने के लिये मजबूर हो रहे हैं। मान्यवर, यही नहीं जिस तरीके से इस घटना के बाद इलाहाबाद में बड़े पैमाने पर वकीलों पर, वकीलों की गाड़ियों पर आगजनी की गई। गाड़ियों को तोड़ा गया, जलाया गया उसके तमाम फुटेज भी हैं। जो वहां पर कैमरे हैं उस कैमरे के माध्यम से तमाम फुटेज भी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज जिस तरीके से इलाहाबाद में नंगा नाच हुआ है इससे समूचे उत्तर प्रदेश में एक भय और दहशत का वातावरण हुआ है कि जब आज कचहरी और न्यायपालिका परिसर में एक वकील की हत्या एक दरोगा के द्वारा हो जाती है तो उत्तर प्रदेश की आम जनता का क्या पुरसाहाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है क्योंकि कचहरी परिसर में हुआ, दिन दहाड़े हुआ, अविलम्बनीय भी है क्योंकि मान्यवर, एक कानून के रखवाले द्वारा इस प्रकार की अपने सर्विस रिवाल्वर से गोली मार करके हत्या की जाती है। हम मान्यवर, यह कहना चाहते

हैं कि जब उसको इस बात का अधिकार, क्योंकि तमाम लोगों ने यह भी कहा कि वहां पर आपस में नोंक–झोंक भी हुआ। यदि नोंक–झोंक होती भी है तो इस दरोगा को अधिकार था, उस वकील के खिलाफ एफ0आई0आर0 करा सकता था, उस दरोगा को अधिकार था उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकता था। उस दरोगा को खुले आम अपनी सर्विस रिवाल्वर मारने का अधिकार न कानून ने दिया, न सरकार ने दिया और न किसी इस नियमावली के कानून में उसको यह व्यवस्था दी गई। इसलिये मान्यवर, इस लोक महत्व और अविलम्बनीय प्रश्न पर जब पूरे उत्तर प्रदेश का वकील आन्दोलित है, पूरे उत्तर प्रदेश का वकील हड़ताल पर है। माननीय उच्च न्यायालय से ले करके जिले के सभी न्यायालयों में आज हड़ताल और बन्दी है। लाखों लाख वादकारी आज अपने प्रकरण को ले करके परेशान हैं, दर–दर ठोकरें खा रहे हैं और यही नहीं उत्तर प्रदेश की जनता में एक विशेष प्रकार का भय है, आक्रोश है, आन्दोलित भी हैं इसीलिये मान्यवर, हम इस लोक महत्व के अति अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करते हैं। साथ ही साथ मान्यवर, निवेदन भी करते हैं क्योंकि इलाहाबाद के हमारे विधायक दीपक पटेल जी भी हैं, इस पर दो शब्द अपना महत्व देने के लिये निवेदन करे हैं इसलिये चाहूंगा कि उन पर भी कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

नेता जी को बोल लेने दीजिये, उसके बाद।

श्री दीपक पटेल–

मान्यवर, दो मिनट।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

देखिये मान्यवर, आपने व्यवस्था दी कि पहले नेता विरोधी दल बोल लें। नेता विरोधी दल बोल चुके।

श्री अध्यक्ष–

पटेल जी आप बाद में बोल लेना। खन्ना जी बोलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना पर मेरी 311 की सूचना को नियम–56 में परिवर्तित करके बोलने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मेरी बात कल भी हुई थी इलाहाबाद में और आज भी हुई थी, जो घटना थी वह बहुत मामूली थी मान्यवर, एक एफ0आई0आर0 के संबंध में वकील साहब यह चाहते थे कि उसमें फाइनल रिपोर्ट न लग जाए। उसके ऊपर वकील साहब मुल्जिमों के खिलाफ चार्जशीट चाहते थे और दरोगा ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी, ऐसा बताया गया है मान्यवर, यह घटना का बोन आफ कन्टेन्शन है झगड़े की जड़ यह थी। मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण इसलिए है कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस के दरोगा को रिवाल्वर किसलिए दिया जाता है उसकी ट्रेनिंग किसलिए होती है मान्यवर, पुलिस के दरोगा को यह अधिकार नहीं है कि जहां चाहे, जब चाहे, जिसके ऊपर चाहे सीने पर गोली चला दे। मैं इस बात पर ज्यादा फोकस देना चाहता हूं जब उनकी ट्रेनिंग होती है तब उनको बताया जाता है और उसके बाद कोई दरोगा साल छः महीने का नहीं है मान्यवर, लगभग सात–आठ साल पुराना दरोगा है। और एक चौकी का इंचार्ज भी है मान्यवर, चौकी का इंचार्ज उसको बनाया जाता है जो थोड़ा सा संजीदा होता है और उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह ऐसे मामले में न्यायिक डिस्क्रिसन इस्तेमाल करेगा। अगर न्यायायिक परिसर में कोई बात भी हुई थी तो जैसा नेता विरोधी दल ने बताया हम उन बातों को दोहराना नहीं चाहते हैं उसके पास कई विकल्प थे इस बात को प्रोटेस्ट करने के, दरोगा तो अपने आप में मुद्दई बनकर किसी न किसी रूप में वह उस पर एफ0आई0आर0 करा सकता था बात यहां से बिगड़ती है कि जो उसको रिवाल्वर दिया गया, वह रिवाल्वर इसलिए दिया गया कि उसको तुम जनता के हित में जनता की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करोगे। इन लोगों की ट्रेनिंग में यह भी बताया जाता है कि कहीं अपरिहार्य परिस्थिति में कहीं आवश्यकता भी हो तो गोली कहां पर चलानी है। क्या गोली सीने पर चलाने के लिए दी गई थी मान्यवर, रिवाल्वर इसलिए पुलिस को नहीं दी जाती है कि वह सीने पर चलाए। सारी बात के पीछे हम इसी बात को फोकस करना चाहते हैं कि उसने अपनी वर्दी के चक्कर में मान्यवर, अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए वकील के सीने पर गोली चलाकर उसकी हत्या की। इसके पहले भी मान्यवर, इस सदन में यह बात पहले भी उठती रही है कि न्यायिक परिसर की सुरक्षा प्रापर होनी चाहिए। न्यायिक परिसर में मान्यवर, अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतेजाम होते तो घटना के बाद यह तीन चार घंटे तक जो अराजकता का माहौल रहा वह अराजकता का माहौल नहीं बनता। न्यायिक परिसर की पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। उसके बाद जो वह घटना टी0वी0 पर फ्लैश हुई तो बनारस में वकील लोग पुलिस के चेम्बर में चले गए। कई जनपदों में मान्यवर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सन्तकबीर नगर और कानपुर में भी इसका रियेक्शन हुआ मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं इसी बात के लिए, एक तो पुलिस ने जिनको जनता की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया, नाजायज तरीके से अपने हथियार का प्रयोग करके हत्या की गई और उसके रियेक्शन में आज पूरा प्रदेश इसके लिए दुखी भी है और मान्यवर, उनका एक गुस्सा भी है। पूरा न्यायिक जितना भी कार्य है वह मान्यवर, बन्द हो गया और कितने दिन तक हड़ताल चलेगी यह नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि दो दिन की हड़ताल 12 और 13 की, घोषणा कर दी है। बार काउन्सिल ने भी हड़ताल की घोषणा कर दी है। अब हाई कोर्ट में आज क्या होता है हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन पूरा जो सिस्टम इससे प्रभावित हुआ है मान्यवर, हम आपसे मांग करते हैं कि जब कहीं चोरी होती है तो लोग 15 दिन तक अपने कुन्डी दरवाजे ठीक से बन्द करके सोते हैं। उसके बाद स्थिति फिर नार्मल हो जाती है तो सरकार को इसे अत्यन्त संवेदनशीलता से लेना चाहिए। एक वकील की हत्या हुई आगे कहीं इसकी पुनरावृत्ति न हो इसकी व्यवस्था हो और जो न्यायालय परिसर की विशेष

सुरक्षा की बात कही जाती है मैं इस पर विशेष बल देता हूं कि न्यायालय परिसर में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो। यह सम्पूर्ण प्रदेश की आवश्यकता है। आपने मुझे इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, दो मांगों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मुल्जिमों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिये ताकि एक मैसेज जाये कि हम पुलिसवालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वह पुलिस का दरोगा है। पुलिस कितनी सक्रिय होगी और कितनी उसमें चेष्टा करेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन सरकार को उसको गिरफ्तार कराने में तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिये और भविष्य में इस तरह की घटना न हो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं यह भी चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जायें। मान्यवर, आपने मुझे नियम–56 की इस सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे द्वारा, मा0 अनुग्रह नारायण सिंह और मा0 बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा दिये गये नियम–311 के प्रस्ताव को नियम–56 में तब्दील करके हमें जो ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया है उसके लिये आपका धन्यवाद। मान्यवर, जब रक्षक ही भक्षक बन जाये तो कैसे काम चलेगा ? इसका जीता–जागता उदाहरण कल 11 मार्च को लगभग सवा बजे जब शैलेन्द्र सिंह नाम का एक उप निरीक्षक इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में सीढ़ियों पर जा रहा था तो उसकी भेंट वहां के एक अधिवक्ता मो0 नबी और उसके दो साथियों से होती है। वह वकील लोग शैलेन्द्र सिंह से कुछ गुजारिश करते हैं, उसमें कुछ बहस होती है और शैलेन्द्र सिंह तत्काल अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। मो0 नबी के सीने पर गोली लगती है। उन्हें अधिवक्ता लोग उठाकर ले जाते हैं और वह मृत घोषित हो जाता है। मान्यवर, जो अराजकता का माहौल इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैल चुका है, वह पूरे प्रदेश में फैल चुका है। जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिस तरह से दमनकारी नीतियां अपनाई गईं वह निन्दनीय है। पुलिस के दरोगा की जो सर्विस रिवॉल्वर होती है वह उसे बहुत ही मुसीबत के समय चलाता है यह नहीं कि वह हवाई फायर करे और लोगों को धमकाये या जान से मार दे। इतना बड़ा कृत्य जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ है वह निन्दनीय है। हाईकोर्ट के सभी वकील हड़ताल पर चले गये हैं। बार काउंसिल ऑफ यूपी ने प्रदेशव्यापी हड़ताल घोषित कर दी है। हड़ताल घोषित होने से वादकारियों को दिक्कत होगी। इसी तरह से जिला न्यायालयों में भी हड़ताल घोषित हो चुकी है। यह बहुत गम्भीर मामला हो चुका है और सरकार को इस पर सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिये जिससे आगे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। मा0 अध्यक्ष जी, आगे भविष्य में इन सब बातों को देखने के लिये पुलिस को यह इस्ट्रक्शन्स दिये जाने चाहियें कि जब पुलिस सर्विस रिवॉल्वर लेकर जाती है और इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो उसकी सर्विस रिवॉल्वर जमा करा ली जाये, क्योंकि इस तरह का कृत्य यदि वह न्यायालय परिसर के अन्दर कर रहा है तो कैसे काम चलने वाला है ? यह बहुत गम्भीर मामला है और लोक महत्व का है, अति

महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि इस पर विधान सभा के अन्दर चर्चा कराई जाये। चूंकि घटना हमारे वरिष्ठ सदस्य की इलाहाबाद कांस्टीट्यून्सी में घटित हुई है इसलिये मैं चाहूंगा कि यह इस सन्दर्भ में अपनी बात रखें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 ठाकुर साहब को बोल लेने दीजिये फिर आप बोलियेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की यह घटना बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और न्यायपालिका को हिला देने वाली है। कल एक चिंगारी शोला बन गई। एक छोटी–सी बात पर वहां के एक उदीयमान एडवोकेट मो0 नबी की हत्या कर दी गई। मान्यवर, हमारे सभी मा0 नेताओं ने मा0 नेता विरोधी दल, मा0 नेता बीजेपी और मा0 नेता कांग्रेस ने इस बात को यहां पर रखा है मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आज यह बहुत ही दुखद है कि न्याय के, कानून के और शांति व्यवस्था को स्थापित करने वाले लोगों और न्याय दिलाने वाले लोगों में हर जगह संघर्ष हो रहा है और यह संघर्ष किन कारणों से हो रहा है इस पर तो सरकार बाद में विचार करेगी, लेकिन अभी जो कल की घटना है यह अपने आप में इसलिये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वकील का खून देखकर पूरी कचहरी चाहे वकील समुदाय हो चाहे वहां पर आने वाले पैरोकार रहें हों चाहें वहां पर जो नागरिक रहे हों, सब लोग एक तरफ और दूसरी तरफ पूरी पुलिस एक छावनी बन गयी। यहीं नहीं कचहरी में, डिस्टिक कोर्ट में, डिस्टिक जज साहब की अदालत में, सी0जे0एम0 की अदालत में और सारी अदालतों में और यहां तक कि जो बार एसोसिएशन है, वहां पर बैठे हुए जो लोग थे, बुजुर्ग वकील थे, उनके ऊपर भी भारी लाठी वर्षा की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो तमाम निजी स्वार्थ वाले लोग भी उसमें घुस जाते हैं। पूरे टी0वी0 में सूचना दी गई कि वकीलों और पुलिस में गोली चल रही है। पूरे इलाहाबाद में सनसनी फैल गयी थी, एक डर और भय व्याप्त हो गया था कि इस तरह की घटना हो रही है। जैसा कि सरकार ने घोषित किया है कि 10 लाख रुपये उस परिवार को दिए जायेंगे। वह मृतक वकील अभी नौजवान थे, उनके ऊपर परिवार का बहुत भारी दायित्व था, बार काउन्सिल ने उनके परिवार को 50 लाख रुपये दिए जाने की बात कही है, मैं भी वह अनुदान दिए जाने की बात सदन के माध्यम से आपके समक्ष रखता हूं और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, रोकने के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्याय व्यवस्था को बनाये रखने के लिए आज वहां जो भी जाता है, उसकी बाकायदा तलाशी होती है, तभी अन्दर जाने देते हैं। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में जो कचहरी हैं, अदालतें हैं, वहां पर जो मुल्जिम के लोग हैं, जो उनके पैरोकार हैं, गवाही देने वाले, पुलिस वाले हैं, सब के सब लोग हथियार लेकर जाते हैं और न्यायालय के अन्दर भी हथियार लेकर खड़े रहते हैं। इस तरह की घटनाएं आगे न हों, इसलिए मैं सदन के माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री और मा0 मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि यह जो प्रतिदिन प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, वकीलों में, मुवक्किलों में, पुलिस में, इसके लिए वहां पर एक सुरक्षा चौकी बनायी

जाए जिससे वहां पर न तो शासन के लोग और न ही कोई व्यक्तिगत लोग हथियार लेकर जायें। चूंकि यह बहुत गंभीर मामला हो गया है और बार काउन्सिल ने भी इसका काग्नीजेंस ले लिया है, आज पूरे प्रदेश में न्याय–व्यवस्था ठप है और आगे कब तक रहेगी, मालूम नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि इसकी एक न्यायिक जांच कराई जाए। अभी यहां पर लखनऊ में जो एक घटना हुई थी, उसमें मा0 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुओ–मोटो काग्नीजेंस लेकर न्यायिक जांच गठित कर दिया है। मैं चाहूंगा कि चूंकि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, प्रत्येक व्यक्ति शान्ति–व्यवस्था चाहता है। शान्ति–व्यवस्था को कायम करने के लिए तमाम तरह के उपाय होते हैं, उसमें जो पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, कुछ लोग निर्दोष फंसाये जाते हैं, तो उस सारी की सारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाये, जहां कचहरी में लोग जाते हैं। दूसरी बात इसमें न्यायिक कमीशन बैठायी जाये और इसके साथ ही साथ जो भी लोग दोषी हैं, उस घटना में तत्काल जो हुआ और उसके बाद जो घटना हुई हैं, जांच करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये और इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं चाहूंगा कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

'श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, घटना बड़ी गंभीर हुई है, बड़ी दुखद हुई, इससे बुरी घटना और कोई हो नहीं सकती है। पूरा प्रदेश इस घटना के बाद आन्दोलित हो गया है, पूरे प्रदेश के वकील हड़ताल पर चले गए हैं, उनके हड़ताल पर चले जाने से आम जनता को बहुत परेशानी हुई है। हमारे पूर्व साथी मौर्या जी, खन्ना जी, माथुर साहब और अनुग्रह नारायण सिंह जी ने बहुत विस्तार से इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से सरकार इसमें गंभीर होगी और निश्चित रूप से इसमें सख्त कदम भी लेगी। श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा है कि इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए और इस घटनाक्रम में जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो पहले से ही आन्दोलित था, हाई कोर्ट की बेंच बनाये जाने के सम्बन्ध में तमाम हड़ताल आगरा से लेकर सहारनपुर तक पहले से ही थी। इस घटना के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश है और सभी लोग पूरी तरह से धरना–प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, इसलिए इन सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए सरकार कोई सख्त निर्णय ले, न्यायालयों में पुलिस चौकी स्थापित करे, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नियम–56 का एक सवाल था। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे अलीगढ़ जनपद में तीन बच्चे और तीस व्यक्ति कुंए में गिर गए और उनकी मौत हो गयी। आपने आज उस पर चर्चा करने के लिए कहा था। कहिए तो मैं अभी बोल दूं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं रुकिए उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री दलवीर सिंह तथा श्री पूरन प्रकाश के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

अब बैठिए आप तो बोल चुके आप तो मथुरा के हैं। आप बैठिए। आपने पूरी बात कह दी तो अब क्या बोलेंगे। जितने लोगों ने नोटिस दी है अगर उस पर बुलाएंगे तो पूरा दिन उसमें ही लग जाएगा। पटेल जी आप बोलिए। आप मथुरा के हैं आपको इलाहाबाद का क्या ज्ञान है। बैठिए। पहले इन्हें बोल लेने दीजिए।

'श्री दीपक पटेल–

मान्यवर, इलाहाबाद का होने के नाते इलाहाबाद जिले के न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के नाते मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं इस घटना के बारे में आपको, इस सदन को अवगत कराऊं। मान्यवर पुलिस की जोर–जुल्म–ज्यादती का, उनके अंहकार का, उनकी निरंकुशता का यह कोई पहला उदाहरण नहीं है। यहां सदन में बहुत सारे माननीय सदस्यगण बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यहां बैठे हुए मा0 सदस्यगण कहीं न कहीं, कभी न कभी जो बहुत संघर्षों के बाद यहां आते हैं पुलिस की ज्यादती का शिकार जरूर हुए होंगे। शिकार नहीं भी हुए होंगे तो भुक्तभोगी रहे होंगे, गवाह जरूर रहे होंगे। इस घटना का वर्णन बहुत तफ्तीश से हमारे सीनियर लीडर्स हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा आ चुका है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस घटना की यहां चर्चा हो, इस घटना की ज्यूडिशियल इन्क्वायरी हो और वह किसी रिटायर्ड जस्टिस से न हो किसी वर्तमान जस्टिस से हो और मृतक नबी अहमद जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता था हमारी विधान सभा के मूल निवासी थे। मात्र 27 वर्ष की उनकी उम्र थी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि 10 लाख कम्पनसेशन की सरकार ने घोषणा की है। यह राशि बहुत नाकाफी है। कम से कम इसे 50 लाख किए जाने की घोषणा हो और जिस दरोगा ने रक्षक से भक्षक बनने का काम किया है उसकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग आपके माध्यम से करता हूं। आपका बहुत–बहुत आभार मान्यवर आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

मा0 अध्यक्ष जी आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण नियम–56 के नोटिस पर बोलने का मौका दिया। मैं भी इलाहाबाद की पैदाइश हूं। 30 साल प्राध्यापन किया। कचहरी के बगल में विश्वविद्यालय है वहां पर अध्यापक रही और शहर की मेयर भी रही और कचहरी के महत्व को हम समझते हैं। इलाहाबाद जिला न्यायालय वह मंदिर है जहां न्याय की गुहार लगती है, जहां लोगों को न्याय मिलता है। इलाहाबाद जिला कोर्ट का अपना एक इतिहास है। यह वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जहां पर आजादी के आंदोलन में, 42 में, जब छात्रों का जुलूस चला तो इसी प्रांगण में कोतवाल ने गोली चलाई और लाल पदमधर मारे गए और पूरे हिन्दुस्तान में 42 के आंदोलन को जबरदस्त स्फूर्ति मिली। कैसी परिस्थिति कल उत्पन्न हुई। कल मैं किसी निजी काम से इलाहाबाद गई थी और जब मैं इलाहाबाद से 50 किलोमी0 बाहर निकली तो मुझे खबर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिली कि वहां आग लग गई। थोड़ी देर पहले मैं उसी कचहरी के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सचिव के साथ मेरी वार्तालाप हो रही थी। कैसी भयंकर घटना हुई है। कैसे एक दरोगा बंदूक निकालकर वकील को गोली मार सकता है। किस तरह का यह अत्याचार है, कैसा अहंकार है कि अगर आपके हाथ में न्याय को बचाने की न्याय को सुरक्षा देने का अधिकार दिया गया है तो आप उसका दुरुपयोग अपनी नाराजगी को उतारने के लिए करेंगे ? इसका कारण एक और भी है। इस तरह के दरोगा लगातार एक थाने में बैठे रहते हैं और वहां से बैठकर वह अन्याय भी करते हैं। बताया गया है कि वह (दरोगा) किसी केस में एफ0आर0 लगा रहे थे और यह वकील कह रहा था कि आप गलत कर रहे हो। बात करते। सीने पर गोली मार दिया और उसके बाद जो एस0पी0 कार्यालय बिल्कुल बगल में है वहां से जो आतंक चला जिस तरह से पुलिस ने निकलकर अधिवक्ताओं को पीटा है। प्रांगण के अंदर घुसकर पीटा गया, इतना बुरा वीभत्स दृश्य हुआ है कि हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को वहां आकर बैठना पड़ा। डी0एम0 और एस0एस0पी0 को तलब करना पड़ा। उनसे जवाब मांगना पड़ा। आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि जगह–जगह जनपदों में वकीलों के साथ प्रशासन की झड़प होती रहती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके मूल में जायें कि आखिर पुलिस के प्रति लोगों का अविश्वास क्यों बढ़ रहा है ? क्यों पुलिस तंत्र हर एक वर्ग को दबाने में लगी हुयी है ? क्यों ऐसा है कि वह गलत कामों में लिप्त पाये जाते हैं और कैसे एक नौजवान लड़का मुश्किल से 30–32 साल का लड़का उभरता हुआ एक वकील मार दिया जाता है। इस बात पर हम सब उद्वेलित हैं, चिंतित हैं। इलाहाबाद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगी हुयी है। तो अध्यक्ष जी मैं यह कहना चाहूंगी कि यहां जो मांग उठी है, श्री अनुग्रह नारायण जी ने की है, पटेल जी ने की है। बाकी भी हमारे कांग्रेस के, बसपा के, भारतीय जनता पार्टी के, लोक दल के हमारे सब नेताओं ने कहा है, निश्चित रूप से कोई भी धनराशि उसके परिवार को राहत नहीं दे सकती। लेकिन उसके परिवार को सुरक्षा दे सकती है। 50 लाख से कम धनराशि राहत राशि के रूप में उनके परिवार को नहीं दी जानी चाहिए। सही बात है। मैं भी अपनी आवाज मिलाती हूं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए लेकिन मूल रूप से शासन को यह समझना चाहिए कि आखिर दिक्कत कहां है। पुलिस प्रशासन को संवेदनशील बनाया जाये और इस तरह की घटना दोबारा न हो इसको सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

'श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने नियम–56 के एक गंभीर मसले पर जिसमें एक दारोगा ने एक वकील की सरेआम उस परिसर में जहां पर न्याय के पुजारी बैठते हैं उस कलेक्ट्रेट में उसकी निर्मम हत्या कर दी। सर्वविदित है कि आज प्रदेश में जो हालत बनी हुयी है वह बहुत ही चिंतनीय हो गयी है। प्रदेश के सभी जनपदों में सारे वकील हड़ताल पर चले गये हैं। इसके कारण विभिन्न मामलों में जो बेलें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगी हुयी हैं चाहे कलेक्ट्रेट में हों, चाहे दीवानी परिसर में हों, चाहे सेल्स टैक्स में हो सारा काम ठप्प पड़ा हुआ है। लेकिन यह परिस्थिति कैसे पैदा हुयी। मान्यवर, एक जो सरकार का नुमाइंदा है, रक्षक है एक परिसर में खुलेआम सरकारी रिवाल्वर से वकील की निर्मम हत्या कर देता है। अगर यह होता रहा तो मान्यवर, प्रदेश की क्या स्थिति रहेगी। क्यों नहीं इस पर रोक लगायी जाती है। जब हम जाते हैं और लोग जाते हैं बाकायदा हमारी तलाशी ली जाती है कि कहीं कोई असलहा तो नहीं है। क्या यह संभव नहीं है कि अगर इस तरह के मामलों को रोका जाये। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि चाहे कलेक्ट्रेट परिसर हो दीवानी परिसर हो या कोई और परिसर हो वहां पर कोई भी असलहा लेकर प्रवेश न करने पाये। माननीय अधिष्ठाता जी, इतना ही नहीं इलाहाबाद में जो बार के दो पूर्व अध्यक्ष थे उनकी गाड़ियां खड़ी थीं उनको भी जलाया गया है। यह बात सही है कि पुलिस की भी गाड़ी जली है। आपके पुलिस विभाग की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है। महिलाओं पर लाठीचार्ज किया है। माताओं, बहनों को चोटें आयी हैं। वह सब अस्पताल में हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि सरकार को अगर इस तरह की घटना को रोकना है तो निश्चित तौर से इस पर कोई कार्रवाई जरूरी है। इतना ही नहीं हमारे साथियों ने जो मांग रखी है वह 50 लाख तो कम है मैं तो कहना चाहता हूं कि इससे भी अधिक राहत धनराशि दी जानी चाहिए। वह अधिवक्ता जिसकी हत्या हुयी है उसके परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। मैं विधायक बाद में हूं, पहली वकील हूं और जो विधायक है वह टैम्परेरी है पर वकील परमानेन्ट हूं। मैं अपनी पीड़ा को समझता हूं क्या स्थिति रहती है जब पीड़ा होती है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इलाहाबाद के हाईकोर्ट परिसर में जो अफसोसजनक और गम्भीर वाकया पेश आया है इसकी सरकार निन्दा करती है। हम सब निन्दा करते हैं। सारी इलाहाबाद के जिला कचहरी में। मान्यवर, प्रश्न बस एक ही है, सहनशीलता, और इसकी क्या हदें होंगी। हम अपनी बात रखने के लिए कितना अधिकार रखेंगे और दूसरा उस बात का प्रतिवाद करने के लिए कितना अधिकार रखेगा क्योंकि मौके पर गवाह न तो मैं था, न आप थे। हम सिर्फ यहां एक हादसे की निन्दा कर रहे हैं कि एक बेगुनाह वकील की मौत हुई और मौत भी एक ऐसे व्यक्ति के हाथों हुई जो कानून का रखवाला है, वर्दी पहने है, सरकारी रिवाल्वर है और वह इसका इस्तेमाल कर रहा है। क्या कारण रहे यह हममे से कोई नहीं जानता, यह जांच का विषय है। लेकिन जांच से पहले भी बहुत जरूरी है कि एक आम आदमी से या वकील से ज्यादा सहनशीलता दरोगा के अन्दर होनी चाहिए थी। मेरे पास चूंकि गृह विभाग की कोई टिप्पणी अभी नहीं मिली है। हो सकता है वह भी अभी जांच में ही लगे हों। मैं कोई बात जिम्मेदारी के तौर पर जांच के बारे में नहीं कह सकता। कितनी जांच हुई है, यह नहीं बता सकता। जांच किस स्टेज पर है, नहीं बता सकता। जैसे ही मुझे गृह विभाग से कोई टिप्पणी मिलती है मैं सदन को आज ही अवगत कराऊंगा लेकिन मैं अपने तौर पर बहुत निन्दा करता हूं इस वाकये की और यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई भी सरकार

हो, हमारी ही सरकार नहीं। कोई भी सरकार हो उसके लिए इस तरह के वाकयात जाहिर है शर्मिन्दगी का कारण बनते हैं इसका दुख भी है, अफसोस भी है, शर्मिन्दगी भी है और यही कोशिश रहेगी कि आइन्दा इस तरह के वाकयात न हो। हम हमेशा यह कहते है इस तरह के वाकयात न हो लेकिन कुछ बाते ऐसी हैं जिन्हे हम सब जब तक मिलकर तय नहीं करेंगे। आज हम सत्ता में हैं, कल कौन होंगे, हम होंगे न होंगे, यह किसी को नहीं मालूम लेकिन जब तक पुलिस की माकूल ट्रेनिंग नही होगी और उनको मानवता का पाठ नहीं दिया जायेगा। दरअसल एक बहुत बड़ी कमी हो रही है कि हम भर्ती करते है और उनको ड्यूटियों पर लगा देते हैं। न तो आज एक आम शिक्षा में मानवता के पाठ की गुन्जाइश रह गयी है। डाक्टर बनते है, इन्जीनियर बनते हैं। रोज डाक्टर, इन्जीनियर, जिम्मेदार लोगों के कारनामें हमारे सामने आते हैं। समाज जहां जा रहा है, वह भी एक बहस का विषय है लेकिन जहां तक सरकार की अपनी जिम्मेदारी का सवाल है मान्यवर, सरकार उससे बिल्कुल नहीं भाग रही है और मैं बहुत ही दर्दमन्दी के साथ कहना चाहता हूं कि हमें इस पर बिल्कुल भावुक होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हमें इस पर बहुत अफसोस करने की जरूरत है ताकि इस तरह के वाकयात आइन्दा पेश न आ सके। एक बात मैं जरूर कहूंगा आप सभी लोग जो बोलें हैं, पेशे से हम भी वकील रहे और उस वक्त, क्योंकि यह बात काफी पहले की है, 1977–78–79 की बात है। बड़ा अच्छा माहौल रहता था अदालतों का, वकीलों का, मुवक्किलों का, खुद जजेज साहिबान का, पुलिस का भी लेकिन दिन ब दिन सबकी सहनशीलता में कमी आती चली गयी। बात सिर्फ एक तरफ की नहीं है, बात सब तरफ की है। मगर आज का दिन इस वक्त कोई निर्णय लेने का नहीं है आज का दिन तो सिर्फ इस हादसे की निन्दा करने का है। मृतक परिवार की कितनी और आर्थिक मदद हो सकती है, इसका है और जो मुजरिम है, उसके लिए जांच की बात आपने कही है। मैं समझता हूं कि अगर आप इसको ज्यूडिशियरी इन्क्वायरी के हवाले इस स्टेज पर करेंगे तो मुल्जिमान की गिरफ्तारी या कोई भी कार्रवाई फौरन रुक जायेगी। कभी–कभी हम इस तरह की जांचों का मुतालबा करके जालिम की मदद कर देते हैं, तो इसे सरकार पर छोड़ दीजिए कि मुजरिम को उसके गुनाह की सही सजा मिले और जाहिर है मुजरिम है, किन परिस्थितियों में गोली मारी है, वह अदालत देखेगी, लेकिन मुजरिम, मुजरिम हैं सरकार को यह अधिकार दे दीजिए। अभी सदन चल रहा है अगर सरकार की कार्रवाई से आप मुतमईन हों, प्रदेश मुतमईन हो तो आप सब्र करें, हम भी सब्र करें और अगर आप यह समझते हैं कि सरकार इसमें संजीदा नहीं है या सरकार ने कोई छल किया है, कोई फरेब किया है तो आपको पूरा अधिकार है, अभी सत्र चल रहा है, अपनी बात को फिर रख सकते हैं। सरकार आश्वस्त करती है न सिर्फ इस सदन को, सभी वकील बिरादरी को, प्रदेश के सभी रहने वालों को कि कानून–व्यवस्था को कायम रखने के लिए सरकार हमेशा वचनबद्ध रही है और सरकार के लिए यह वाकया इन्तेहाई तकलीफ का है, इन्तेहाई बदनाम करने वाला भी है और हम पुलिस विभाग से भी यह उम्मीद करते हैं, उनके अधिकारियों से भी यह उम्मीद करते हैं कि वह भी सरकार को इस तरह परेशानी

में न डाला करें, किसी भी सरकार को । उनके आचरण से जो सरकार को सुनने को मिलता है, वह कभी अच्छा नहीं है, अगर आचरण नहीं बदलेंगे तो चाहे यह सरकार हो, चाहे आने वाली सरकारें हों, कभी न कभी ऐसा वक्त जरूर आयेगा जब इस पर लोग बैठ कर चिन्तन करेंगे और पुलिस को भी अपना आचरण बदलने के लिए विचार करना पड़ेगा। विदेशों में हम जब भी कभी गये हैं तो हमने वहां देखा है कि अगर कोई परेशानी में है, तकलीफ में है और पुलिस वाला सामने आ जाय तो लगता है उसकी तकलीफ का सारा हल निकल गया, वह सिर्फ उस पुलिस वाले को अपनी प्रॉब्लम नोट करा देंगे, अपने घर चले जायेंगे और पुलिस अपना काम शुरू कर देगी। हमारे यहां हालत यह है कि पुलिस वाले को देख कर हम अपनी समस्या भूल जाते हैं और यह सोंचते हैं पता नहीं एक नया सवाल न खड़ा हो जाय। पुलिस हमारे लिए मददगार के बजाय अगर दहशत बन जाय तो यह पुलिस के लिए कोई बहुत सम्मान की बात नहीं है। अगर पुलिस अपनी वर्दी में, अपने सितारे और अशोक की लाट लगाकर यह समझते हैं कि वह दहशत का कारण बन गये हैं, तो यह किसी भी सरकार के लिए सम्मान का विषय नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मैं यह भी तजुर्बा आपको बताना चाहता हूं और इसलिए बताना चाहता हूं कि बात सदन में और हम सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं, हम आये–दिन धरना प्रदर्शन करते हैं, गिरफ्तारियां देते हैं, पुलिस हमारे साथ ज्यादती भी करती है, लेकिन जब हम लोग सत्ता में आ जाते हैं, तो वही लोग जो हमारे साथ ज्यादती करते हैं, जब एड़ी से एड़ी लगाकर सेल्यूट लगाता है तो हम अपने सारे जख्म भूल जाते हैं। अगर सारी सरकारें जो अब से पहले रही हों, जो आने वाली हों, अगर यह याद रखें कि उनके साथ क्या व्यवहार हुआ था तो मैं समझता हूं बहुत सी समस्याओं का निदान इस तरह भी हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य इस पर विचार करेंगे और अपने–अपने क्षेत्रों में भी अपने–अपने पुलिस अधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे कि वह अपने सबार्डिनेट स्टाफ को संयम में रहने का सबक दें। जब कप्तान अपना संयम खो देगा मान्यवर, जब दरोगा अपना संयम खो देगा, तो उसकी चौकी और उसके थाने के कान्स्टेबल का संयम कहां जायेगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़े अधिकारी पर, बड़ी जिम्मेदारी है, छोटे कर्मचारी पर छोटी जिम्मेदारी है, दरोगा की यह गलती, दरोगा का यह कृत्य, यह पाप बिल्कुल क्षमा करने के काबिल नहीं है। सरकार इसमें पूरी तरह से जो भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, उसे अवश्य करेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि इसको बहुत गम्भीरता से लिया, लेकिन दो बातों का अनुरोध भी है, एक तो जिसने यह कृत्य किया उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो और दूसरी चीज मा0 मुख्य मंत्री जी ने, जैसा संज्ञान में आया कि 10 लाख रुपये मृतक परिवार को दिये, तो इसको वार्ता कर के इस धनराशि को और बढ़ाने का कष्ट करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, न्यायिक परिसर में सुरक्षा की बात मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर में नहीं आई, हम चाहते हैं कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इसका भी संज्ञान लें और न्यायिक परिसर में हथियार ले जाने के सम्बन्ध में भी एक नीति बननी चाहिए। मान्यवर, इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं, हम दो बातें आपसे कह रहे हैं, जैसा कि नेता विरोधी दल ने मांग की है कि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता बढ़ाने की हम उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हैं और इसमें मुल्जिम की गिरफ्तारी तत्काल हो।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस मामले को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लिया है तो निश्चित ही सरकार का इस पर सकारात्मक रुख है लेकिन अभी जो तात्कालिक स्थिति है कि न्याय व्यवस्था ठप है। इसमें बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के लोगों से भी सरकार बात करके इसका हल निकाले और अधिवक्ता कल्याण निधि तो है ही, इसके साथ ही साथ सरकार की ओर से भी जैसा कि हमारे सभी नेतागणों ने कहा है, उनकी मौत की क्षतिपूर्ति तो पैसे से हो नहीं सकती लेकिन उनका परिवार सुरक्षित हो कम से कम आर्थिक रूप से, उसके लिये हमको इसे बढ़ाना चाहिये और एक बात आपको याद दिलायें कि दिल्ली में जब ये आप की सरकार थी तो उनका एक जवान मर गया था, दिल्ली पुलिस एक्साइज का तो एक करोड़ रुपये मुआवजा सरकार ने दिया था। यह हम नहीं कहते कि इतना करें लेकिन तब पर भी 10 लाख रुपये कम हैं नौजवान था, 32 साल की उम्र थी, 5–6 साल की उसकी वकालत थी और गांव का था। उसकी शहर में कोई बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं थी। किराये के मकान में वे रहते थे इसलिये उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुये इस मुआवजे की राशि को और बढ़ाया जाये।

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, अपने सभी साथियों की भावना का आदर करते हुये और सभी सुझावों का संज्ञान लेते हुये मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उससे लगभग हम सब संतुष्ट हैं। यह अतिसंवेदनशील घटना थी। कल की अलीगढ़ की हमारे यहां एक बड़ी अतिसंवेदनशील घटना थी। आज आपने उसको नियम–56 में लेने के लिये कहा था। मैं नहीं कहता कि आज उसकी जरूरत है। मैं केवल यह सुझाव देता हूं कि उसका संज्ञान सरकार ले ले और जो आवश्यक कार्रवाई है उसको करा दे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य नेताओं ने जो बात कही है आर्थिक मदद की मैं अभी नेता सदन से इस पर बात करूंगा और परिसर में सुरक्षा की व्यवस्था की जाये इस बारे में भी बात करेंगे। कम से कम बड़े जिलों में ऐसी व्यवस्था हो इस बारे में भी बात की जायेगी। अक्सर यह देखा गया है कि पुलिस के अलावा अन्य अधिकारीगण भी अपने कार्यालयों में लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर जाते हैं। हमारे यहां इस तरह का एक हादसा पहले हुआ भी है, पहले भी हुआ है सरकार इसका भी संज्ञान लेगी। अगर किसी

अधिकारी को अपनी जान का किसी से खतरा है तो उसके लिये अलग से सुरक्षा लें। खुद हथियार लगाकर किसी अधिकारी का कार्यालय जाना मुनासिब बात नहीं है। लोकतंत्र में इसके लिये अच्छा नहीं माना जायेगा। आखिर में मैं एक बात अपने इलाहाबाद के विधायक दोस्त से और मोहतरमा से कहूंगा कि जो सज्जन इलाहाबाद के हैं और आपसे भी कि आप माहौल को बेहतर करने के लिये सरकार की जो मदद कर सकते हैं, अगर बार काउंसिल से बात करा सकते हों तो उनसे बात करा दें और उन्हें आश्वस्त करें अपने स्तर पर भी। जाहिर है कि आप इलाहाबाद के जितने भी हैं खासतौर से सदस्यगण, सब बाउंसर लोग हैं और उनकी बात का संज्ञान लेगी क्योंकि यह राजनैतिक विषय नहीं है, यह बिल्कुल मानवीय मामला है। आप उन लोगों से मानवीय आधार पर बात कर लीजिये और जो भी बार काउंसिल की शर्तें हैं, वे भी पता चलें ताकि सरकार उन पर भी विचार कर सके और हल निकल सके क्योंकि बड़े पैमाने पर अंदेशा है व्यवस्था का। बड़े पैमाने पर इस बात का अंदेशा है कि कहीं और हड़ताल न हो तो सिर्फ वकीलों का ही नहीं, आम आदमी के जनजीवन का भी बड़ा नुकसान हो जाता है हड़ताल से।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मौर्य जी को सुना, खन्ना साहब को सुना, माथुर साहब को सुना, ठा0 दलवीर सिंह को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। पूरी बातें आ गई हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह भी आश्वस्त कर दिया है कि यदि आप सरकार के कामों से संतुष्ट न हों तो फिर उसे सदन में उठा सकते हैं इसलिये मैं अब इसे अग्राह्य करता हूं।

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी एक कल की व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष–

अरे भाई आप रुकिये, उसको भी ले रहे हैं। यह दूसरा है खन्ना जी का, मा0 धर्मपाल सिंह का, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल का, मा0 सुरेश राणा का, डा0 अरुण कुमार सिंह जी का और श्री श्यामदेव राय चौधरी जी का है स्वाइन फ्लू वाला। चूंकि मा0 मुख्य मंत्री जी का भाषण भी होना है, उनको उत्तर देना है। उन्हें किसी कार्यवश कहीं उनका प्रोग्राम भी है तो स्वाइन फ्लू हो जाये और इसके बाद जो शेष हैं, हम कल फिर लेंगे। आपका भी है, हम कल ले लेंगे। आज मुख्य मंत्री जी 2 बजे भाषण करना चाहते हैं। ये जो सूचनायें आपकी आज नहीं ली जा रही हैं जिनको कल लेने को कहा था, कल आप लोग लगाइयेगा नहीं, उन्हीं सूचनाओं को हम ले लेंगे।

माननीय खन्ना जी, आप बोलेंगे स्वाइन फ्लू पर, श्यामदेव राय चौधरी (दादा) जी का भी यही है। इन लोगों की है सुरेश कुमार खन्ना, धर्मपाल सिंह, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेश राणा, डॉ0 अरबिन्द कुमार तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, स्वाइन फ्लू पर हमारी कल सूचना लगी थी, आपने बोला था आज बुलवा देंगे। कल हमने लगाया था।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए माथुर साहब, डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए। उनको बोलने दें, आप भी बोल लीजिएगा। अब आप भाषण माफिया हो गए हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

इनका भी कराइये इलाज।

श्री अध्यक्ष–

अब ये रात में सोते समय भी बोलते रहते होंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अरे, ये इनका रोग है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर सदन में मुझे अपने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से विचार रखने का अवसर दिया। मैं यहां पर कोई सैनसेशन क्रिएट करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं और न ही यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि यह बीमारी सरकार के कारण पैदा हो रही है या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। बीमारी काफी दिन से चली आ रही है और मैं चुप था लेकिन ट्रेन्ड मैंने देखें हैं और मुझे लगा है कि बच्चों के डॉक्टर के रूप में मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कोई नई बीमारी नहीं है अध्यक्ष जी। वर्ष 2009 से कम से कम हम यह कह सकते हैं कि भारतवर्ष में यह बीमारी आ रही है और हर साल धीरे–धीरे यह वैसे ही बढ़ रही है जैसे आज पूर्वान्चल में हम इन्सेफेलाइटिस को देखते हैं और इन दोनों का सम्बन्ध सुअर से है। सुअर से होने के नाते इन्सेफेलाइटिस को आज तक हम निकाल नहीं पाये। सुअर के नाते यह बीमारी भी हो रही है और वर्ष 2009 से अगर इसकी गति अगर देखी जाए तो वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश में यह बीमारी नहीं थी। वर्ष 2009 में यह बीमारी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और दिल्ली के आस–पास के क्षेत्रों में थी और बढ़ते–बढ़ते आज यह यहां है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बार जो बीमारी उत्तर प्रदेश में आ जाती है, यहां का जो जनसंख्या घनत्व है और यहां की जो आर्द्रता है, उसकी वजह से जल्दी बीमारी यहां से निकल नहीं पाती। हमारे लिए संकट का विषय यह है। अध्यक्ष जी, दूसरा विषय चूंकि मैं डॉक्टर हूं इसलिए कह रहा हूं कि पूरा का पूरा सिस्टम मिस डायरेक्टेड हो गया है इस बीमारी को लेकर। एक अजीब–सा माहौल पैदा किया गया है, इतने मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था कर दी है। अध्यक्ष जी, जब यह सरकार का बयान आता है, तो यह लोगों में भय पैदा करता है, जबकि सच्चाई यही है माननीय अध्यक्ष जी कि हजारों में से शायद किसी एक को इलाज करने के लिए भर्ती की जरूरत पड़े, लेकिन जब हमारा अपना बयान इस बात का आता है तो नागरिकों के दिमाग में खतरे की स्थिति पैदा होती है। दूसरी ओर अधिकारियों का बयान है। जब से सदन चल रहा है, मैं लखनऊ के सी0एम0ओ0 का बयान पढ़ रहा हूं, रोज उनका एक बयान आता है कि 618 मरीज आए थे, 500 ठीक हो गए, आप क्या

कहना चाहते हैं। आप लोगों को यह बता रहे हैं कि 618 में से 500 ठीक हो गए और 118 पता नहीं कहां गए ? यह बयान क्यों आया, आज भी उनका एक बयान है कि 895 आए थे और 700 ठीक हो गए। कहां गए 195 लोग। अगर आप स्वयं समाज को यह बता रहे हैं अपने बयानों से कि 195 लोग पता नहीं कहां गए तो समाज में दहशत पैदा होगी। अजीब सी स्थिति है माननीय अध्यक्ष जी, दवा को लेकर क्योंकि आप आज यहां बैठे हैं, मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि आज आप यहां पर हैं इस विषय को सुनने के लिए (मा0 स्वास्थ्य मंत्री की सदन में उपस्थिति पर)। स्वाइन फ्लू के हर मरीज को दवा की जरूरत नहीं होती लेकिन एक अजीब–सा माहौल दवा की कंपनियों ने पैदा कर दिया है। माननीय मंत्री जी दवा की कंपनियां जो दवायें 520/– रुपये की मिलती है, आज उसे 1000/– रुपये की बेच रही हैं। आप इसी लखनऊ में देखिए। आपके हस्तक्षेप का विषय यह था कि एक अजीब–सी मांग पैदा करके ऐसा किया जा रहा है। तीन ग्रेड होते हैं, डब्ल्यू0एच0ओ0 के अनुसार 'ए', 'बी' और 'सी' सिर्फ 'सी' ग्रेड के मरीज जो मल्टी आर्गेन्स फेल्योर के मरीज होते हैं, उन्हें दवा की जरूरत होती है। एक अजीब–सा भय पैदा किया गया है। मेरे बगल में एक माननीय विधायक बैठते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, खांसी आती है तो उठकर भाग जाते हैं पीछे। अगर अध्यक्ष जी, इनका गला खुलवा दें तो ताबीज बांधे हुए हैं, मैंने पूछा यह क्या है तो बोले स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए। नाम नहीं लूंगा। मान्यवर, यह डर हम लोगों ने पैदा किया है। जरूरत क्या है जरूरत है जागरुकता की सरकार जागरुकता बढ़ाने में असफल है। उसे यह जनमानस को बताना चाहिये कि इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। साधारण दवाओं के उपयोग से इस बीमारी को रोकने की व्यवस्था है। मान्यवर, आप अपने यहां कैन्टीन में देख लें वहां हाथ धोने की डिटरजेंट की समुचित व्यवस्था नहीं हैं। हम लोग बराबर कह रहे हैं कि सरकार इसमें जागरूकता को बढ़ाये, सरकार को जो चीज करनी चाहिये थी वह कार्य वह नहीं कर रही है।

मान्यवर, सरकार की ओर से बयान आता है कि बेड बढ़ा दिये गये हैं भर्ती की व्यवस्था है दवाओं की कमी नहीं होगी यह कौन सा बयान है। इनके प्रमुख सचिव जी का एक बयान अखबार में आया उसमें हैल्पलाइन फोन नं0 आया 18001805145। मैंने कल सुबह छह बजे फोन किया और कहा कि गोरखपुर का हूं यह नहीं बताया कि मैं एक डाक्टर हूं विधायक हूं। उन्होंने पूछा कि क्या बात है। मैंने कहा कि मेरे घर के बगल में एक मरीज है जिसका सर्दी खांसी और उल्टी बहुत उल्टी हो रही है कहीं उसको स्वाइन फ्लू तो नहीं है मैं क्या करूं मुझे डर लग रहा है। बोले उन्हें अस्पताल भेज दीजिये। यह आफिसियल फोन पर सूचना है। मैंने कहा कि मैं कैसे बचूं। उन्होंने कहा कि दोनों टाइम दूध पीजिये और कसरत कीजिये। (हंसी) तो स्वाइन फ्लू आपके पास नहीं आयेगा। मान्यवर, यह सरकार है जिसको जितनी जागरूकता के साथ इसकी रोकथाम की बात को जनता के बीच पहुंचाना चाहिये था उसकी हैल्पलाइन द्वारा यह गैर जिम्मेदारना बात कही जा रही है। इसी का परिणाम है कि पूरे प्रदेश में एक भय का वातावरण व्याप्त है। माननीय मंत्री जी एक संजीदगा मंत्री हैं मैं अनुरोध करना चाहता हूं

कि इसमें सरकार की ओर से एक अधिकृत बयान आना चाहिये था और जो वस्तुतः आवश्यकतायें हैं वह जनता के बीच पहुंचनी चाहिये लोग जान नहीं पा रहे हैं। इन्सेफेलाइटिस में अगर हम लोगों ने सुअरों का वैक्सनाइजेशन किया होता तो वह बीमारी बहुत पहले नियंत्रित हो जाती और उसे आज भी नहीं किया है। मान्यवर यह स्वाइन फ्लू की अलग से वैक्सीन आती है अगर वह वैक्सीन दी होती या जो जहां सूकर की बस्तियां होती हैं वहां उनको अलग किया होता क्योंकि एक साथ रहते हैं, या उन परिवारों में जिनमें स्वाइन फ्लू हुआ है उन परिवारों से पांच साल से कम उम्र के बच्चे या पैंसठ साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं जिनको डायबिटीज की बीमारी है हार्ट की बीमारी है उनको यदि टीके लगवा दिये होते तो शायद इस बीमारी पर इस बार नहीं होता जल्दी लेकिन आगे आने वाले समय में इस पर नियंत्रण महसूस होता। मान्यवर यह पदचाप है जिसे हमें महसूस करना चाहिये नहीं तो जैसी हम बहस इंसेफेलाइटिस पर कर रहे हैं वैसी ही बहस स्वाइन फ्लू पर करेंगे। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। इसलिए इस विषय पर यह आवश्यक है कि जनहित में इस पर विस्तृत चर्चा करा ली जाये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी डाक्टर साहब ने एक चिकित्सक होने के नाते अपने इक्सपीरियेंस को साझा किया और सरकार से अपेक्षा कि कि सरकार को क्या करना चाहिए मेरा यह मानना है कि अगर वकील यह कहने लगे कि तुमको अदालत आने की जरूरत नहीं है घर बैठो, डाक्टर यह कहने लगे कि तुमको दवा की जरूरत नहीं है कुछ नहीं होगा तुम घर बैठो तो एक तो डाक्टर मर जायेगा और वकील वह बेरोजगार बनकर भिक्षाटन करेगा दूसरे जो पीड़ित व्यक्ति वहां जायेंगे उनका भी कुछ हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो डाक्टर साहब कह रहे थे हैवाक क्रिएट कर दिया गया है आखिर जो हैवाक क्रिएटर है जो संत्रास फैला हुआ है स्वाइन फ्लू के विषय में हम तो नहीं जानते डाक्टर साहब जान सकते हैं क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, उसका स्वास्थ्य टेस्ट कैसे होता है, कैसे इससे मुतमयीन हुआ जा सकता है कि यह स्वाइन फ्लू के लक्षण है या नहीं है स्वाइन फ्लू इन पर एफेक्टेड है अथवा नहीं है तो उसके लिए तमाम प्रकार के जांच आवश्यक हैं और हम समझते हैं कि सरकार ने जो कुछ किया है अलग बात है कि सरकार से भी कुछ चूक उसमें हो जा रही है। पूरे देश में 1000 से ऊपर जो लक्षण वाले मरीज हैं वह पाये गये हैं संख्या पर मैं नहीं जाता और न मैं यह कह रहा हूं कोई भी सरकार हो न यह उसके द्वारा कोई लाया गया रोग है। कोई मरीज है और वह सरकार लापरवाही के कारण इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। सरकार भी वही कह रही है जो जनता के अन्दर एक मैसेज देने का काम कर रही है मेरी समझ में कि हम इस रोग को लेकर संजीदा हैं और तमाम आपने बेड आरक्षित कर रखें हैं, किट्स उपलब्ध करा रखें हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि वाराणसी का जहां तक सवाल है, मैं वहां का अनुभव रखता हूं लखनऊ का अनुभव मुझे नहीं है किसी दूसरे जिले का अनुभव मुझे नहीं है वहां यह स्थिति है कि आदमी चाहे लड़का हो, बच्चा हो किसी का पति हो किसी का पिता हो अगर आज की स्थिति में।

श्री अध्यक्ष–

अब संक्षिप्त करें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत समय दिया आपने डाक्टर साहब को चूंकि डाक्टर हैं और मैं रोगी हूं तो रोगी को भी थोड़ा समय दे दीजिए अपनी बात कहने का।

श्री अध्यक्ष–

वह तमाम सुझाव दे रहे थे आप भी सुझाव दे दीजिए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, डाक्टर साहब ने जो कहा है उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं हम यह कह रहे थे जहां तक बनारस का सवाल है वहां भी कई मरीज मर गये आखिर अगर इसका इलाज सही होता, अगर उसकी टेस्टिंग सही हुई होती, उसके सारे लक्षण अगर सही पाये गये होते तो मरीज बचाये जा सकते थे। सरकारी अस्पताल की स्थिति यह है कि वहां जो जा रहा है तो पहले डाक्टर मास्क लगाये हुआ है कहता है अरे भाई दूर रहो स्वाइन फ्लू के नाम पर वह दूरी बना ले रहे हैं और सीधे लिख दे रहे हैं रिफर टू एस0जी0पी0जी0आई0 या बी0एच0यू0 हास्पिटल वहां रिफर कर दे रहे हैं। मैं इस पर बल देना चाहता हूं कि सरकार संजीदा है लेकिन डाक्टर साहब नहीं। हसन साहब निश्चित रूप से मंत्री के रूप में बहुत संजीदा हैं और इस बात को सीरियसली भी लेंगे तो वह इस बात की व्यवस्था करेंगे कि अगर इस तरह का वातावरण बना है और लोग भी वहां जा रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य टेस्ट करिये यह करिये वह करिये तो उसका टेस्ट हो जाय और वह निश्चिन्त होकर के घर लौटे कि हमारे अन्दर स्वाइन फ्लू का कोई लक्षण नहीं है। मैं इसी बात को कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि विषय बहुत गम्भीर है। यह विषय नियम–56 का है ही यह कार्य–स्थगन का भी विषय है इस पर सभी कार्य रोककर चर्चा कराने की अनुज्ञा देने की कृपा करें।

'श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैंने स्वयं अपने क्षेत्र में देखा है, अभी हमारे यहां चरथावल में मेरे साथी जिला उपाध्यक्ष रहे आशीष गर्ग, उम्र 45 साल की स्वाइन फ्लू के कारण मौत हुई, माननीय मंत्री जी चितरंजन स्वरूप भी सामने हमारे बैठे हैं, ऐसे दहशत का माहौल पूरे जिले के अंदर हुआ कि जब उनकी अन्त्येष्टि में शामिल होने के लिये मैं सुबह गया तो सौ प्रतिशत लोगों ने वहां मास्क लगाया हुआ था, भय का वातावरण था और डेडबाडी के पास आने को कोई तैयार नहीं था। लग रहा था पता नहीं क्या महामारी हो गई है ? एक दूसरी घटना मैं बता रहा हूं, हमारे साथी विधायक हैं श्री लोकेन्द्र सिंह चौहान, उनकी भाभी श्रीमती राजेश्वरी देवी को स्वाइन फ्लू हुआ जिसमें जब वह बिजनौर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हास्पिटल में गई तो वहां हाथ खड़े कर दिये गये, मेरठ के आनन्द हास्पिटल में गई तो वहां हाथ खड़े कर दिये गये, फिर के0एम0सी0 मेरठ में 23 दिन रही, उनका वहां इलाज हुआ। मेरे ही क्षेत्र के को–आपरेटिव सोसाइटी के वर्तमान चेयरमैन हैं अशोक कुमार सिंह मुजफ्फरनगर में कई दिन एडमिट होने के बाद जब कहा गया कि स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं तो वह सीधे गये दिल्ली। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा बड़ा भयावह वातावरण प्रदेश के अंदर हो गया है और कहा जा रहा है कि बेड की व्यवस्था है। सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि स्वाइन फ्लू के रोगी को तुरंत वेन्टीलेटर की आवश्यकता होती है, सांस में तकलीफ होती है, लेकिन किसी भी हास्पिटल में जाओ तो वेण्टीलेटर की उपलब्धता नहीं है और हालात यह हैं कि मरीज से एक–एक दिन के बीस–बीस हजार रुपये वसूले जा रहे हैं, बीस–बीस हजार रुपये प्रतिदिन। बाहर मरीज मरणासन्न स्थिति में पड़ा है और अंदर कहा जा रहा है कि यहां पर कोई वेन्टीलेटर की उपलब्धता नहीं है, सौदेबाजी की जा रही है। नेताओं के द्वारा टेलीफोन हो रहे हैं, व्यक्ति अप्रोच ढूंढ रहे हैं कि कैसे मेरा पेसेण्ट एडमिट हो सके। उत्तर प्रदेश के बाद वह पहुंचता है दिल्ली और दिल्ली के अस्पतालों में भी उससे वसूली हो रही है और वही वातावरण वहां भी चल रहा है। यह बहुत लोक महत्व का प्रश्न है, लोक महत्व का विषय है। अतएव मेरा आपसे आग्रह है, डा0 साहब को तो बहुत विशेषज्ञता हासिल है, कम से कम जैसा मेरे संज्ञान में है कि जांच में विलम्ब न हो क्योंकि यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है, इसकी जांच के लिए जिला स्तर पर प्रापर व्यवस्था हो और पेसेण्ट को लेकर जो तीमारदार जाये डाक्टरों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा हो। रैबीज के बारे में सुना है कि जब किसी को रैबीज होता था तो डाक्टर दूर से हाथ खड़ा कर देता था कि बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, ठीक वैसी ही हालत आज स्वाइन फ्लू की हो गई है। जो पेसेण्ट के साथ के लोग होते हैं उनसे बात करने के लिए डाक्टर तैयार नहीं हैं। इसलिये उत्तर प्रदेश में उचित रूप से लैब की व्यवस्था हो जिससे जांच में स्पष्ट हो जाये कि क्या बीमारी और लक्षण हैं और वेण्टीलेटर की पर्याप्त व्यवस्थायें हों जिस कारण से आम आदमी भी अपना इलाज कराने में सक्षम हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर चर्चा की मांग करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर डा0 राधामोहन दास साहब ने जो कुछ कहा उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। डा0 साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं और पूरे प्रदेश में जो डर का माहौल बन रहा है सरकार को उसे रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाने चाहिये। इसके साथ–साथ कालेजेज और स्कूल में भी इस तरह का प्रोप्रोगंडा होना चाहिये जिससे बच्चें और पैरेन्ट्स सब एलर्ट रहें और उनको इसके बारे में ज्ञान हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं उनमें भयंकर ब्लैकमेलिंग हो रही है, क्योंकि जिला अस्पताल वाले तो कह देते हैं कि बेड्स नहीं हैं या गवर्नमेण्ट हास्पिटलस् कह देते हैं कि बेड्स नहीं हैं और फिर प्राइवेट हास्पिटल वाले

उनका शोषण करते हैं, वह खांसी–जुखाम के नाम पर स्वाइन फ्लू का एक डर फैलाकर उनसे पैथालाजी के टेस्ट कराते हैं और गरीब जनता से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। यह तो ठीक है कि इसमें सरकार सही कदम उठा रही है, लेकिन सरकार को इसे ठीक से कन्ट्रोल करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि इसके प्रचार–प्रसार के लिये सिर्फ अखबारों में विज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर सी0एम0एस0 सी0एम0ओ0 से कहिये कि वह अपने संबंधित डाक्टर्स की टीम को लेकर जगह–जगह जायें और इसका व्यापक प्रचार करें और इसकी रोकथाम करें। यह लोक महत्व का प्रश्न है और जो गलतफहमी पैदा की जा रही है उस गलतफहमी को कैसे रोका जाये, इस पर सरकार की तरफ से उत्तर आना चाहिये।

'चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यगण का आभारी हूं कि उन्होंने स्वाइन फ्लू के बारे में यहां पर बहुत सारी जानकारियां दी। पिछले थोड़े दिनों से यह स्वाइन फ्लू की बीमारी का प्रकोप उत्तर प्रदेश में आया और अब तक 1600 मरीजों का शक हुआ कि इनको स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं और वह जांच के लिये नमूने भेजे गये, उसमें लगभग 800 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुयी। उत्तर प्रदेश में अब तक सिर्फ 16 डेथ हुयी हैं, 784 लोग इलाज से ठीक हुये, उनका इलाज किया गया और वह ठीक होकर अपने घर चले गये और स्वस्थ हैं। तो उनके इलाज के सिलसिले में अच्छा काम हुआ क्योंकि पर्याप्त दवायें हैं और डाक्टरों को जो इलाज मरीजों का करना था, वह उन्होंने किया। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात अपनी जगह पर यह भी सही है कि जनता का मौजूदा सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत विश्वास बढ़ा है इसीलिये बहुत ज्यादा लोग हर तरह से अस्पतालों में आ रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने दवाओं के लिये इतना धन उपलब्ध कराया है कि कहीं किसी प्रकार की दवा की कमी नहीं है। इसलिये जो यहां पर जांच की चीजें थीं, दो जगह जांच हो सकती थी एक तो पी0जी0आई0 में और दूसरा किंग जार्ज मेडिकल कालेज में। वह जांच 24 घन्टे खोली गयी ताकि जांच हो जाये और लोगों को सही बात पता चल जाये। अब दिल्ली की जांच में लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा और भी अस्पतालों में जांच की सुविधा उपलब्ध कराने का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि आनरेबिल मेम्बर्स ने जो यहां सुझाव दिये हैं, वह स्वागत योग्य हैं। जो सरकार ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किये हैं, हम लोगों की यही कोशिश थी कि पैनिक क्रियेट न होने पाये । पैनिक क्रियेट होने से एक तो दवा व्यापारी ब्लैक करते हैं, यह बात सही है और दूसरे प्राइवेट नर्सिंग होम पैसा वसूलते हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल जी तो इसमें स्पेशलाइजेशन रखते हैं, हम पहले से भी जानकारी रखते हैं, हम रहे हैं गोरखपुर में किसी न किसी कैपेसिटी में और श्यामदेव राय चौधरी साहब के साथ भी रहे हैं। इन सभी सदस्यों ने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया है। यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात सही है और हम आपसे अपील करेंगे कि पैनिक जैसी कोई आवश्यकता नहीं है और पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में कोई डेथ नहीं हुयी है जबकि दूसरे प्रदेशों में हजारों की तादाद में डेथ हुयी है। दूसरी जगह से आप मुकाबला करिये, इसीलिये तो डेथ हुयी होगी कि वहां मरीजों का ठीक से इलाज नहीं हुआ होगा, दवायें नहीं गई होगीं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि गुजरात, राजस्थान में क्या हाल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सरकार ने जो–जो प्रयास किये हैं और जो आप लोगों ने सुझाव दिये हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको साथ लेकर और प्रयास करें। हम धन्यवाद देंगे उत्तर प्रदेश की जनता को, आप लोगों को और मीडिया के भाईयों को भी धन्यवाद देंगे, बहनों को भी धन्यवाद देंगे कि उत्तर प्रदेश में यहां पैनिक की स्थिति नहीं होने पायी। इसलिये इस समय स्थिति बिल्कुल ठीक है और मुझे उम्मीद है कि स्वाइन फ्लू की बीमारी से बहुत जल्द उत्तर प्रदेश को छुटकारा मिल जायेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

एक बात जो मैंने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी दिया और मेरा यह अनुभव था कि अगर आप ऐसे ही सूचना केन्द्र चला रहे हैं और इन सूचना केन्द्रों पर पहुंचने वाले लोगों के साथ गंभीर लापरवाही की जा रही है और उन्हें यह बताया जा रहा है कि कसरत करो, बीमारी नहीं आयेगी तो कम से कम आप अपने उन सूचना केन्द्रों को ठीक करिये और वहां ऐसे लोगों को बैठाइये जो इस बीमारी के बारे में कुछ जानते हों। कम से कम जो नागरिक उन्हें फोन करें उन्हें सही सूचनायें मिल जायें और उनके अंदर हिम्मत आ जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें दो बातों पर बल दिया गया था। एक तो विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता हो जाये और दूसरी बात, कि जिला स्तर पर जांच की व्यवस्था हो जाय, यह बहुत जरूरी है इस पैनिक को खत्म करने के लिये। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जो मा0 सुरेश राणा जी ने और मा0 डॉक्टर साहब ने कही हैं। लेकिन मान्यवर, नर्सिंग होम वालों ने बहुत ज्यादा इस मामले में अन्धाधुन्धी मचा रखी है इसलिए सरकार की तरफ से विज्ञापन आ जाए और दूसरा, जिला स्तर पर जांच की व्यवस्था हो जाए। इन दो बातों की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।

श्री अहमद हसन–

मान्यवर, आदरणीय सदस्य मा0 खन्ना साहब ने जो कहा है वह सही सुझाव है हम उसका इन्तजाम कर देंगे। दूसरे मा0 डॉक्टर साहब ने जो बात कही है उस पर हम कहना नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें बहुत जल्द मालूम होगा कि जिन लोगों को बैठाया गया और उन्होंने ऐसा आचरण किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसे सीरियसली नोट कराया गया है, हम कार्रवाई करेंगे और आगे

से ऐसी चीजें नहीं होंगी। आपने तो बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं, मैंने बताया कि आपके सुझाव स्वागत योग्य हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल एवं अन्य मा0 सदस्यों को सुना तथा मा0 मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

आपका नियम–56 में था लेकिन स्वीकार नहीं हो पाया है क्योंकि मा0 मुख्य मंत्री जी बोलेंगे।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आगे ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

हां, आगे आप दे दीजिएगा, ले लेंगे।

ख01.58, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा†

श्री अध्यक्ष–

अब चर्चा जारी की जाए।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, पहले मा0 अगयश राम सरन वर्मा को अवसर दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, पहले सत्तापक्ष से बोल लें क्योंकि उधर से बन्द हुआ था।

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विजय बहादुर पाल)–

हमारे समस्त वरिष्ठ मंत्रिगण, नेता विपक्ष और सभी सम्मानित नेताओं एवं सम्मानित सदन, आज वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मा0 अध्यक्ष जी को कोटि–कोटि प्रणाम। प्रदेश में, स्वदेश में, देश में, विदेश में, विश्वास है अखिलेश में। उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट केवल आय–व्ययक का चिट्ठा नहीं है, यह समाजवादी नीतियों, सिद्धान्तों, कार्यक्रमों का दर्पण है। यह उत्तर प्रदेश की जनआकांक्षाओं, जनअभिलाषाओं और जनआशाओं को दर्शाता है। मान्यवर, हर राजनैतिक दल के प्रेरक स्रोत हुआ करते हैं, आपके भी प्रेरक स्रोत रहे, आपने उनके नाम का खुल कर व्यापार किया।

श्री अध्यक्ष–

† दिनांक 09 मार्च, 2015 की कार्यवाही से।

मा0 सदस्य, आज मा0 मुख्य मंत्री जी को बोलना है इसलिए कम से कम आज तो आप लोग उन्हें डिस्टर्ब न कीजिए।

श्री विजय बहादुर पाल–

मैं नाम नहीं लूंगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम का व्यापार किया। आपने क्रान्तिकारियों के साथ दगा किया। शहीदों के साथ दगा किया। देश के इतिहास के साथ दगा किया। अगर आपने राष्ट्रपिता बापू को ठिकाने लगाया, तो बुरा न मानिये आप खुद इस अपराध में ठिकाने लग गये। उनके लिए क्या कहूं, जो अपने महापुरुषों को भूल जाते हैं। उन्हें याद नहीं रहे डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद नहीं रहे पं0 दीन दयाल उपाध्याय। अरे! आप तो राम के नाम का भी व्यापार करने में नहीं चूके। कैसे–कैसे आप पैंतरे बदलते हो और कैसे–कैसे आप नये महापुरुष खोज लाते हो। आप शब्दों के जादूगर हो। आप भारतीय संस्कृति का ढिंढोरा बहादुरी से पीटते हो। इसलिए आपको कोटि–कोटि प्रणाम, बहुत–बहुत धन्यवाद्। कथनी आपकी बड़ी जोरदार है।

कथनी मीठी खांड़ सी, करनी विष की होय।
कथनी तज करनी करै, विष से अमृत होय।।

बहुत सिंह गर्जना करते हैं। ईश्वर ने उन्हें बेजोड़ वाणी भी दी है। बड़ा बुलन्द सा गला दिया है। मैं उन्हें स्मरण दिला दूं। उन्होंने जनतन्त्र को धनतन्त्र में बदल दिया और जनता तो दूर, उनके बड़े–बड़े नेताओं की, उन देवी जी से जो तानाशाही की प्रतिमूर्ति थीं, सिट्टी–पिट्टी भूल जाती थी, उनका नाम, उनकी शक्ल देखने में, उनके आवास की तरफ झांकने में। माननीय मुख्य मंत्री जी आपको इसलिए धन्यवाद कि इस उत्तर प्रदेश को, अब तक सत्ता में जो लोग रहे उनके मुंह से निकला बीमारू प्रदेश, बदहाल प्रदेश, कंगाल प्रदेश, शर्मिन्दगी दिलाने वाला प्रदेश, अशिक्षित प्रदेश, कुशिक्षित प्रदेश, समस्याओं का, सवालों का प्रदेश, चुनौतियों का प्रदेश। आप उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। आप उत्तम प्रदेश में विभिन्न समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं, चाहे बेटियां हों उनके लिए बजट में स्थान, चाहे मजदूर हों, चाहे किस्मत कोसते किसान हों, चाहे विकलांग हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे शहर हो, चाहे गांव हों आपने समग्र विकास की परिकल्पना अपने दृष्टि में रखी, वह बजट में स्पष्ट परिलक्षित होती है। मान्यवर, शिक्षा कभी चिंतन का विषय हुआ करता था, एक समय आया जब चिंता का विषय होने लगा और एक समय ऐसा आया जब मामला चिता की ओर जाने लगा। ऐसे समय पर चाहे प्राइमरी की शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन हो, आपने उनमें सुधार करने की शानदार शुरुआत की है।

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करिये, 2.00 बज गया है।

श्री विजय बहादुर पाल–

गम्भीरतापूर्वक आप सब बातों को सुनेंगे नहीं और अपनी बात धमाके से कहेंगे। आप रटे रटाये शब्दों का प्रयोग करेंगे ''झूठ का पुलिन्दा'', ''हवा–हवाई'', ''आंकड़ों की

बाजीगरी।'' जब आप बजट ठीक से पढ़ेंगे नहीं और आप हम लोगों को सुनेंगे नहीं तब कैसे आप घिसी–पिटी लीक से हटकर बात करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश विशालतम प्रदेश है और विशालतम प्रदेश का यह विशालतम का बजट है। कोई नये कर नहीं लगाये गये। संसाधनों की व्यवस्था की गयी और इस तरह से कहीं ऐसा नहीं है कि हम किसी जातिवर्ग के विशेष हिमायती हों। हमने सबका ख्याल रखा। अध्यक्ष जी, आपका निर्देश मान करके दो शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूं ''ये कब तक मजहबी नशा बांटियेगा, ये उन्माद वाली हवा बांटियेगा। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये वोटों की जिद में, रहा न वतन तो क्या बांटियेगा।'' अध्यक्ष जी, आपने ऐसे बजट पर जिसमें विभिन्न मदों के लिए पर्याप्त धनराशि दी है, जिसमें उत्तम प्रदेश के लिए उत्तम शिक्षा की महत्ता को समझा गया है और प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तथा सड़कों, पुलों, सिंचाई, दवाई और पढ़ाई–लिखाई के लिए पर्याप्त धन दिया गया है। हमने कहा, हम जो कहते हैं वह करते हैं। दूसरे विपक्ष में बैठे हुए लोग स्वतः यह स्वीकारते हैं। यहां तो नहीं लेकिन अपने घरों में अपनी पत्नियों के सामने स्वीकारते हैं कि समाजवादी लोग जो कहते हैं वह करते हैं।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपायी।) इसलिए माननीय अध्यक्ष जी इससे पहले तमाम मुख्य मंत्री हुए उनकी प्रशंसा के पुल बांधे गये, उनको बहुत सम्मानित किया गया लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में जो प्रेम एवं स्नेह का स्थान युवा एवं ओजस्वी मुख्य मंत्री के प्रति है वह शायद ही किसी के प्रति रहा हो।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये, मा0 मुख्य मंत्री जी को बोलना है।

श्री विजय बहादुर पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इसी के साथ आपको बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। धन्यवाद।

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी तक जो चर्चा हुई है उस चर्चा में प्रदेश का 22 करोड़ जनता में से 4 करोड़ जनता है जो अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुस्लिम वर्ग के हैं उस पर विस्तार रूप से चर्चा नहीं हो पायी है। जो चर्चा हुई है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं उसी मुद्दे पर बात करूंगा जिस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है और जिस पर बहस की और इस प्रदेश के विकास के लिए जरूरत है। प्रदेश सरकार इन्क्लूसिव और इक्वेटीबिल डेवलपमेंट के लिए संकल्प लेती है। संकल्प लेती है जिसमें सभी वर्गों की विकास में हिस्सेदारी हो सभी मिलकर प्रदेश का विकास करें। जिस तरीके से पन्द्रह प्वाइंट प्रोग्राम चालीस साल से केन्द्र सरकार ने चलाया विशेषकर अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज के विकास के लिए उनके उत्थान के लिए मगर 2007 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आइना दिखाती है कि उस डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो रिजल्ट

निकला उससे मुसलमान, दलितों से भी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में पिछड़ा हो गया है। उसी तरीके से 20 प्रतिशत मात्रांकित किया गया है समाजवादी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए अपने कुछ प्रोग्राम में मगर मुझे जहां तक जानकारी है कि 2012 से उस 20 प्रतिशत में 2 परसेंट भी उनकी हिस्सेदारी मात्रांकित करने के बाद भी उन्हें नहीं मिल रही है और उससे उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहां तक मुस्लिम समाज है उसी तरीके इस 22 करोड़ में से करीब 5 करोड़ अति पिछड़े समाज के बहुसंख्यक समाज के वर्ग के लोग हैं जिसमें विशेषकर निषाद समाज, शाक्य समाज, सैनी, मौर्य, कुशवाहा और नाई बहुत सारे समाज के लोग हैं मगर इनका भी विकास मुस्लिम समाज के विकास के तरीके से इनका भी विकास नहीं हो पाया है। यह मुस्लिम और अति पिछड़ा समाज पूरा का पूरा समाज या तो बुनकर समाज है दस्तकार है जिस पर इनकी रोजी रोटी चलती है जिस तरीके से कृषि के विकास के लिए इस सरकार ने समुचित विकास के लिए योजनाएं दी हैं उसी तरीके से बुनकरों के लिए दस्तकारों के विकास के लिए उनके आगे बढ़ने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो बुनकरों के जिले थे, जो उत्तर प्रदेश के कृषि में बाद सबसे ज्यादा रोजगार दे रहे थे, जिससे प्रदेश का विकास हो रहा था, ऐसे जिले चाहें वह सन्त कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, बनारस, मुबारकपुर और आजमगढ़ का हो यह सारे जिले जहां से बुनकर का तैयार सामान पूरे देश में जाता था आज सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूरा बुनकर उद्योग पूरी तरीके से बन्द हो गया है और वहां जितने मजदूर काम कर रहे थे वह प्रदेश से बाहर जाकर रोजगार ढूंढ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

थोड़ा संक्षेप करें। आपके लिए पांच मिनट थे वह हो रहे हैं। एक मिनट बचा है।

डा0 मो0 अयूब–

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सारे बुनकर मजबूर होकर पलायन कर रहे हैं इसलिए मैं सरकार के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि जो भी कार्यक्रम या जो भी उत्थान का प्रयास बुनकरों के लिए किया है उससे बुनकरों को कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि जिस तरीके से कृषि के लिए बीज खाद की व्यवस्था की जाती है उसी तरीके से बुनकरों के लिए सूत की व्यवस्था और दस्तकारों के लिए जो सामान यूज होता है उसके लिए उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे उनके सामान को खरीदने की व्यवस्था जनता सरकार ने उनके माल को खरीदने की व्यवस्था की थी मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि अगर लाभकारी मूल्य देकर जो वस्त्र या सामान सरकार बाजार से खरीदती है तो अपने इन दस्तकारों से लाभकारी मूल्य पर खरीदे तो मैं समझता हूं कि बुनकरों और दस्तकारों का इसका बढ़ावा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

अब डाक्टर साहब समाप्त करें।

डा0 मो0 अयूब–

अध्यक्ष जी अभी पांच मिनट नहीं हुआ मैं घड़ी देख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

हमारे सामने भी घड़ी है। पांच मिनट हो गए हैं। अभी तक आप बोले नहीं अब अन्तिम समय में बोल रहे हैं।

डा0 मो0 अयूब–

मैं थोड़े समय में अपनी बात रखना चाहता हूं। प्रदेश के बच्चों में कुपोषण 42 प्रतिशत है और एक डाक्टर होने के नाते मैं जानता हूं कि जब तक कुपोषण नहीं दूर होगा समाज बेहतर नहीं हो सकता। सरकार यह मानती है कि सबसे ज्यादा उपेक्षित शोषित और सबसे कमजोर वर्ग इस प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम वर्ग है। अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम वर्ग है और यह भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मुस्लिम में सबसे कमजोर वर्ग का बच्चा मदरसे में तालीम हासिल करता है और प्रदेश में अगर 42 परसेन्ट एवरेज में कुपोषण का शिकार है तो मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 80 परसेन्ट मदरसों के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और अगर सरकार यह चाहती है कि सबसे गरीब आदमी के पास सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे तो मदरसों में पढ़ रहे हैं, बच्चा का न तो केन्द्र सरकार की तरफ से न तो प्रदेश सरकार की तरफ से कपड़ा, और मिड–डे–मील मिलता है, न उसकी फीस की आपूर्ति होती है, न उसके रहने की व्यवस्था है, तो मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर साहब अब खत्म करें। अब नहीं, समाप्त करें अब बैठ जायं।

डा0 मो0 अयूब–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी।

(मेजों की थपथपाहट)

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बजट की चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद। बजट की सामान्य चर्चा में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या जी, भाजपा के विधायक दल के नेता माननीय सुरेश खन्ना जी, कांग्रेस के विधायक दल के नेता माननीय प्रदीप माथुर जी, राष्ट्रीय लोक दल के नेता माननीय दलवीर सिंह जी, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी और बड़ी संख्या में हमारे सभी माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। बहुत से माननीय सदस्यों के सुझाव भी आये हैं। जहां सुझाव दिया है वहीं अपने क्षेत्र की बाते भी उन्होंने रखी हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को इस मौके पर, इस बहस के लिये धन्यवाद भी देता हूं और उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उनके लिये भी

बहुत–बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट) मुझे इस सदन में यह चौथा बजट पेश करने का मौका मिला है। बजट बनाते समय समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो जनता के बीच में बात रखी थी उनका व अन्य तमाम बातों को शामिल करते हुए, कि कैसे हर वर्ग तक सरकार के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाय, मदद पहुंचाई जाय ध्यान रखा गया है और सरकार की यह कोशिश रही है कि कोई वर्ग उसमें छूट न जाय। जहॉ सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है वहीं सरकार की यह कोशिश रही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य लाभ तमाम गरीब लोगों तक पहुंचे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि किसान के लिये, गरीब, मजदूर और मुस्लिम भाई के लिये हमेशा काम किया है। हर बजट में काम हुआ है लेकिन विशेषकर इस वर्ष को किसान वर्ष के रूप में मनाने का सरकार ने फैसला लिया है। (मेजों की थपथपाहट) जहां माननीय नेता प्रतिपक्ष यह कहते रहे कि यह बजट सपनों का है और सपने दिखाये गये हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद दूंगा कि वह जो शब्द हर बार इस्तेमाल करते थे इस बार उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया और यह कहा कि सपनों का बजट है यह। क्योंकि अभिभाषण की चर्चा में जो आदरणीय गवर्नर साहब का जो जवाब था उस चर्चा में मैंने कहा था कि हमारे नेता प्रतिपक्ष कई बार चीजें देखते नहीं हैं, जानबूझकर आंखें बन्द कर लेते हैं। यह आपको सपने का बजट लग रहा है और इसलिये सपने का बजट लग रहा है क्योंकि हमारे सपने दूसरे हो सकते हैं, हमारी कोशिश दूसरी हो सकती है लेकिन आपने इस बजट चर्चा में अपने सपनों के बारे में भी बताया। आपके सपने में जो आता था वह आपने करके दिखा दिया। आपके सपने में प्रतिमाएं, बुत, पत्थरों के जो पार्क आते थे वह आपने हकीकत में करके दिखा दिया। अगर यह सपनों को हमने दिखाने की कोशिश की है तो हमारी यह कोशिश रही है इस बजट के माध्यम से, कि जो सबसे ज्यादा गरीब है, किसान है, मजदूर है और प्रदेश कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाए इसके लिए हमने काम किया है। अगर पूरा बजट आप देखेंगे सड़कों पर ध्यान दिया है। क्योंकि आबादी बढ़ रही है। हमारे ट्रैफिक का वाल्यूम बढ़ रहा है तो कैसे सड़कें ऐसी बनें कि सड़कों पर इतनी गाड़ियां चल सकें। मैं यह कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार ने पहली बार यह तय किया कि जिला मुख्यालयों को फोर लेन से जोड़ा जाए। इसलिए जोड़ा जाए कि इधर आबादी बढ़ी है और ट्रैफिक भी बहुत बढ़ा है। मैंने कई बार कहा है कि जिस समय आप रफ्तार बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे लोगों को सुविधा देने में कामयाब हो जाएंगे। सड़कों का इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक कर देंगे तो तरक्की खुशहाली अपने आप आ जाएगी–

'इफ यू कैन डबल द स्पीड, यू कैन ट्रिपल द इकोनोमी,'

यह अंग्रेजी में कहावत है कि रफ्तार अगर आप बढ़ा सकते हैं तो उस रफ्तार से आपकी इकोनोमी भी बदलेगी। क्योंकि मा0 नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने जो सड़कें बनाईं या उन्होंने जो सड़कें बनाने का काम किया, कितनी सड़कें बनाईं ? क्योंकि अपने आंकड़े नहीं थे, एक दो आंकड़े जरूर दिए उन्होंने, मा0 नेता प्रतिपक्ष तमाम वह बातें, वह सड़कें उठाते रहे पार्लियामेंट में जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी जो कागज वह लेकर आए थे।

सरकार ने यह तय किया है कि कैसे मुख्यालयों को जोड़ा जाए। जो मुख्यालय एन0एच0ए0आई0 से जुड़ रहे हैं उनको हम क्यों जोड़ेंगे ? हम उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो एन0एच0ए0आई0 या किसी सड़क से नहीं जुड़ रहे हैं। एक प्लान तैयार किया है कि जिला मुख्यालयों को जोड़ सकते हैं। आपने जो सड़कों का उदाहरण दिया कहा कि कन्नौज में भी, जब मैं लोक सभा में सांसद था, उस समय जो मा0 मंत्री कांग्रेस पार्टी के थे कमलनाथ जी, उस समय भी मैंने सवाल उठाया था जहां आपने एन0एच0टू को एन0एच0ए0आई0 कर दिया और दबाव इतना है कि जो लोग उस सड़क के आसपास रहते होंगे, जाते होंगे, चलते होंगे, वह आज सिक्स लेन हो रहा है। वही हमने जी0टी0 रोड के लिए कहा था कि ट्रैफिक वाल्यूम बढ़ गया है यह भी फोर लेन होनी चाहिए क्योंकि यह हमारे हाथ में नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की वह सड़क नहीं है। लेकिन हां अगर थोड़ा सा दायें देख लेते कि जो सड़क तिरवा को जाती है कन्नौज को जा रही है वह हम फोर लेन बना रहे हैं।

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी हम लोग बना रहे हैं आपने कहा कि आपकी हमने नकल कर ली और आपने उदाहरण दिया कि जो आपने सड़क बनाई थी उसी की हमने नकल कर ली। पता नहीं तीन साल बाद ख्याल आपको आया कि आपको गंगा एक्सप्रेस–वे बनाना है और वह ख्याल इसलिए आया कि आदरणीय अध्यक्ष जी, मा0 नेता प्रतिपक्ष, यह जानते हैं कि समाजवादी सरकार का जो फैसला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे वह एक अच्छा फैसला है और यह सड़क बनेगी तो उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इसलिए आपको तीन साल बाद फिर ख्याल आ गया कि गंगा एक्सप्रेस बनाना पड़ेगा। मैंने उस समय भी सवाल पूछा था कि गंगा एक्सप्रेस–वे बनाओगे तो किसानों को मुआवजा क्या दोगे, जिन किसानों की जमीन जाएगी उन किसानों को मुआवजा क्या दोगे आप ? आपने जो सड़कें बनाई उसमें मुआवजा क्या दिया ? आपने मुआवजा क्या दिया था अगर वह बताया होता तो मैं समझता हूं यह सदन पूरा जान गया होता कि आपने मुआवजा क्या दिया था। फिर कहा कि पी0पी0पी0 पर सड़क नहीं बनी है हमने बनाकर दिखाया। आप ही ने आदत खराब की है। आपने सड़क के बहाने इतनी मिठाई दे दी कि अगर हम सड़क बनाना चाहें तो नहीं बना सकते क्योंकि मिठाई उनको चाहिए। पी0पी0पी0 मॉडल वहीं सक्सेसफुल है जहां ज्यादा मिठाई दे दोगे आप। मिठाई तो हमने दी नहीं, मिठाई सड़क पर नहीं दी इसलिए कोई इन्वेस्टर नहीं आया। हम यह स्वीकार करते हैं कोई इन्वेस्टर तैयार नहीं हुआ, क्योंकि लैन्ड पार्सल उसके साथ नहीं था। मा0 सदस्य हमारे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, यह भी जानते होंगे, आपकी सरकार में भी फैसला लिया गया है। केन्द्रीय मंत्री जी ने कहा कि अब पी0पी0पी0 पर संभव नहीं है सड़क बनना, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी पी0पी0पी0 सड़क बनवा दी, कोई इन्वेस्टर नहीं आया इसलिए हमने वह सड़क बदली और उसका मॉडल बदल दिया। क्योंकि सड़क बनने से तरक्की, खुशहाली होगी। दुनिया के जितने भी मुल्क हैं जिन्होंने तरक्की की है उन्होंने अपने यहां सड़कें बना दीं, इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया। बिजली

का इन्तजाम कर दिया वह आज तरक्की के रास्ते पर हैं। आपने जो सड़कें दी यहां बहुत से मा0 सदस्य ऐसे भी होंगे जो बहुत पुराने होंगे, जो बजटों को पढ़ने का काम करते होंगे। उन्होंने बजट के आंकड़े भी निकाले होंगे। इन्होंने जो मिठाई केवल एक सड़क पर दी है जो केवल एक सड़क बनाने में मिठाई इन्होंने दी है जो आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे की आधी है। उसमें जो इन्होंने मिठाई दी है वह मिठाई दी नोयडा, जिला गौतमबुद्ध नगर में 500 हेक्टेयर, जगनपुर, गौतमबुद्ध नगर में 500 हेक्टेयर, मिर्जापुर जिला, गौतमबुद्ध नगर में 500 हेक्टेयर, टप्पल में 500 हेक्टेयर और आगरा जिल में 500 हेक्टेयर। अब जब इतनी मिठाई दे देंगे और मैंने जो बात कही कि आप आजादी के बाद के उत्तर प्रदेश के पूरे बजट मिला लीजिये, उतने की कीमत केवल एक सड़क पर आपने दे दी। 500 हेक्टेयर कितने रुपये का हुआ ? क्या सर्किल रेट होगा ? क्या रेट रहा होगा ? लेकिन हम मिठाई दे नहीं सकते इसलिये पी0पी0पी0 पर कोई आया नहीं। अभी केन्द्र में हमारे बीजेपी के मा0 सदस्यों की सरकार है तो यह जानते होंगे कि बहुत जगह पी0पी0पी0 मॉडल असफल हुआ है। इसलिये हम लोग अपने यू0पी0सी0 मॉडल पर आये हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि जिस समय मैं शिलान्यास कर रहा था नेता जी उस कार्यक्रम में थे और हमारे मा0 मंत्रीगण भी थे। उस समय नेता जी ने कहा था कि जब सड़क मैं बनाता था या पुल बनाता था तो उद्घाटन की तारीख देता था। हम बनाना चाहते थे 24 महीने या ज्यादा महीनों में, लेकिन नेता जी ने कहा कि चुनाव हो जायेगा इसलिये चुनाव के पहले जनता को सड़क चलने के लिये मिलनी चाहिये। तो मैंने तय करके जो सड़क 24 महीने में बनने जा रही थी या और ज्यादा समय लग सकता था, उसमें 22 महीने का टारगेट फिक्स किया। (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) 22 महीने में और आपने पता नहीं कितनी सरकारें चली गईं तब जाकर आपने 160 किलोमीटर सड़क बनाई। कितने मुकदमें हुये, कितने किसानों ने आंदोलन किये, कितनों की जानें गईं। सभी मुकदमें हमनें वापस लिये। कई किसान नेता जेल में रहे उनको छुड़वाया। कई किसानों की जान चली गई तब सड़क बन पायी। आप बता दें अगर एक भी आंदोलन हुआ हो। अगर किसानों का आंदोलन हुआ तो हमनें उनकी अधिकारियों से बैठकर बातचीत करा दी और एक रास्ता निकाला कि कैसे भी किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे। किसानों की बात सुनी, उन्हें समझाया और सर्किल रेट का चार गुना पैसा उनको दिया तब किसान ने खुश होकर जमीन हमें दी। (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) सड़क का कहीं कोई विरोध नहीं हुआ और कोई लैंड पार्सल नहीं दिया। इसलिये सड़क बनाने में हम कामयाब हुये हैं। मिठाई के बारे में मैं समझता हूं कि जब आप खड़े होंगे तब मिठाई के बारे में भी बतायेंगे। इसी तरह आपने कहा कि समाजवादी पेंशन जो है वह पेंशन इन्हीं की नकल की है। अगर हमारे सभी कार्यक्रम आपकी नकल के थे तो हम सत्ता में कैसे आ गये ?

यदि आप के ही सब कार्यक्रम अच्छे थे और जनता तक पहुंच रहे थे तो जनता आपके खिलाफ क्यों खड़ी हो गयी ? (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) आपने जो पेंशन दी वह कितने महीने, कितने साल दी ? आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

इस सदन में इन्होंने यह कहीं नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ यह बताया कि हमनें पेंशन दी है। आपने पेंशन कितने महीने दी है ? मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, आपने कितने महीने पेंशन दी है और कितने लोगों को दी है ? डेढ़ साल से ज्यादा आपने पेंशन नहीं दी है और कहा कि पांच साल पेंशन दी है। समाजवादी पेंशन जो हम लोगों ने दी है सरकार ने जो तय की है उसमें हम लोगों ने पिछले वर्ष 40 लाख तय किया था, लेकिन इस वर्ष पांच लाख बढ़ाकर 45 लाख करने जा रहे हैं। (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) आपने बहुतों को नहीं दी। वह संख्या भी मैं बता सकता हूं जितने लोगों को आपने पेंशन दी है। आप 300 रुपये पहले साल देते थे फिर आपने 400 रुपये कर दिया और जो कुल लाभार्थी जिनको आपने पेंशन दिया वह 26 लाख ही दिया और केवल डेढ़ साल ही दिया। आपने कहा कि पूरे पांच साल दिया। आपने पूरे पांच साल कब दिया ? पूरा सदन यह समझ रहा था कि पांच साल आपने पेंशन दिया। आपने जनता के साथ धोखा किया इसलिये जनता ने चुनाव में सबक सिखा दिया। यहां समाजवादी पेंशन हर वर्ग के लोगों को मिल रही है। कोई वर्ग होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं था जाति–धर्म का, समाजवादी पार्टी ने दिया है, समाजवादी सरकार ने दिया है और बहुत सारे गरीब परिवार जो शहरों में रहते थे, उनको कितनी संख्या में आप दे रहे थे ? इस वर्ष हमने शहर के लोगों की भी संख्या बढ़ायी है और उसमें खासकर अल्पसंख्यक गरीब परिवार हैं, उन तक भी पहुंचाने का काम किया है। उनको भी बड़ी संख्या में पहुंचाया है। अब बात आई कि लैपटाप खराब है, लैपटाप बांटा, धोखा दिया, अब लैपटाप नहीं बंट रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी इस बात की है, मा0 नेता प्रतिपक्ष जो हैं, पहले तो इन्हें लगता था कि लैपटाप बहुत अच्छी चीज नहीं है। जब यह जनता में गए होंगे, इनके गांव और आसपास के लोगों को मिला होगा, छात्रों को जब मिला होगा, आपने मैसेज किया कि यह लैपटाप ठीक चीज है तो यह झुनझुना अब नहीं कहते हैं। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी लैपटाप के बारे में तमाम बातें कहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज वह वाइफाई दे रहे हैं, फ्री।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह मैंने एक बार भी नहीं कहा।

श्री अखिलेश यादव–

भले ही आपने सदन में न कहा हो, लेकिन आप लोग भी थोड़ा–बहुत उसी लाइन पर हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इसके लिए तो मैं आपका समर्थक हूं।

श्री अखिलेश यादव–

अच्छा, आप समर्थक हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता को धन्यवाद देता हूं कि वह लैपटाप के समर्थक हैं।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री अखिलेश यादव–

एक समय था जब हम लोग ट्विटर की हिन्दी नहीं समझ पाए। अब जनता को फिर समझाना है कि वाईफाई की हिन्दी क्या है ? वाईफाई क्या है ? नेता, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इन्होंने वाईफाई फ्री कर दिया है, कुछ चीजों का। मैं पूछता हूं कि जब वाईफाई फ्री हो गया है तो क्या इससे घास काटी जायेगी या उससे नाव चलायी जायेगी ? वैसे यह चलेगा तो लैपटाप से ही तो जो असली चीज देनी चाहिए, वह दी नहीं जा रही है, लैपटाप देना चाहिए, वह नहीं दिया जा रहा है, कम्प्यूटर नहीं दिया जा रहा है, वाईफाई दिया जा रहा है और वह भी ऐसा वाईफाई है, आदत डालने वाला, जैसे चाय की आदत डाली, आज तक नहीं छूटी। यह वाईफाई की आदत डाल देंगे, उसके बाद पूरे पैसे निकालेंगे। यह आपने साबित कर दिया क्योंकि आपका जो बजट आया, उसमें सारी चोरियां की, आपका किसानों के लिए बजट नहीं आया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 मुख्य मंत्री जी, सरकार ने किसान वर्ष घोषित किया है।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, बाद में स्पष्टीकरण पूछ लीजिएगा।

श्री अखिलेश यादव–

अध्यक्ष जी, कह लेने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इन्होंने कहा, मान्यवर, फूड सिक्योरिटी ऐक्ट लागू क्यों नहीं किया ? तो 69 परसेन्ट देहाती क्षेत्र में और 64 परसेन्ट मान्यवर, गरीबों को सस्ती दर पर देने का काम कर रहे हैं।

श्री अखिलेश यादव–

मान्यवर, क्योंकि वाईफाई कोई समझता नहीं है, तो वाईफाई फ्री होगा। जो बजट केन्द्र सरकार का आया, वह बजट किसके लिए था ? कारपोरेट हाउसेज के लिए था, बड़े लोगों के लिए था क्योंकि मुझे जवाब देना है, हाउस में किसानों के लिए तो मैं जवाब दूंगा। आपने किसान के लिए क्या दिया, किसान को आपके बजट से क्या मिलने जा रहा है और जो चिट्ठियां मेरे पास आईं, बहुत बड़ी किताब है, मेरे पास, पिछले कई दिनों से जब से आपकी सरकार बनी है, हम आपको पत्र लिख रहे हैं तो बताइये कि एक भी पत्र के जवाब में उत्तर प्रदेश को कुछ मिला हो। बजट जो आपका दिल्ली का पास हुआ है, उत्तर प्रदेश को क्या खास मिला ? सर्विस टैक्स बढ़ गया, अगर सर्विस टैक्स बढ़ गया तो क्या–क्या चीजें मंहगी हो गयीं ? कोई चीज नहीं बची जो मंहगी नहीं हुई हो। हम लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने। कभी हमने

पर्चा नहीं लिया होगा, बहुत से लोग पर्चा नहीं लेते हैं। सर्विस टैक्स के बहाने आपने तो अपना टैक्स बढ़ा लिया लेकिन हमारा वैट भी चला गया उसके साथ–साथ। अब हमें वैट कौन देगा ? सर्विस टैक्स बढ़ गया है, सब चीजें मंहगी होती चली जा रही हैं। जो लैण्ड एक्यूजिशन का मामला आपने उठाया हम तो किसान के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहते हैं। हम तो शहर में भी मेट्रो बनाना चाहते हैं। लखनऊ में मेट्रो बन रही है। जो सदस्य उधर से जाते होंगे वे देख रहे होंगे कि मेट्रो बन रही है। हम बनाना चाहते हैं उन बड़े शहरों में भी जो आबादी में बहुत बड़े हो गए हैं। उससे आम जनता को सुविधा मिलेगी। चलने के लिए सुविधा देगी। यह ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम है जो बड़े–बड़े शहरों में आया है। अगर नोएडा गाजियाबाद में आया है तो और शहरों में भी पहुंचे। हमने लखनऊ में तो शुरू कर दिया है अब लखनऊ वाली मेट्रो पर कितना सहयोग करेंगे आप ?

(विपक्ष के कुछ मा0 सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

वाई–फाई की तरह अभी केवल बोला है आया कुछ नहीं है। प्रोविज़न हमें मिल जायेगा हम आपको धन्यवाद दे देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी अभी तक मिला कुछ नहीं है और मैंने कहा है कि लखनऊ में तो हमने शुरू कर दिया है और बनारस में भी हम करना चाहते हैं। हम कानपुर में डी0पी0आर0 बनवा रहे हैं कोशिश करेंगे कि वहां पर भी जल्दी ही शुरू कर दें। लेकिन आपका भी सहयोग मिले। जहां सड़कें बना रहे हैं वहां कोशिश कर रहे हैं कि यह सुविधाएं शहर को मिलें। क्योंकि शहर बदल जाएंगे वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीस बदल जाएंगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बड़े पैमाने पर रोजगार देने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। सड़कों के लिए कई बार हम लोगों पर आरोप लग जाते हैं। जो सड़क आती है बनारस से सुल्तानपुर होकर लखनऊ वह प्रदेश की सड़क नहीं है हमारे हाथ में नहीं है। यहां हमारे मा0 लोक निर्माण मंत्री जी भी बैठे हैं उन्होंने भी जिस समय केंद्रीय मंत्री आये थे उनसे भी कहा हमने भी कहा। कई बार पत्र भी लिखा। जो सहयोग कह रहे हैं हम उसमें सहयोग कर रहे हैं। जो क्लियरेंसेस देनी है हम दे रहे हैं। अब चलिए जो काम हुआ है हम ही उसके लिए बुरे बन गए। गोरखपुर से बनारस वाली नेशनल हाई–वे का कितना बुरा हाल है। वो एन0एच0ए0आई0 कहां है ? देखिए वह अब कब शुरू होगा। यह जो रायबरेली वाला हाई–वे है यह तो हमारे कांग्रेस के साथियों से भी गलती हो गई क्योंकि सड़क ऐसी है। मैंने रखा है उसे मंत्री जी के सामने पत्र भी लिखा है। जब पुरानी सरकार थी उस समय भी लिखा। इस बार यह सरकार है उसमें भी पत्र लिखा है और मैंने कहा कि आप रायबरेली तक फोरलेन कर रहे हैं लेकिन रायबरेली से इलाहाबाद तक आगे फोरलेन नहीं कर रहे हैं। आप अगर अपने बजट से कर सकते हैं तो आप करिए नहीं तो उत्तर प्रदेश सरकार को दे दो हम कोशिश करके उसको फोरलेन कर देंगे। (मेजों की थपथपाहट) यह कहीं न कहीं गलती हुई है उस समय मैंने पत्र भी लिखा है। चलिए अब वो बात गई लेकिन शायद अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्य यहां से पत्र भेजेंगे। हमने पत्र भेजा है और सभी सांसदों को भी पत्र भेजा है क्योंकि सभी सांसदों को लोकसभा में सवाल उठाने हैं।

अगर उनके पास यह किताब होगी तो सवाल उठाना और आसान होगा। सड़कों का नेशनल हाई–वे का और केंद्रीय सहायताओं का यह है। सरकार अपने संसाधनों से जो कर सकती है हम कर रहे हैं। जो आपने कहा सोनभद्र वाली सड़क और जो सहारनपुर वाली सड़क थोड़ा बहुत काम करके छोड़ कर चले गए हैं। असली काम किसने किया ? हमने आगे काम बढ़ाया। हां कई बार यह होता है कि जो सरकार काम कर रही है उसको भी बढ़ाया जाता है लेकिन कई बार हम उसको बदल देते हैं। मान लीजिए आपने पत्थर स्मारक लगाए लेकिन हमने नहीं लगाए। हमने पेड़ लगाए और अपने पार्कों में नहीं लगाए। आदरणीय अध्यक्ष जी नेता प्रतिपक्ष अगर वहॉ जा कर देख लें जो उनके पेड़ सूख गए थे उनकी जगह असली पेड़ तो हमने ही लगाए हैं और वो हरे–भरे भी हैं। पता नहीं कहां–से लाए थे वह पेड़ सूख गए हैं और खजूर से ही मिलता–जुलता हमने पेड़ लगाया नेता प्रतिपक्ष जा कर देख सकते हैं नहीं सूखा है वह हरा, दिखता है और तेजी से बढ़ भी रहा है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

इनकी चीजें बगैर जड़ की होती हैं।

(हंसी)

श्री अखिलेश यादव–

तो बनारस से सोनभद्र सड़क बन रही है। आपकी जो सड़क भदोही से है वह बावतपुर तक बनारस से फोरलेन सड़क है। उसमें आर0ओ0बी0 भी हैं और उसी सड़क को हम मिर्जापुर के विंध्यांचल मंदिर तक ले जा रहे हैं। अपने संसाधनों से कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) आजमगढ़ से दोहरीघाट वाली भी फोरलेन करने जा रहे हैं। हम सड़कें अपने संसाधनों से बनवा रहे हैं। बुन्देलखण्ड में हमीरपुर से जालौन तक फोरलेन भी अपने संसाधनों से बनवा रहे हैं। जहां जिला मुख्यालय एन0एच0ए0आई0 से जुड़ गए हैं उनके अलावा जो और जोड़ सकते हैं उस पर काम शुरू किया है। तो सड़क पर काम हो रहा है। पुल भी बन रहे हैं। और जो तमाम पुल जो वर्षों से नहीं पूरे हैं उनको पूरा करने जा रहे हैं। गंगा पर पुल बन रहे हैं। सवाल उठाते हैं कि हम लोगों ने पूर्वांचल में पैसा कम कर दिया है। हम स्टेट बजट से जितना देते थे हम लोग दे रहे हैं। पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड का अगर बजट कम किया तो वह केंद्र सरकार ने कम कर दिया है। वह पैसा नहीं मिलने जा रहा है। तो इसलिए वह आंकड़ों में जरूर दिखायी दे रहा है। लेकिन अगर यह गंगा पर पुल बन रहे हैं, अगर यह फोर लेन सड़कें बन रही हैं, युनिवर्सिटी बना रहे हैं, कालेज, डिग्री कालेज बना रहे हैं मॉडल स्कूल बना रहे हैं, इंटर कालेज बना रहे हैं, अगर एम्बुलेंस दी है, समाजवादी पेंशन दी है तो पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा पहुंची है और बड़े पैमाने पर पहुंची है। चन्दौली में मेडिकल कालेज बनेगा तो वह भी पूर्वांचल है, जौनपुर में मेडिकल कालेज बन रहा है वह भी पूर्वांचल है। आजमगढ़ में बनकर तैयार हो गया है पैरामेडिकल बनाने जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में युनिवर्सिटी है वह भी पूर्वांचल है। तो वहां दिल्ली से सहारनपुर रोड

आपकी शुरू हो जाएगी। अलीगढ़ में स्पोर्टस युनिवर्सिटी तय है। दूध को बढ़ावा दे रहे हैं। बताइये कभी आपने दूध के उत्पादन को बढ़ावा दिया है।

श्री सुरेश राणा–

दिल्ली सहारनपुर रोड शुरू करवा दें।

श्री अखिलेश यादव–

वह शुरू करा देंगे। मा0 सदस्य जी कह रहे हैं दे देंगे। लेकिन इन लोगों से कहिये कि अगर हम किसी छात्र नौजवान की मदद करें तो उसका उत्साह बढ़ायें, उसको मोटीवेट करें। उसको धर्म से मत देखिये और उदाहरण हम दे सकते हैं। एक नौजवान है जिसने लकड़ी से मेट्रो बना दी। उसका मैंने सम्मान कर दिया। अपने कोष से थोड़ी उसकी मदद कर दी। उन इलाकों में अखबारों में फैला दिया कि यह समाजवादी पार्टी तो एक ही पक्ष की है। फिर हमने दूसरे नौजवान को बुलाया जो हमसे किसी कारण मिल नहीं पाया था। वह कमाल का नौजवान था जो ब्लड चढ़ाया जाता है जो ग्लूकोज चढ़ाने वाली प्लास्टिक की पाइप होती है सिरिंज की जो पाइप होती है उससे जे0सी0बी0 बना दिया। तो उनका भी सम्मान कर रहे हैं। एक नौजवान था जिसने ड्रोन बनाकर उड़ा दिया। और पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने उसका सम्मान किया। उसका हम सम्मान करने जा रहे हैं। तो अगर कोई अच्छा काम करे तो मेरा आपसे निवेदन भी है कि उसको धर्म और जाति के आधार पर न देखें। अगर आपके क्षेत्र में कोई हो जिसमें काबिलियत हो अगर आप मदद करना चाहते हैं हमसे मदद करवाना चाहते हैं सरकार से मदद करवाना चाहते हैं तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम उसकी मदद के लिए तैयार हैं। हम उसकी मदद करेंगे जिससे उसे और आगे बढ़ने का मौका मिले। उसके गांव में भी हमने पॉलिटेक्निक दे दिया। दूसरा बच्चा आया था उसने भी स्कूल अपने गॉव में मांगा था वह भी हमने दे दिया। इसलिए जहां सरकार और क्षेत्रों में काम कर रही है वहीं सरकार ने इस तरह से भी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। जहां तक पुल बनाने की बात है तो जब नेता प्रतिपक्ष जी की पार्टी की सरकार थी तो आपने कितने पुल पूरे किये थे। गंगा में आपने अपने पांच साल में कौन सा पुल पूरा कर दिया। और जो हमने शुरू किया था उसका भी सामान आप उठा ले गये। और गंगा पर जो पुल बनता है तो उसमें कम से कम दो साल तो लगता है। इन्होंने बनाया नहीं और इधर जो हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी हैं, इधर से कोई पुल आया नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय गडकरी जी ने 51 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं दी है।

श्री अखिलेश यादव–

कोई पुल अगर आया हो तो बता दें। बनारस के पुल कब पूरे करेंगे। कोई नया आप दोगे कि नहीं दोगे। हम तो बनाने का काम करेंगे हम पूरा करेंगे लेकिन आप कब दोगे। फ्री बस सेवा शुरू कर दी। लोहिया बस सेवा गॉव में गरीब की मदद के लिए है।

अगर वह बाजार जाना चाहता है, कहीं जाना चाहता है तो बताओं है अच्छी योजना कि नहीं है। इसी तरह दूध उत्पादन करने वाले जो हमारे किसान है उनको मण्डी से फ्री बस दे दी। हम लोगों ने गाजीपुर में दे दी है। इसी तरह से महोबा में भी एक दो जगह ट्रायल पर दी है और बढ़ायेंगे। मण्डियां भी बन रही हैं। बुन्देलखण्ड में ज्यादातर जो रुका हुआ काम था वह हम तेजी से बढ़ा रहे हैं। आपका जो मेडिकल कालेज है, शुरू जरूर किया था लेकिन जितना बजट दिया था उससे ज्यादा बजट हम दे रहे हैं। मैं आज ही जा रहा हूं उसका शिलान्यास करने कि कम से कम ओ0पी0डी0 शुरू कर दें। क्योंकि जो एम0सी0आई0 की गाइडलाइन्स हैं, हमारे माननीय डाक्टर साहब जानते होंगे कि जो एम0सी0आई0 की गाइडलाइंस हैं, उन तक पहुंचाने में बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसमें डाक्टर्स और संसाधनों को जोड़ना पड़ेगा। मशीनें तो हम ला सकते हैं। लेकिन जो आफिसर्स चाहिए जो स्टाफ चाहिए जो और तरह के इंतजाम है उसमें बहुत कमी है। और केवल हमारे उत्तर प्रदेश में कमी नहीं है पूरे देश में कमी है। हमारी कोशिश है। पिछली बार तो सीटें हम लोगों ने बढ़ा ली थीं और गर्वनमेंट ने अंडरटेकिंग देकर सीटें बढ़ा ली थीं। कोशिश करेंगे कि उन चीजों में भी सुधार आये। तो केवल अपनी बात कह देने और बजट में कुछ नहीं है, सपनों का बजट है, तमाम बाते कह देना मैं समझता हूं केवल सदन को नहीं कभी–कभी केवल बात कहने के लिए आप कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष। आपने कहा कि कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना में जो आवंटित आवास हैं, उसमें बिजली काटने का काम किया, आपने कनेक्शन कब दिया ? आपने काटने का तो कह दिया पर बिजली का कनेक्शन कब दिया आपने ? और अगर जो लाइफ लाइन कन्ज्यूमर्स है वो इस्तेमाल करते हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं हैं। कहीं बिजली नहीं काटी जायेगी अगर जिस तरीके का आपने इन्तेजाम किया है अगर वह कन्ज्यूमर्स, लाइफ लाइन कन्ज्यूमर्स हैं तो हमे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वह बिजली मंत्री पहले रहे हैं वह जानते होंगे इस बात को। जहां तक किसानों का सवाल है किसान वर्ष हम इसलिए भी मना रहे हैं कि किसान पर सबसे ज्यादा फोकस सरकार का होगा। गन्ने का किसान क्योकि बहुत सारे हमारे वेस्टर्न यू0पी0 के माननीय सदस्य हैं और बहुत सारे हमारे पूर्वान्चल के माननीय सदस्य हैं यह कई बार सवाल उठाते हैं कि किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है और कई जगह भुगतान अभी नहीं हुआ जितना हो जाना चाहिए था। यह संकट और समस्या एकदम ऊपर आ गयी है और आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार ने कोशिश की है, पिछले सत्र का पैसा दे दिया है लेकिन इसमें जरूर पीछे रह गया है लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि किसानों का पूरा का पूरा गन्ने का भुगतान करायेंगे। पिछली बार सरकान ने 700 करोड़ की सब्सिडी दी है जिससे किसान को 280 रूपये का रेट मिल जाये और इस समय भी हमने बजट में इन्तेजाम किया है लगभग 2000 करोड़ रूपये सब्सिडी दे रहे हैं जिससे कि 280 रुपये का रेट उनको मिल जाये और यह जो बैलेन्स खराब किया है वह खराब हुआ है इम्पोर्ट आनर्स की वजह से। हमने पत्र लिखा है वह भी एक पत्र इसमें है, हमारे पास प्रधान मंत्री जी को भी पत्र लिखा कि जो इम्पोर्ट शुगर है वह बन्द होनी चाहिए

और अगर इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो ड्यूटी बढ़ा दीजिये आप क्योंकि जो पुरानी केन्द्र सरकार थी उन्होंने खूब इम्पोर्ट करा ली शुगर जिसके कारण पूरा बाजार खराब हो गया और अगर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ेगी तो गन्ना किसानों के सामने संकट पैदा होगा। हम आपसे भी अपील करेंगे कि अगर जितना हमारे ऊपर सवाल आप उठाते हैं उसका थोड़ा गुस्सा आप केन्द्र सरकार पर या माननीय सदस्य जो जीत कर गये हैं लोक सभा में उनसे भी कहिये। यह समस्या हमारी आपकी एक ही है, बराबर है। किसान न हमारा है न आपका है, किसान किसान है। अगर हम बजट से 2000 करोड़ रुपये दे सकते हैं तो आप भी कुछ मदद कीजिये क्योकि आप जो अपना सरकारी पत्र लिखते हैं उसमें आप कहते है कि रेट नहीं बढ़ाना चाहिये किसानों का और मैं चाहूंगा कि गन्ने की बात अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कह रहे हैं उनकी केन्द्र सरकार से क्या पत्र आता है प्रदेश सरकार को कितना गन्ने का रेट मिलना चाहिए ? वह भी हमें सदन में बताने का काम करिये। तो इसमें यह तो बता दें कि रेट क्यों बढ़ा रहे हैं आप? 280 का दे रहें है, महाराष्ट्र और जगह प्रदेशों में आप देखिये कि किसानों की हालत क्या है। हम तो यह कहते है कि 2000 करोड़ रुपये देने के बाद भी हम किसान को नहीं कह पा रहे है कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं जो किसान के सामने संकट है। इसीलिए हम चाहते हैं कि किसान वर्ष के रूप में उसको देखा जाये और जितनी भी हमारी सरकार की पॉलिसीस हैं और जो मदद कर सकते हैं वह किसानों तक पहुंचे। उनको पहुंचाने का काम करें और हम तो चाहेंगे कि बुंदेलखण्ड इलाका जो गरीब है उसमें हम प्रयास करेंगे बोनस भी देंगे और गाय का दूध अगर ज्यादा होगा तो भी बोनस देंगे। कुछ जगह हम शुरू करने जा रहे है और पराग हमारा उत्तर प्रदेश का है। अभी तो दूध पता ही नहीं लगता कि गाय का है कि भैंस का है। बस दूध दूध है क्योंकि कुछ चीजों की चिन्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य को ज्यादा है और कुछ काम नहीं करेंगे फिर हम। वो चीनी मिल हम कह रहे हैं कि बजट से 2000 करोड़ दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमने किसान की मदद की, क्योकि किसान के सामने वाकई संकट है। इसलिए किसान की मदद और जहां गन्ने की मदद है तो और चीजों को भी हम बढ़ावा दें। अमूल को भी हम लोग लेकर आये और पराग की भी शुरूआत कर रहे हैं।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के द्वारा टोका–टाकी करने पर।)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्यगण इसमें बोला नहीं जाता, मा0 मुख्य मंत्री जी जब बोल लेंगे तब आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री अखिलेश यादव–

आदरणीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने पराग का कोई सामान नहीं लिया होगा, अगर रबड़ी खाई होती तो शान्त रहते, इसलिए मैं लम्बा भी नहीं बोलूंगा, लेकिन हम पराग को बढ़ावा देना चाहते हैं, कुछ जगह ऐसा करना चाहते हैं, शुरूआत कर रहे हैं, जिससे कि वह प्रोडक्ट कम से कम गाय के दूध के तो दिखें, उसके लिए अगर हमें

कामधेनु को ठीक करना पड़ेगा और अगर कामधेनु से दूध लेना पड़े कलेक्शन सिस्टम से, तो उसको भी करेंगे, जिसके लिए पराग के कुछ प्लाण्ट और मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग होती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी सिद्धार्थनगर के कालानमक चावल की ही मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करेंगे उसकी मार्केटिंग, क्योंकि बासमती के बराबर अगर टेस्ट में कोई चावल है तो वह कालानमक ही है, लेकिन मार्केटिंग नहीं है। यह जमाना ब्रांडिंग का है, हालांकि इसके मायने बीजेपी के सदस्य ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि ब्रांडिंग से ही लाभ उठा लिया इन्होंने, ब्रांडिंग कर–कर के सीधे नुकसान हो रहा है अब उनको, उन्होंने ब्रांडिंग ज्यादा कर ली और इतनी ज्यादा ब्रांडिंग कर ली कि उससे नीचे अब आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि ब्रांडिंग तब होगी जब यह पुल नहीं बना पायेंगे, दो साल में बताओ कौन सा पुल बनाओगे, चुनाव होने जा रहे हैं 2017 में। आपने जो वोट मांगा तो आपने पूरे चुनाव में यह चिल्लाकर कहा कि हम 24 घण्टे बिजली देंगे, हर जगह कहा कि अबकी यह सरकार, हम हर जगह 24 घण्टे बिजली देंगे। अच्छा किस प्रदेश में 24 घण्टे बिजली है ?

(विपक्ष की तरफ से आवाज आई– गुजरात में है।)

जहां पर मीटर लगे हुए हैं, गुजरात में गांव–गांव मीटर लगे हैं, हम सुनना यही चाहते थे कि आप गुजरात कब बोलो, आप मध्य प्रदेश के एक–आध जगह बोलिये और वहां बिजली मिल रही है 24 घण्टे मीटर से, आपने यह क्यों नहीं बताया जनता को कि कटिया से हम 24 घण्टे बिजली क्यों नहीं देंगे, आपने क्यों कहा कि हम 24 घण्टे बिजली देंगे, लेकिन यह भी कहते आप। आपने ब्रांडिंग ऐसी की कि जनता गुमराह हो गई। आपने कहा कि हम 24 घण्टे बिजली देंगे, लेकिन 24 घण्टे बिजली कैसे दोगे, मीटर के हिसाब से दोगे या कटिया के हिसाब से दोगे आप। तो उसमें तो काम करना पड़ेगा और उस दिशा में उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार काम कर रही है जिससे कि कनेक्शन बढ़ जांए ट्रान्समीशन लाईन बेहतर बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक कर रहे हैं, पहली बार अण्डरग्राउण्ड केबिलिंग का काम शुरू किया है और इसके साथ–साथ और जगह हैं जहां बिजली की चोरी है, वहां पर हम केबिल लगाने जा रहे हैं, संसाधन अपने लगा रहे हैं, हालांकि सहयोग मिलेगा। हम मिले थे केन्द्रीय बिजली मंत्री जी से, उन्होंने कहा हम सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम भी 24 घण्टे बिजली देने की तैयारी पर है। 2016 से कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में गांवों में 16 घण्टे और शहरों में 22 से लेकर 24 घण्टे तक बिजली उपलब्ध करा सकें। जेनरेशन के भी प्लाण्ट लगा दिये, बुन्देलखण्ड का बहुत जल्दी शुरू हो जायेगा, सोनभद्र में भी शुरू होने जा रहा है। सोलर पावर का कोई इन्तजाम नहीं था, बहुत छोटे–छोटे प्लाण्ट थे, बहुत मामूली–मामूली प्लाण्ट थे। पहली बार पॉलिसी लाकर के हम लोगों ने इनकरेज किया, बहुत बड़ी गुन्जाइश है अगर हम लोग काम करें सोलर एनर्जी पर, क्योंकि पैसा ज्यादा लगता है। हर चीज को देखना है, किसान को देखना है, मजदूर को, छात्र को, अपनी योजनाएं भी देखनी हैं, पुल भी बनाना है, सड़क भी, बिजली भी और वहीं सोलर को भी बढ़ावा देना है। तो पहली बार यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सोलर

प्लाण्ट लगने शुरू हुए हैं, जिसमें पहला हमने महोबा में बुन्देलखण्ड में उद्घाटन किया और बहुत जल्दी ललितपुर में भी तीन सोलर प्लाण्ट उद्घाटित हो जायेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा बिजली नहीं है, लेकिन 10–10, 20–20 मेगावाट के हैं और बजट से भी हम देने जा रहे हैं, अगर आपने सोलर पर कभी काम किया हो तो बता दें। जालौन में जगह हमने भेज दी, केन्द्र सरकार ने जगह मांगी थी कि जगह हमें उपलब्ध करा दीजिए हम सोलर प्लाण्ट लगवा देंगे।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज–

बुन्देलखण्ड की और भी कई समस्यायें हैं।

श्री अखिलेश यादव–

हम देंगे डैम के लिए भी आ रहे हैं, बहुत जल्दी ही हम और मा0 मंत्री जी आ रहे हैं आकर डैम की भी शुरूआत करा देंगे। तो हम बुन्देलखण्ड का भी ध्यान दे रहे हैं, मेडिकल कालेज भी दे रहे हैं और भी चीजों का इन्तजाम कर रहे हैं। तो हमने बिजली के लिए सोलर कर दिया, शायद वहां से मदद आ जाय। लोहिया आवास जो गांवों में दिये हैं, बिजली आये न आये, लेकिन लोहिया आवासों में बिजली आयेगी, सोलर पैनल दिये हैं, दो बल्ब एल0ई0डी0 के और पंखा भी दिया है, उन्हें बिजली भी दे रहे हैं, जहां लोहिया आवास बन गये होंगें वहां यह इन्तजाम हो चुका है, कई जगह हो चुका है और कई जगह होने जा रहा है, तो शुरूआत की है सरकार ने, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मजदूरों को कभी कोई साइकिल बंटी हो, इतने बड़े पैमाने पर साईकिल कभी नहीं बंटी मजदूरों को, जिन जिलों में हम लोगों ने साइकिल बांटने का काम किया और मैं समझता हूं कि लाखों मजदूरों को साइकिल दे देंगे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं बढ़ाया। पता नहीं पुरानी सरकार में यह चीज नेता प्रतिपक्ष जी बतायेंगे कि साइकिल कितनी बांट दी आपने। कुछ बच्चों को तो देते थे आप लेकिन मजदूरों को कहां देते थे, कितनी दीं और रजिस्ट्रेशन कितना बढ़ाया आपने। आपने अस्पतालों की बातें कीं। अस्पतालों का यह विषय आपका बहुत अच्छा है कि दोनों बार आपने इस बात को कहा, दोनों बार आपने इस बात को उठाया कि अस्पतालों में बेड बढ़ने चाहिये, हम भी इस पक्ष में हैं कि अस्पतालों की डिजाइन सुधरें, अस्पतालों में बेड भी बढ़ें और इंतजाम भी अच्छे हों। हमारी सरकार ने बढ़ाये भी हैं। जो आपके पुराने इंस्टीट्यूट्स थे, आपने जो लोहिया की बात उठाई। लोहिया इंस्टीट्यूट को बनाने का काम नेता जी ने किया था। जो पिछली बार बेड थे उससे तो हमने बेड बढ़ाये हैं। आर0एम0एल0 में हमने 90 बेड से 300 बेड कर दिये हैं। आर0एम0एल0 इंस्टीट्यूट में ओ0पी0डी0 जो केवल 2500 रह गई थी, वह अब 10,000 तक पहुंच चुकी है। आर0एम0एल0 इंस्टीट्यट की ओ0पी0डी0 में पिछली सरकार में प्रतिवर्ष केवल 18000 मरीजों की चिकित्सा की जाती थी, अब वह बढ़कर प्रतिवर्ष 01 लाख 20 हजार हो गयी है। साथ ही हम लोगों ने एम्बुलेंस कितनी दी हैं, आप तो 102, 108 एम्बुलेंस सेवा नहीं शुरु कर पाये, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं शुरु कर पाये। समाजवादी सरकार आई, हमने शुरू कर दी और अब हर जगह एम्बुलेंस पहुंच रही है। कोशिश रहती है कि 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाये और उसकी आवश्यकता हुई

कि एम्बुलेंस बढ़नी चाहिये क्योंकि कुछ क्षेत्रों में डिस्टेन्स ज्यादा है। मान लीजिये कि बुन्देलखण्ड है वहां कई बार बहुत डिस्टेन्स है तो इसलिये आपने बजट में देखा होगा कि हमने 500 नई एम्बुलेन्स खरीदने का काम किया है जिससे कि अगर जहां पर एम्बुलेंस में देरी हो जा रही है तो उन 500 एम्बुलेन्स को दिया जायेगा जिससे शहरों के लिये भी एक बार सवाल उठाया था कि शहरों में कुछ जगह एम्बुलेंस कम हैं तो नई 500 एम्बुलेंस का पैसा इस बजट में रखा है जिससे कि वहां नई एम्बुलेंस दी जा सकें। साथ ही हमारे अस्पताल बेहतर हों और कई बार बीमारी के बारे में जानकारी हो और बीमारी के बारे में सही जानकारी मिल जाये तो उसको रोका जा सकता है। मा0 सदस्य ने ठीक कहा, मैं टी0वी0 पर उनकी बात सुन रहा था, स्वाइन फ्लू के बारे में उन्होंने एकदम ठीक कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अखबार में स्टेटमेण्ट दिया था कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर हो गया, तब भी डरने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज है और केवल प्रिकॉशन और प्रिवेन्शन लेने से जैसे उदाहरण दिया गया कि केवल आप हाथ धो लें लेकिन कई बार हमारे डॉक्टर ऐसे भी हैं जो दवाईयां बहुत दे रहे हैं। कोई भी बीमारी आ जाये, दवाई ही दवाई दे दे रहे हैं।

मैं मानता हूं कि डॉक्टर वही अच्छा है जो दवाई कम दे। अस्पताल कैसे बेहतर हों, इस पर सरकार काम कर रही है। हमारी यह भी कोशिश है कि अस्पतालों की जो डिजाइन हो रही है, जो प्राइवेट अस्पताल हैं वे तो समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं, वे अपनी नई डिजाइन को लेकर आ जाते हैं और सरकारी अस्पतालों में जो डिजाइन एक बार बन जाती है, वैसी ही बनती रहती है और मैंने यह तय किया है कि अगर कुछ बड़े अस्पताल हमें टर्न की बेसिस पर बनाने पड़ेंगे तो उस दिशा में भी सरकार काम करेगी जिससे कि एक बार में अस्पताल बने तो पूरा का पूरा अस्पताल बन जाये। वरना होता क्या है कि सिविल कन्स्ट्रक्शन कोई कर रहा है, ऑक्सीजन की पाइप लाइन का ठेका किसी और का है, बिस्तर का ठेका कोई और ले रहा है, कम्बल का ठेका किसी और पर है, लाइट का ठेका किसी और पर है। इसका उदाहरण आपने एन0आर0एच0एम0 में देखा ही था, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आपकी चिन्ता अच्छी है, अब मुझे आपकी वह वाइन वाली कहावत याद आ रही है लेकिन मैं उसे दूसरे रूप में कहूंगा कि मा0 नेता प्रतिपक्ष हैं तो अच्छे लेकिन हैं गलत पार्टी में और आपके बराबर की टक्कर के हमारे पास एक मा0 सदस्य और हैं। अगर दोनों लोगों की तस्वीर एक साथ छप जाये तो बहुत मुश्किल होगा पहचानना कि कौन क्या है तो कम से कम हमें इस सदन में दो लोग एक से तो मिले। उम्र में भी ज्यादा फर्क पता नहीं लगता लेकिन कई बार ये ज्यादा यंग लगते हैं और वे बूढ़े लगते हैं। इसलिये सरकार लगातार काम रही है। मैं बहुत सारी बातों के लिये कहना चाहता हूं और बहुत सारे जवाब हमें समय–समय पर देने पड़ेंगे लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि कहीं भी, किसी भी तरह का चाहे पूर्वांचल हो, चाहे बुन्देलखण्ड हो, हमने कहीं भेदभाव नहीं किया। किसी जाति, किसी धर्म का भेदभाव नहीं किया। हर क्षेत्र में काम किया है और कोशिश की है कि हम नई चीजें लेकर के आयें। नई चीजों को शामिल किया जाए। अस्पताल अच्छे बनें, सड़कें

अच्छी बनें, बिजली का इंतजाम बेहतर हो, हमारे स्कूल, कालेजेज अच्छे हो, जहां इनफॉरमेशन आज हम दे न दें, लेकिन जनता जागरूक है, गांव में भी लोग जागरूक हैं। आज इनफॉरमेशन कितनी तेज भाग रही है, तो कोशिश की है कि लैपटॉप से भी उनको जोड़ करके दुनिया से जोड़ने का काम करें। जहां बाजार एक हो रहे हैं, जहां तमाम चीजें हैं, व्यापार एक होता चला जा रहा है और इनवेस्टमेंट के लिए कि आपके देश में इनवेस्टमेंट आए हर मुख्य मंत्री प्रयास कर रहा है, हर देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। अगर कोई मुझसे सवाल करे कि इनवेस्टमेंट क्या आया है प्रदेश में। कम से कम हम इसमें कामयाब हुए हैं, बहुत सारी कंपनियों को लाने में कामयाब हुये हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया है और उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जो छवि एक बार बना दी थी आप लोगों ने, जो परसेप्शन था कि उत्तर प्रदेश में जाकर क्या करोगे ? अगर सूटकेस लेकर आओगे तो हो सकता है सूटकेस छीन जाए आपका। छवि खराब थी और छवि खराब कैसे होती है, आप अगर लैपटॉप को झुनझुना बोल देंगे, तो बताइये एच0सी0एल0 वाले क्या कहेंगे, इनफॉसेस वाले क्या कहेंगे, कि उत्तर प्रदेश में लोग लैपटॉप को झुनझुना कह रहे हैं। हम उनको बुलाना चाहते हैं और आ रहे हैं वह लोग और उन्होंने काम करना शुरू किया है। इनफॉसेस को जगह दे दी, एच0सी0एल0 को भी जगह दे दी है और वह भी काम शुरू कर रहे है और ट्रेनिंग इनस्टिट्यूट बना रहे हैं। (एक माननीय सदस्या की आवाज आई कि एच0सी0एल0 पहले से वहां पर) नहीं एच0सी0एल0 पहले से है, लेकिन लखनऊ में नहीं था। ये बात मैं आपको भी याद दिला दूं माननीय सदस्या को कि एच0सी0एल0 और अपट्रॉन दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया था और आप की अपट्रॉन कहां है, बता दें। और एच0सी0एल0 कहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। जो चीज नोयडा में हो रही थी, वह चीज हम लखनऊ में ला रहे है, ताकि पूर्वान्चल और अन्य इलाकों में भी जाये। हम तो कह रहे है कि ''मेक इन इण्डिया का नारा दिया है आपने'', अगर ''मेक इन इण्डिया'' का नारा दिया है, हम पूरा सहयोग करेंगे। पुरानी सरकार जब थी, जिस चीज के लिए जमीन मांगी है, हमने दी है। अगर एम्स के लिए जगह नहीं दी तो आपने नहीं दी अपने पड़ोसी जिले को। अगर कभी बीमारी हो, कुछ हो तो उसके लिए एम्स जो बन रहा है, वह समाजवादी सरकार ने जमीन दी है। आपने पांच साल नहीं दी, आपने अपने पड़ोसी जिले में नहीं दी।

रायबरेली में एम्स नहीं बन पाया क्योंकि जमीन नहीं दी पुरानी सरकार ने। हमने जमीन दे दी, कुछ चीजें हैं उसकी, उनको भी सुधार लाएंगे, कुछ लोग हैं जो नहीं बनने दे रहे हैं एम्स। हमने एम्स को फ्री जमीन दी है। इसी तरह इलाहाबाद में कमला नेहरू कैंसर इनस्टिट्यूट है, उन्होंने कहा कि सरकार अगर यह कह दे कि इतना पैसा, यदि 30 करोड़ रुपये देंगे तो हम उसको पूरी सहायता देंगे। 30 करोड़ हमने दे दिया, हमने यह नहीं देखा कि भेदभाव कहां है। आपको जमीनें दी हमने। आपको सैन्य स्कूल के लिए जमीन दी। आपका टाटा का जो ड्राईविंग स्कूल है उसके लिए जगह दी। बहुत–सारी जगह दी, अब सवाल है कि उन्होंने जगह मांगी हमने दी, कुछ जगह उनका

काम शुरू हो गया है लेकिन मेक इन इण्डिया बोलने वालों ने जगह अभी तक नहीं मांगी। अगर जगह नहीं मांगी है तो बताओ कहां हवा में कोई कंपनी लगाइंगे आप ? आपकी फैक्ट्री लगेगी कहां यह बता दें। आदरणीय अध्यक्ष की आपके माध्यम से मैं इनको भरोसा दिलाता हूं कि जहां आपकी सरकार प्रयास कर रहे हैं कि इनवेस्टमेंट देश में आए, हम भी चाहते हैं कि इनवेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आए। और अगर देश में इनवेस्टमेंट आएगा तो सबसे ज्यादा अगर आप माहौल और पॉलिसी की बात करते हैं तो वह हमने उत्तर प्रदेश में बनाकर रखा है। अगर इनवेस्टमेंट देश में आएगा तो इनवेस्टमेंट हम भी लेंगे। इसलिए कम से कम जगह तो मांगिए आप। आप ''मेक इन इण्डिया'' कह रहे हैं और जगह मांगी नहीं आपने। आपके माननीय मंत्री एक आये थे। माननीय मंत्री एक आपके आये थे, उन्होंने कहा कि हम बहुत टैक्सटाइल उद्योग में काम करना चाहते हैं। हमने कहा निफ्ट नहीं जायेगा रायबरेली और वहां से हटेगा नहीं, लेकिन आप निफ्ट हमें दो दे दें। जगह हम दोंनो जगह हम आपको दे रहे हैं। एक लखनऊ में भी जगह दे दी और एक नोयडा में भी जगह दे दी। अब इंतजार है कि कब आएगा निफ्ट। हमने कलस्टर के लिए भी जगह दे दी। आप जो चाहेंगे डेवलपमेंट पर हम सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे आपका, लेकिन कम से कम ''मेक इन इण्डिया'' के साथ–साथ ''मेक इन यू0पी0'' भी तो हो और इसलिए हो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहां से, देश के होम मिनिस्टिर यहां से, देश के डिफेन्स मिनिस्टिर यहां से और भी छोटे–छोटे मंत्री भी यहां से। सबसे ज्यादा आपके एम0पी0 जीत गए। आप तो धर्म की बात कर रहे हैं, कभी पारिजात पेड़ आपने लगाया है। माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता बतायें कि कहीं पारिजात पेड़ लगाया है आपने। आज फ्री में हमारी श्रवण यात्रा हो रही है, बतायें कभी की है आपने ? मानसरोवर यात्रा वालों को हमने सरकार से सब्सिडी दी, क्या आपने कभी दी ? (मेजों की थपथपाहट) और अगर कभी पेड़ लगाया हो तो बता दें। गोवर्धन अभी गया था मैं वादा करके आया हूं कि वहां पर काम करूंगा। अयोध्या में भी हम लगा रहे हैं आपके परिक्रमा में, जो परिक्रमा में भी आप लोगों ने बवाल कराया था एक चौदह कोसी पर पारिजात पेड़ लग रहा है। अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य को अगर पारिजात पेड़ चाहिये तो हम देने के लिये तैयार हैं, बहुत सारे लोग ले जा चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हमें भी दिला दीजियेगा।

(विपक्ष से आवाज आई कि हमें नल चाहिये)

श्री अखिलेश यादव–

वह भी देंगे। तो बताइये पारिजात पेड़ कभी नहीं लगाया इन्होंने, तो इसलिये मेक इन इण्डिया पर इनका जोर है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भरोसा दिला सकता हूं कि पूरे बजट में कोशिश की है कि इन्स्फास्ट्रक्चर में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, दवाइयों में कैसे बेहतर काम कर सकें और जो गरीब हैं उनको सुविधायें

कैसे दे सके, जिससे कि उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और इतनी आबादी का कोई प्रदेश नहीं है और कुछ देश भी हैं इससे कम आबादी के। लोग कभी–कभी कहते हैं कि यह पांचवे नम्बर हैं, पर मैं कहता हूं कि आबादी के हिसाब से हम लोग दुनिया में चौथे नम्बर पर हैं। तो इन्फारमेशन के माध्यम से बिजनेस के माध्यम से दुनिया एक होती चली जा रही है, तो जो लोग दूसरी स्टेट का नाम ले रहे हैं तो उत्तर प्रदेश आगे आने वाले समय में आगे दिखाई देगा आपको, क्योंकि बहुत सी चीजों में उत्तर प्रदेश है आगे, इसे बहुत आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। गेहूं के मामलें में हम बहुत आगे हैं, आलू के मामले में बहुत आगे हैं। मुझे खुशी है कि बुलन्दशहर जब मैं गया था तो वहां का ग्रुप ऑफ किसान गाजर पैदा कर रहा है और बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं, उनको जो सुविधायें देनी थी, सरकार से जो मदद चाहिये थी, लैण्डयूज के लिये, हमने वह पालिसी बनाकर तीन महीने में सुविधा उपलब्ध करा दी है। टाइम्स ऑफ इण्डिया देश का सबसे बड़ा अखबार है उन्होंने कहा कि हम देश में सबसे अच्छी यूनीवर्सिटी बनाना चाहते हैं, विदेश से टाइअप करके बनाना चाहते हैं। मैंने कहा कि आपको जमीन मैं दे रहा हूं, एक महीने में जमीन उपलब्ध करा दी। अब केवल वहां पर काम शुरु होना है और ऐक्ट लेकर भी हम आ रहे हैं जिससे कि वह डीम्ड यूनीवसिर्टी बन जाये। यहां अल्पसंख्यक वर्ग खासकर मुसलमान भाई की बात की, अभी कुछ टूरिस्ट जगहों पर हमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। फीडर भी कर रहे हैं हमने वहां पर लगाना शुरु किया है जो सेण्टर्स जो बुनकरों के हैं जहां से कारोबार बहुत अच्छा होता है, मान लीजिये इलाहाबाद का मउआयमा बुनकर क्षेत्र है, बाराबंकी में जगह है, अम्बेडकरनगर में है, मुबारकपुर, आजमगढ़ है, वह सेण्टर्स के लिये हम करने जा रहे हैं। और जो फोर लेन सड़क जो हमने भदोई–बावतपुर एयरपोर्ट तक बनाई है, वह इसलिये बनाई है कि आपको कारपेट ले जाकर जाने कहां कहां रखना पड़ता था। उसके साथ–साथ हम लोगों ने कारपेट के एक्सपोर्ट के लिये जो बनना चाहिये, वहीं के व्यापारी लोग, वहीं के बुनकर लोग उनसे कहा कि आप डिजाइन दीजिये मुझे मैं बनाने के लिये तैयार हूं, पिछले बजट में भी पैसा रखा और इस बजट में भी पैसा रखा है। वह बहुत अच्छा कर रहे हैं वह इण्टरनेशनल लेवल का बना रहे हैं, क्येांकि लाखों लाख बुनकर उससे जुड़े हुये हैं। इसी तरह नोएडा में बुनकर बाजार बना रहे हैं कि अगर सामान बन जाये तो फिर आखिर वह बिकेगा कहां, बाजार कहां है। मैं समझता हूं कि नोएडा–गाजियाबाद बड़े बाजार हैं, वहां उनको फ्री में जगह उपलब्ध कराऊंगा। यहां पच्चीस एकड़ की जमीन पर मैं लखनऊ हाट बनवा रहा हूं अवध बिहार में। वह भी बुनकरों के लिये है और जितने भी हस्तशिल्प या जितने भी लोग हैं उनको मौका दूंगा फ्री आये, रहें और एकदम इंटरनेशनल बना रहा हूं। (मेजों की थपथपाहट) तो यह नहीं है, कोई काम छोड़ें, हर वर्ग के लिये काम किया है। मैं समझता हूं कि यह बजट उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का बजट है। किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, मुसलमान, छात्र, नौजवान सबके लिये बजट है और जब ओवरआल डेवलपमेंट होता है तो अपने आप रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, अपने आप ग्रोथ रेट भी बढ़ती है। जो सहयोग होगा

डेवलपमेंट का, वो तो मैं करूंगा। लेकिन यह ब्राडिंग के जमाने से हट जायें, वाई फाई के जमाने से हट जायें, स्मार्ट सिटी का पता नहीं, कब आयेगी कि नहीं आयेगी। हम लोग अभी भी दूध पर काम करना चाहते हैं। अमूल ब्रांड को इसीलिए लेकर आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत सारे सुझाव आये जो शमिल हुए हैं क्योंकि जब बजट सत्र खत्म होगा तो और बहुत सारी चीजें और भी कहनी हैं मुझे। क्योंकि असली बात उस समय भी आयेगी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी सदस्यों के लिये हैं, वह आखिरी वाले बजट में होंगी। मैं आपको तथा सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं सभी माननीय सदस्यों का। बहुत–बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी आप स्पष्टीकरण पूछ लीजिये। इस पर भाषण नहीं होता है, स्पटीकरण होता है, आप स्पष्टीकरण पूछ लीजिये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण पर माननीय मुख्य मंत्री जी सहित माननीय नेता भाजपा, माननीय नेता कांग्रेस, माननीय नेता लोकदल सहित कुल 34 माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने बखूबी उत्तर भी देने का प्रयास किया। चर्चा के माध्यम से विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनो दलों के माननीय सदस्यगण ने बजट भाषण के माघ्यम से बहुमूल्य सुझाव भी दिये हैं क्षेत्र की तमाम समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट भी किया। मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, क्षेत्र की बढ़ती आबादी, तरह तरह की बीमारियां और बड़े पैमाने पर मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में बड़े पैमाने पर चाकचौबन्द व्यवस्था करते हुए इमरजेंसी व्यवस्था को और भी बढ़ाने का काम करेंगे और अगले बजट भाषण में कम से कम इस पर चर्चा न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। रही बात माननीय मुख्य मंत्री जी, मैने इस बात को कहा कि तमाम योजनायें लाये हैं लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन जब तक समय पर सुनिश्चित नहीं होता है व्यावहारिक रूप से उन योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पाता। इसलिए मैं चाहूंगा कि समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन भी कार्यों का निश्चित रूप से किया जाय। आपने इंगित किया हमारी ओर मैने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जो योजनायें हमने जब शुरू की तो अन्त तक चली। महामाया पेंशन योजना की ओर जिधर आपने इशारा किया सन् 10 में उसकी घोषणा हुई ओर क्रियान्वयन करते करते उसमें पहले दौर में हमने 21 लाख का लक्ष्य रखा था 25 लाख आपने खुद बताया तो मान्यवर, इस तरीके से हमने उसके अन्त तक अनुदान दिया और जो जनकल्याणकारी योजनायें हैं उस पर चूंकि वह समाज के अन्तिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह योजनायें चलाई जाती है उन योजनाओं का लाभ निरन्तर उनको मिलता रहे इस पर इसीलिए मैंने जोर दिया कि यह गरीब सत्ता और विपक्ष के नोक–झोक में कहीं वंचित न हो जाय। कदाचित अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में

लाने के लिए मात्राकृत बजट में प्राविधान करने के लिए आपने पिछले बजट में भी इस बात को दोहराया था आज भी आपने कहा मैं चाहूंगा कि इस पर व्यावहारिक रूप से सीधे लाभ उनको मिलना चाहिए अभी तक यह केवल बजट भाषण के पेज पर कागजों में है व्यावहारिक रूप में अमलीजामा नहीं ले पाया है और मैं इस परिपेक्ष्य मे ंयह भी कहना चाहूंगा कि आप घोषणायें अच्छा करते हैं और योजनाएं भी अच्छा प्रारम्भ करते हैं लेकिन अन्त तक जाते जाते उसका हश्र टॉय–टॉय फिस्स हो जाता है। आपने स्वयं घोषणा की 146 मदरसों को अनुदान सूची में लिये जाने का अभी तक व्यवहारिक अमलीजामा नहीं हो पाया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह एक ऐसा कड़वा सच है 5 वर्ष आपकी सरकार रही अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो पैसा भारत सरकार से आया जो मैचिंग ग्रान्ट आपको देनी थी इसमें से और 5 साल में एक पैसा भी मदरसे को आपने नहीं दिया। भारत सरकार का जितना पैसा आया सारा पैसा लैप्स हो गया एक पैसा भी नहीं मिला। कोई नहीं दिया एक मदरसें को ग्रान्ट नहीं दी आपने।

(श्री इन्द्रजीत सरोज और कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहें, शान्त रहें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

क्या बात कह रहे थे आप।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार में सौ मदरसों को अनुदानित किया गया और उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बनाया गया। अगर हमारी सरकार ने यह नहीं किया तो पैसा कहां से आया ? आपने क्या किया, आपने तीन साल में किसी एक मदरसे को भी अनुदानित किया है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप कह रहे हैं कि उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय आपने बनाया ? लीजिये हाथ चौड़े कर लिये और चौड़े हाथ कर लेंगे, उड़ जायेंगे, अब हाथ समेट लीजिये।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

आपने जौहर विश्वविद्यालय बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जौहर विश्वविद्यालय का नाम आप ले रहे हैं, जौहर विश्वविद्यालय का नाम लेने के लिये पहले ख ग ग ग , करके आईये। ख ग ग ग , से जौहर का नाम नहीं लिया जाता। जौहर का नाम लेने के लिये ख ग ग ग , करिये।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें। मौर्या जी, आप संक्षेप में अपना स्पष्टीकरण पूछ लीजिये, जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी अपना उत्तर देंगे। इस पर भाषण नहीं किया जाता, स्पष्टीकरण पूछा जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जो मदरसों की बात कही है उन्हें इसलिये ग्राण्ट नहीं मिली क्योंकि इन्होंने उस फाइल को आगे जाने नहीं दिया। उन सारी फाइलों को ठीक करने के लिये हमें डेढ़–दो वर्ष का समय लगा और अब सारे ग्राण्ट पर हैं। हमने बजट में व्यवस्था कर दी है, बजट प्राविधानित है और वह पैसा उनको जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मौर्या जी आप स्पष्टीकरण पूछिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करने में माहिर हैं, योजना चलाने में भी माहिर हैं, लेकिन वह योजनायें बीच में ठप क्यों हो जाती हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिये। 146 मदरसों को अनुदान सूची में लिया जाना था। मैं इसीलिये कह रहा हूं कि मैं दोबारा जब यहां पर चर्चा करने के लिये खड़ा होऊं तो हमें इसको दोबारा न कहना पड़े, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा बहुत मायने रखती है। अगर उनकी घोषणाओं को हम क्रियान्वित नहीं करेंगे तो माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार से लोगों का विश्वास उठेगा। रही बात संसदीय कार्य मंत्री जी की, तो वह बेहतर तरीके से समझते हैं कि हमने क्या किया है, हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। पिछली सरकार में उन्होंने 200 की घोषणा की थी, मैंने खुद 100 मदरसों को अनुदान सूची में लिया और एक उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय को स्थापित किया, इसलिये मैं उधर नहीं जाना चाहता।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी, संक्षेप में स्पष्टीकरण पूछ लें। इसमें स्पष्टीकरण पूछा जाता है, जब राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है तब उत्तर भाषण दिया जाता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत संक्षेप में पूछ रहा हूं, उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी बजट में जो तमाम योजनायें लाये हैं यह सारी की सारी योजनायें 'चूं–चूं का मुरब्बा' न बनने पाये। मैं चाहूंगा कि अमली जामा समय से ले सके और बड़ी बारीकी से मैं इसको कह रहा हूं कि आप इसको बहुत गंभीरता से लेंगे। अधिकारियों ने कहीं आपको बजट बनाते समय धोखे में रखा। स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान का जो धन है जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के लिये उनकी आबादी के अनुपात में बजट धन से अलग से प्राविधानित/आवंटित किया जाता है, उस धन का आपकी सरकार बनने के बाद लगातार कहीं न कहीं दुरुपयोग हो रहा है। कहां पर जा रहा है डायवर्ट क्यों किया जा रहा है ? स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान का धन जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के लिए आवंटित किया जाता है उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है मैं चाहूंगा कि यह लाभ जिनके लिये हैं, उनको सही ढंग से मिले। दूसरी चीज माननीय मुख्य मंत्री जी, एक गांव में कहावत है। आप भी गांव के हैं हम भी गांव के हैं।

श्री अध्यक्ष–

पूरब और पश्चिम की कहावत में अंतर होता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, हो सकता है, लेकिन जो हमारी तरफ कहावत है, जो अवध और भोजपुरिया में कही जाती है कि ''आंधर बाध बरै, पड़वा चबाय जाये।'' यानि अंधा व्यक्ति सुतली का बाध बनाता है और पड़वा उसको पीछे से चबा जाता है। इसी तरह आप कितनी भी अच्छी–अच्छी कार्य योजना क्यों न लाइये, कितना भी अच्छा बजट प्रावधान क्यों न करिये, लेकिन जब तक आपकी कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, यह सारे के सारे लोग आपके किये कराये पर पानी फेर रहे हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि प्रदेश की जनता और सभी समाज के लोग जो सीधे प्रभावित होते हैं, वह हिन्दू–मुस्लिम सौहार्द बना रहे, कानून का राज हो और कानून बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जिससे कि एक अच्छा मैसेज जाना चाहिये कि इस सरकार की हनक है और सरकार के चलते सभी लोग सुरक्षित हैं, इस बात का अहसास भी सभी को होना चाहिये अन्यथा आपके सारे किये कराये पर पानी फिर जायेगा। आपने एक चीज और कही कि आपने इतनी अच्छी योजनायें बनाई तो आप चले क्यों गये। अरे जो वहां होता है वह यहां आ जाता है और यहां वाला वहां चला जाता है। यह तो लगातार नियम चला आ रहा है। अबकी बार हमारी वहां आने की बारी है और आपकी यहां आने की बारी है। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहूंगा कि आप आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे बनाने जा रहे हैं, आप उसको दिखवा लेंगे क्योंकि सड़क तो बनना शुरू हो गयी है लेकिन न उसमें कहीं पुल का कोई प्रावधान है, न अंडर पास का कहीं कोई प्रावधान है और जिन सम्पर्क मार्गों का प्रयोग करके उस सड़क को बनाने का काम किया जा रहा है, उन सम्पर्क मार्गों की हालत खस्ता हो जा रही है, उन सम्पर्क मार्गो को मेन्टेन करने की जरूरत है इसलिये मैं आपसे यह भी चाहूंगा कि आपने गन्ना किसानों

की चिन्ता व्यक्त करते हुये 2000 करोड़ रुपये का पैकेज तो दिया लेकिन यह मिल मालिकों को दिया जबकि इसे सीधे किसानों को देना चाहिये था। इसलिये मैं चाहूंगा कि प्रदेश के इन हितों को ध्यान में रखते हुये जो आपने योजनायें बनाई हैं, जो आपने बजट में प्रावधान किये हैं, वह 2017 के बाद पूरे नहीं होने चाहिये, बल्कि उसके पहले होना चाहिये और अगला बजट जब आप लावे तो यह हो कि जो बजट इस बार प्रावधानित हुआ है, उसका शत प्रतिशत उपयोग हो चुका है। तभी जाकर आपके इस बजट का स्वागत किया जा सकता है। अन्यथा अभी तक तो यह आपका बजट चूं–चूं का मुरब्बा साबित हुआ है।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा स्पष्टीकरण पूछने का अनुरोध किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

देखिये राज्यपाल के अभिभाषण पर जब संशोधन दिया जाता है तो पूरा भाषण होता है, इसमें पूरा भाषण नहीं होता है। वैसे आपको स्पष्टीकरण जो पूछना हो, वह पूछ लें ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरे केवल चार बिन्दु हैं। एक तो माननीय नेताजी के सहयोग से जो कानून केन्द्र में पास किया गया था फूड सेक्योरिटी ऐक्ट, उसको यह सरकार यहां लागू क्यों नहीं कर रही है जिसमें 79 परसेंट देहाती क्षेत्र और 64 परसेंट शहरी क्षेत्र के गरीब लोग लाभन्वित होंगे। दूसरी बात, पूर्वाचंल विकास निधि और बुन्देलखंड विकास निधि माननीय नेताजी ने 1989 में शुरू की थी, 35 करोड़ और 25 करोड़ से। इस सरकार ने उसको आधा कर दिया है क्यों ? मान्यवर, हमारी इसमें यह भी मांग है कि उसमें मध्यांचल विकास निधि भी जोड़ दें और जैसा कि माननीय दलवीर सिंह जी भी कहते हैं कि पश्चिमाचंल भी उसमें शामिल कर दें लेकिन पूर्वाचंल को कम नहीं करना चाहिये। तीसरी बात, इडिंया मार्का हैन्डपंप 200–200 नल मिलने चाहिये और अतिंम बात, पी0जी0आई0 में 1700 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल शुरू में बना था, लेकिन उसमें आज तक 1000 से ज्यादा बेड फंक्शनल नहीं हो पाये हैं, इसको बढ़वायें। यह चार बातें जनहित से जुड़ी हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहते हैं कि इन पर अवगत कराने की कृपा करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने इसी विधान सभा में इसी परिसर में 03 जुलाई, 2012 को यह घोषणा की थी कि विधान सभा के सुरक्षा कर्मियों को हम सारी की सारी सुविधायें देंगे तो जब आप इतने उदारमना है तो इस घोषणा को भी आप अपने कामों में शामिल कर लेंगे, तो अच्छी बात होगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि जिले को चार–लेन से जोड़ा जायेगा। हमारा जनपद इलाहाबाद तीन तरफ से नदियों से जुड़ा है और वहां जितने भी रास्ते आते हैं चाहे वह रायबरेली से इलाहबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 24 बी हो, चाहे शास्त्री ब्रिज से आप आइये तो दो लेन का है, आप नैनी की तरफ से आइये तो वह भी दो लेन का है, यदि आप पश्चिम से इलाहाबाद में प्रवेश करते हैं तो पहले यह एन0एच0–2 था लेकिन जब वहां बाईपास बन गया तो कोखराज से होते हुए रोड हंडिया चली गई। अब कोखराज से लेकर जो कौशाम्बी में है और हंडिया तक यह सड़क स्टेट हाई–वे में है, यह भी दो लेन का है। क्या आप इस पर विचार करेंगे कि इलाहाबाद को वास्तव में चार लेन से जोड़ दिया जाए।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह, नेता, कांग्रेस एवं अन्य मा0 सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

सबको अवसर नहीं मिलेगा, यह गलत बात है। सभी मेम्बर को मौका नहीं मिलेगा, सभी विधायकों के लिए समय नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि मथुरा–अलीगढ़ जो राजमार्ग है उसकी हालत बहुत खराब है। एक तो आप मथुरा–अलीगढ़ राजमार्ग को बजट में शामिल करें, दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना की मांग बहुत पुरानी है, इसको भी आप शामिल करके केन्द्र सरकार को भेजें जिससे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बन सके। पश्चिमांचल विकास निधि की जो मांग अभी मा0 खन्ना साहब ने रखी है उसकी भी हम पुनरावृत्ति करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप भाषण कर रहे हैं, उन्हीं बातों को आप दोहरा रहे हैं।

(श्री दलबीर सिंह, नेता, राष्ट्रीय लोकदल एवं अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

अरे भाई, यह परम्परा नहीं है कि सभी स्पष्टीकरण पूछें।

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण से पूरे सदन को मन्त्र–मुग्ध कर दिया है। ऐसा लगता है कि इस प्रदेश के सभी दुःख हरण हो गये। मैंने अपने भाषण में भी बोला और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में भी मैंने सुझाव दिये। मेरे छोटे–छोटे से दो–तीन सुझाव हैं।

श्री अध्यक्ष–

इतना कहने के बाद भी यदि काम नहीं हुआ तो यह आपका दुर्भाग्य ही है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, इस सरकार में, वर्तमान समय में जो उपेक्षा हो रही है उससे हमको बहुत दुःख हो रहा है। बुन्देलखण्ड का, पूर्वांचल का, मध्यांचल का, कम से कम एक मिनट का तो मौका दे दिया करें। कृषकों की इतनी पेंडेंसी पड़ी थी उसे आपने समाप्त कर दिया, बहुत अच्छा काम किया क्योंकि किसान इससे बहुत परेशान थे, आपने उसे कम्प्लीट कर दिया है। मैं आपसे मांग करता हूं कि देहात क्षेत्र में 90 प्रतिशत बिजली की चोरी हो रही है, इसे कोई रोक नहीं सकता चाहे आपकी सरकार आ जाए या किसी की सरकार आ जाए।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई भाषण देने का समय नहीं है, आप उन्हीं चीजों को फिर से दोहरा रहे हैं।

श्री दलवीर सिंह–

मैं चाहूंगा कि आप 10 परसेंट में क्यों झगड़ा डाले हुए हैं आप पूरे किसानों के सब बिलों को माफ करके बिजली फ्री करा दीजिए। साइकिल बांटने का आपका बहुत बढ़िया काम है। हम देखते हैं अपने अलीगढ़ में कि गरीब आदमी साइकिल से आकर नौकरी करके चले जाते हैं इसलिए इस काम को थोड़ा सा और बढ़ाइये क्योंकि यह बहुत अच्छा काम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट में हाईकोर्ट की बेंच की मांग बहुत दिनों से चल रही है इसको आप ले लें तो आपकी जय–जयकार हो जायेगी, आपका नाम हो जायेगा, इस प्रस्ताव को भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष–

आप पता नहीं कितना लिख करके लाते हैं, ठाकुर साहब अब बंद करिये। माननीय मुख्य मंत्री जी को 4.00 बजे जाना है।

(श्रीमती विमला बाथम, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी व श्री सुरेश राणा के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहिये, कोई चर्चा नहीं हो रही है कि सबको अवसर दिया जाए। कृपा बैठिये।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, आपने गरीब किसानों के ऋण माफ किये, बहुत अच्छी बात है लेकिन जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया है एकबार उस पर भी विचार कर लें क्योंकि बहुत ज्यादा कर्जा किसानों का इन पर है। एक एन0एच0–91 के लिए हमारे साथी कह रहे थे।..

श्री अध्यक्ष–

दलवीर सिंह जी अब खत्म करिये। अब मैं नियम–51 की सूचनायें ले रहा हूं। अब बैठ जाईये। माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनिये।

श्री अखिलेश यादव–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कई सवाल उठे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह सुझाव दिया था कि पी0जी0आई0 के इमरजेंसी में बेड बढ़ना चाहिए क्योंकि वहां न केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि आसपास के प्रदेशों से काफी मरीज आते हैं तो उसमें ओ0पी0डी0 बन रहा है और बहुत जल्दी बन जायेगा तो आपके इमरजेंसी बेड भी बढ़ जायेंगे और जो मशीनें व तमाम चीजें हैं, वह भी बढ़ा देंगें जिससे मरीजों को सुविधायें मिल सकें, जहॉ तक बेड बढ़ाने की बात है तो उस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

दलवीर सिंह जी, अब तो बैठ जाईये, मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री अखिलेश यादव–

अध्यक्ष जी, कांग्रेस के मा0 सदस्य ने जो बात कही इलाहाबाद को लेकर कि फोर लेन से जुड़ना चाहिए तो यह सही है कि एन0एच0आई0 जो सड़क बनाती है तो कई बार केवल अपने हिस्से में बनाती है, अगल–बगल में नगरपालिका आ जाए या कोई और क्षेत्र आ जाए तो वहीं से सड़क छोड़ देते हैं जैसे रायबरेली से सड़क आ रही है और जहां आपका शहीदपथ है वहां पर उन्होंने सड़क छोड़ दी उसके आगे फोरलेन नहीं बनाया, वह फोरलेन हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से इलाहाबाद की जो समस्या है जितनी भी इंट्री है कोई भी फोरलेन नहीं है बल्कि आसपास जो आपका बाईपास है वह बहुत बड़ा बाईपास है और 100 कि0मी0 से बड़ा है, वहां पर फोरलेन है। इसी तरह की समस्या झांसी में देखी थी, जो झांसी के लोग होंगे वह जानते होंगे फोर लेन से अंदर शहर की ओर हमने ब्रिज भी दिया है, आर0ओ0बी0 भी दे दिया है तो इस पर विचार करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जिला मुख्यालय अगर फोरलेन से जुड़ जायेंगे तो वहां के लोगों को सुविधायें मिल जायेंगी क्योंकि इधर ट्रैफिक का लोड बहुत बढ़ा है, जितनी सम्पन्नता बढ़ती जा रही है उतना ही लोड बढ़ता जा रहा है। बहुत से माननीय सदस्यों के अच्छे सुझाव आये और कोशिश करूंगा कि उस पर मैं काम करूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

ख03.28, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12–03–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 61 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिसमें पहली सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू की जनपद–मथुरा अन्तर्गत गोर्वधन दानधारी मंदिर के सामने दिनांक 15–09–2014 को गाड़ी संख्या यू0पी0 32

एफ0ए0–2002 का शीशा तोड़कर की गई चोरी के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है,

शेष निम्नलिखित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं :–

पहली सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद–फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा स्थित मझिगवां मौरंग बालू घाट को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

दूसरी सूचना श्री मनीष असीजा की फिरोजाबाद नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र हिमायूंपुर में 800 मीटर कच्ची पटरी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

तीसरी सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद–चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसरायं में बी0पी0एल0 कार्ड/अन्त्योदय योजना में कार्ड के लाभार्थियों के चयन में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

चौथी सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद–मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग सी0डी0–1 तथा प्रान्तीय खण्ड के अन्तर्गत मुख्य सड़कों की मरम्मत/नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

पांचवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद–बस्ती के तहसील भानपुर व रूधौली में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

छठी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद–बहराइच के विकास खण्ड–नबावगंज के किसानों के धान व गेहूं के मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

सातवीं सूचना डा0 अरूण कुमार की जनपद–बरेली में जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली द्वारा शिक्षकों के जी0पी0एफ0 के भुगतान में की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

आठवीं सूचना श्री सुनील कुमार लाला की जनपद–लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र कस्ता के ग्राम बेहजम से नीमगांव तक की सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बनाये जाने के सम्बन्ध में,

नवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद–शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–हजरतपुर के निवासी–श्री महेश की दिनांक 8–3–2015 को ट्रैक्टर–ट्राली पलटने से हुई मृत्यु में कृषक दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

दसवीं सूचना श्री रवि शर्मा की जनपद–झांसी में कुख्यात भू–माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों का बिना लैण्ड यूज बदले अवैध प्लाटिंग कर विक्रय किए जाने के सम्बन्ध में।

ग्यारहवीं सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की जनपद–हाथरस के कस्बा–सिकन्दराराऊ में रोडवेज बस स्टैण्ड स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

बारहवीं सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की जनपद–वाराणसी के रामनगर स्थित सुल्तानपुर गांव में स्थापित मिनी ट्यूबवेल को बिजली कनेक्शन दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

1–श्रीमती नजीबा खान जनित,

2–श्रीमती पूजा पाल,

3–श्री विजय कुमार दुबे,

4–श्री इन्द्रजीत सरोज,

5–श्री हरमिन्दर साहनी उर्फ रोमी साहनी,

6–श्री सिनोद कुमार शाक्य,

7–श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू,

8–श्री धर्मपाल सिंह,

9–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,

10–श्री विजय बहादुर यादव,

11–श्रीमती सीमा,

12–श्री गिरीश चन्द्र उर्फ 'गामा' पाण्डेय,

13–श्री धर्मराज,

14–श्री राजेश त्रिपाठी,

15–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया,

16–श्री राजनारायण बुधौलिया रज्जू महाराज,

17–श्री भगवती प्रसाद,

18–श्री सुदेश शर्मा,

19–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

20–श्री रवीन्द्र जायसवाल,

21–श्री सुरेश बंसल,

22–श्री बंशी सिंह पहाड़िया,

23–श्री राजीव गुम्बर,

24–श्री जाकिर अली,

25–श्री पूर्णमासी देहाती,

26–श्री सुरेश कुमार खन्ना,

27–श्री अनीसुर्रहमान,

28–कुंवर कौशल सिंह,

29—श्री पंकज कुमार मलिक,
30—श्री जगन प्रसाद गर्ग,
31—श्री जियाउद्दीन रिजवी,
32—श्री रामचन्द्र यादव,
33—श्री चन्द्रभान सिंह पटेल,
34—श्री गजेन्द्र सिंह,
35—श्री उमेश पाण्डेय
36—श्री सुशील सिंह,
37—श्री दलवीर सिंह,
38—श्री रविन्द्र भड़ाना,
39—श्री अगयश रामसरन वर्मा,
40—श्री जगपाल सिंह,
41—श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा,
42—श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
43—श्री प्रदीप चौधरी,
44—श्री दीपक पटेल 'एडवोकेट',
45—श्री महावीर सिंह राणा,
46—श्री बावन सिंह,
47—श्री रामहेत भारती तथा
48—श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया।

मथुरा शहर के जनरलगंज स्थित वृन्दावन प्रकाशवती की राजकीय इण्टर कालेज भूमि को अवैध रूप से बेचे जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम—51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)—

बी0डी0पी0 राजकीय इण्टर कालेज, मथुरा की भूमि एवं किराये सम्बंधी विवाद। बी0डी0पी0 राजकीय इण्टर कालेज मथुरा एक शासकीय संस्था है।

श्री अध्यक्ष—

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां—

ख्जो इण्टर स्तर तक वित्त पोषित है। जिसकी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मथुरा के नाम से स्थापना वर्ष 1867 में हुई थी और इण्टरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण वर्ष 1965 में हुआ था।

2–जिलाधिकारी, मथुरा के पत्र संख्या–648/सात–बी0/भू0व्य0लि0/2003 दिनांक 26–08–2003 के अनुसार जिस जमीन पर विद्यालय का भवन निर्माण किया गया था, वह मिल्कियत सरकार व गरज तामीर गर्वन्मेन्ट हाई स्कूल मथुरा के नाम खसरा खतौनी में नकल खेवट चौसला में अंकित थी जो खेवट संख्या–259/2 खतौनी खाता संख्या–438 तथा 441 व 446 पर दर्ज है, खतौनी खाता संख्या–244 आबादी गवर्मेन्ट हाई स्कूल श्रेणी 15 के अन्तर्गत दर्ज है, जो केवल दो नम्ब्रान 3318, 3319 जिनका क्षेत्रफल 3.01 एकड़ है, के मालिक राजा विश्वेन्द्र सिंह हैं।

3–कर्नल सवाई बृजेन्द्र सिंह महराज भरतपुर व हैशियत खुद् एवं अध्यक्ष भरतपुर रायल फैमली रिलीजिय एवं सेरीमोनियल ट्रस्ट एवं श्री महराज कुमार विश्वेन्द्र सिंह, पुत्र कर्नल सवाई बृजेन्द्र सिंह, पुत्र कर्नल सवाई बृजेन्द्र सिंह महराज भरतपुर व हैशियत ट्रस्टियान भरतपुर रायल फैमिली रिलीजियस एवं सेरीमोनियल ट्रस्ट भरतपुर की ओर से आराजी म्युनिसपल संख्या–887, 888, 889, 890 रकबा 5.86 एकड़ बाके जनरलगंज, मथुरा श्री प्रभुदयाल अग्रवाल पुत्र श्री राधाकृष्ण अग्रवाल निवासी–1025 मण्डी रामदास मथुरा के नाम दिनांक 28–01–1989 के द्वारा मुख्त्यारनामा जारी किया गया जो दिनांक 07–08–1995 के द्वारा निरस्त करते हुए श्री गिर्राज प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री राधाकृष्ण अग्रवाल कौम वैश्य निवासी 1025, मण्डी रामदास मथुरा के नाम मुख्त्यारनामा पंजीकृत किया गया।

4–मुख्त्यारनामा के आधार पर श्री गिर्राज प्रसाद अग्रवाल द्वारा दिनांक 14–01–1992 श्री प्रभुदयाल अग्रवाल पुत्र श्री राधाकृष्ण अग्रवाल निवासी 1025, मण्डी रामदास मथुरा एवं श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री गिर्राज प्रसाद अग्रवाल निवासी 1025, मण्डी रामदास मथुरा के नाम बैनाम कर लिया गया जो गवर्मेन्ट स्कूल के लिये किराये पर लिया हुआ और किराया मात्र 32 रुपये 01 आना प्रति साल था, ट्रस्ट के अध्यक्ष कर्नल सवाई बृजेन्द्र सिंह किराया वसूल करते रहे, जिसके आधार पर क्रेतागण श्री गिर्राज प्रसाद एवं श्रीमती सरोज देवी द्वारा किराया देने की मांग की गयी।

5–श्री गिर्राज प्रसाद एवं श्रीमती सरोज देवी द्वारा किराये की मांग किये जाने पर किराये का भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण श्री गिर्राज प्रसाद एवं सरोज देवी द्वारा किराया नियंत्रण अधिकारी के कार्यालय में वाद संख्या–104/89 योजित किया गया जिसको दिनांक 30–08–1994 को निस्तारित करते हुए 2,37,150 रुपये प्रति वर्ष किराया भुगतान करने के आदेश पारित किये गये।

6–उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग की ओर से मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–38312/1994 योजित की गयी, जिसमें दिनांक 10–04–2001 द्वारा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किराया नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–08–1994 के द्वारा निर्धारित किराया भुगतान करने के आदेश पारित किये गये।

7–किराया नियंत्रण अधिकारी के आदेश दिनांक 30–08–1994 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10–04–2001 के द्वारा निर्धारित किराये से संस्तुष्ट न होने के कारण प्रतिवादी श्री प्रभू दयाल अग्रवाल एवं श्रीमती सरोज देवी व अन्य के द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में सिविल अपील संख्या–13574–13575/2001 योजित की गयी जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 09–09–2002 के द्वारा निस्तारित करते हुए रु0 600/– प्रति वर्ग गज (स्क्वायर यार्ड) के हिसाब से किराया भुगतान करने के आदेश पारित किये गये।

8–मा0 सर्वोच्च न्यालालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–09–2002 के विरुद्ध राम स्वरूप सिंह राजपूत, प्रधानाचार्य, बी0डी0पी0 राजकीय इण्टर कालेज, मथुरा द्वारा राज्य सरकार की ओर से मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में सिविल अपील संख्या–5681–5682/2002 योजित की गयी जिसको मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–07–2010 के द्वारा निस्तारित करते हुए

निस्तारित करते हुए किराये की धनराशि रु0 600/– प्रति वर्ग गज (स्क्वायर यार्ड) के हिसाब से तीन माह में भुगतान करने के आदेश दिये गये।

9–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09–09–2002 एवं दिनांक 20–07–2010 के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा के पत्र संख्या–13685–88/2010–11 दिनांक 26–03–2011 के द्वारा श्री प्रभू दयाल अग्रवाल एवं श्रीमती सरोज देवी व श्री विश्वेन्द्र सिंह को रु0 5,77,98,000/– एवं इसके अतिरिक्त माह जुलाई से फरवरी, 2013 तक के किराये का रु0 47,26,910/– का भुगतान दिनांक 05–04–2013 को किया जा चुका है।

10–शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 के पत्र संख्या–सा0नि0वि0(मा0)/1680/2014–15 दिनांक 28–10–2014 के द्वारा विद्यालय की लाइवेलिटी शून्य करने और भूमि को भू–स्वामी को वापस किये जाने एवं विद्यालय को किराये से संचालित करने के स्थान पर विद्यालय के भवन निर्माण हेतुविकल्प के रूप में प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिय गये, जिसके अनुपालन में प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, मथुरा के पत्र संख्या–भूमि/305–08/2014–15 दिनांक 02–12–2014 द्वारा निदेशालय को आख्या प्रेषित की गयी है। जो विभाग/शासन के पास परीक्षणाधीन है।,

जनपद देवरिया सहित प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों को मानक के अनुरूप बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष–

यह वक्तव्य स्थगित है।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र पंचायत को पुनर्गठित करते हुए भवानीगंज को क्षेत्र पंचायत समिति (ब्लाक) सृजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री कमाल यूसुफ मलिक द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष–

यह वक्तव्य स्थगित है।

कानपुर महानगर स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज में एम्स के स्तर की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सलिल विश्नाई द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खा)–

श्री सलित विश्नोई, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि ..

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्कानपुर महानगर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जिस कारण से यहां लाखों मजदूर और गरीब निवास करते है। किन्तु कानपुर महानगर में स्वास्थ्य के इलाज के लिए उतनी अच्छी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, जितनी प्रदेश के सबसे बड़े महानगर को उपलब्ध होनी चाहिए। महानगर होने के कारण आस–पास के जिलों के गंभीर रोगी भी इलाज के लिए कानपुर आते है। कानपुर का गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज की सुविधाएं अपर्याप्त होती है। इसलिए कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज को एम्स के स्तर की सुविधायें उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है। यह लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग की जाती है।

2–वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा जनपद रायबरेली में एम्स की स्थापना की गयी है तथा वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पूर्वांचल में गोरखपुर में एम्स की स्थापना का निर्णय लेकर भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, झांसी, इलाहाबाद, गोरखपुर तथा मेरठ को उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

3–प्रदेश के के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ एवं आर0आई0एम0एस0 सैफई, इटावा में भी प्रदेश की जनता को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। जहां तक गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में एम्स जैसी सूविधाएं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर का हृदय रोग संस्थान एवं जे0के0 कैंसर संस्थान मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। प्रदेश की जनता को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा गम्भीर प्रयास किये जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर को अपने संसाधनों से यथासंभव सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।,

झांसी महानगर में राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा निर्मित ओवरब्रिजों के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि जनपद झांसी से सीपरी बाजार में रेल...

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्उपरिगामी सेतु एवं झांसी–शिवपुरी रोड पर पहुंच नदी पर पुल का निर्माण राज्य सेतु निगम लि0 इकाई प्रथम झांसी द्वारा कराया जाना था लेकिन संयुक्त प्रबन्ध निदेशक राज्य सेतु निगम लि0 कानपुर द्वारा अपनी पूवर्नियोजित योजना के अनुसार झांसी में ही निर्माण इकाई द्वितीय का सृजनय करा लिया तथा अपने चहेते इंजीनियरों का स्थानान्तरण इस इकाई में करा लिया और अपनी योजना का मूर्तरूप दिया जाने लगा। मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि इन दोनों पुलों के निर्माण हेतु बालू एवं गिट्टी की सप्लाई हेतु जून, 2014 में टेण्डर निकाला गया जिसमें 20 एम0एम0 गिट्टी 2000 घन मीटर की सप्लाई का ठेका 1360 रु0 प्रति घन मीटर की दर से एवं सी0सेण्ड 1500 घन मीटर का ठेका 1212 रु0 प्रति घन मीटर की दर से सम्बन्धित फर्मों को प्रदान किया गया तदोपरान्त इसी कार्य हेतु जुलाई, 2014 में 20 एम0एम0 गिट्टी, 2175 रु0 प्रति घन मीटर की दर से एवं सी0सेण्ड 2575 रु0 प्रति घन मीटर की दर से खरीदी गयी। इस खरीद में लाखों रुपये का गबन किया गया क्यों कि मात्र एक महीने में किसी भी सामग्री की दर दोगुनी नहीं हो सकती है। लेकिन इस प्रकरण में इस योजना को अंजाम दिया गया है। इस प्रकरण की जांच हेतु मैंने दिनांक 03–02–2015 को माननीय मुख्य मंत्री जी को साक्ष्य सहित पत्र प्रेषित किया था जिस पर क्या कार्यवाही हुई अधोहस्ताक्षरी को अब तक कृत कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया है। सरकार

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा इस प्रकरण में कोई ठोस कार्यवाही न किये जाने के कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने एवं इस प्रकरण में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करवाये जाने एवं दोषी अभियंताओं के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूं।

जनपद झांसी में झांसी महानगर में राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा सीपरी बाजार ओवर ब्रिज निर्माण एवं पहुंच नदी पर पुल निर्माण में गिटटी मौरंग खरीद की जांच के सम्बन्ध में सेतु निगम मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं0 529/प्र0नि0–शिविर/2014–15, दि0 03–03–2015 के द्वारा जांच गठित कर दी गयी है। जांच समिति की जांच आख्या प्राप्त हो जाने के उपरान्त तद्नुसार यथानियम अग्रेतर कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर की जायेगी।,

जनपद कासगंज के विकास खण्ड सहावर में ग्राम तारापुर से ग्राम सियारपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क हेतु धन अवमुक्त कराकर मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद कासगंज के विकास खण्ड सहावर में प्रस्तावित ग्राम तारापुर से ग्राम सियारपुर मार्ग जिसकी..

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

खकि अधिशाषी अभियन्ता (लो0नि0) द्वारा मरम्मत हेतु टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद भी शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त न होने के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

अवगत कराना है कि उक्त मार्ग अत्यन्त ही क्षतिग्रस्त है, जिस कारण स्थानीय निवासियों को अत्याधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः जनहित में इस विषय पर तत्काल उक्त मार्ग की मरम्मत कराए जाने हेतु शासन से धन अवमुक्त कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।

जनपद कासगंज में विकास खण्ड–सहावर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अधीन अनुरक्षित ''ग्राम तारापुर में याकूतगंज वाया सियारपुर मार्ग (ग्रा0 मा0) की कुल लम्बाई 6.70 कि0मी0 है जिसके कि0मी0 4, 5, 6 व 7(700) में स्थित भाग आंशिक रूप

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से क्षतिग्रस्त है और मार्ग पर यातायात/आवागमन जारी है। उक्त मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग (कि0मी0 3.70) के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 30 मिनट पर दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 12 मार्च, 2015

पी0एस0यू0पी0–एल0 57 विधान सभा (97)–15–7–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।